Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ४७वां दिवस [संख्या २९

शुक्रवार, ३ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८३४

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८३५

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

प्रश्न संख्या ८३६

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८३७

श्री फतेसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८३८

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८३९

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर।

भूतपूर्व महाराणा उदयपुर को निजी उपयोग हेतु दिया गया जंगल

८४०. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या मंत्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) उदयपुर के भूतपूर्व महाराणा श्रीभोपालसिंह जी को निजी उपयोग के लिए

Page No.2

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कौन कौन सा व कुल कितने एकड़ जंगल दिया गया था तथा उनकी मृत्यु के बाद क्या वर्तमान महाराणा श्री भगवतसिंह जी के उपयोग के लिए सारे जंगल रखे गये हैं या उनमें कमी की गई हैं ?

(२) यदि कमी की गई है तो कौन कौन जंगल की व कुल कितने एकड़ की कमी की गई है ?

मंत्री,स्वायत शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता वन मन्त्री की ओर से) : (१) महाराणा उदयपुर को जो जंगल निजी उपयोग के लिए दिये गये उनकी लिस्ट सदन की मेज़ पर रख दी गई है। ये जंगल व्यक्तिगत नाम से दिये गये थे। इसलिए वर्तमान महाराणा का प्रश्न नहीं उठता। सर्वे नहीं होने से क्षेत्रफल नहीं मालूम है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर : व्यक्तिगत नाम से होने के कारण क्या वे जंगल प्रेजेन्ट महाराणा के पास गये या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले हिज हाईनेस को जो राइट थे वे उनको भी कन्टिन्यू करते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या सारे जंगल पर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिन जिन जंगलों पर जो जो राइट्स दिये वह प्राइवेट प्रोपरटी में दर्ज है, घास काट सकते हैं, शिकार कर सकते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या माननीय मंत्री महोदय को विदित है कि वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए इतना जंगल उनके पास रखना नाजायज़ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नाजायज़ होने की बात नहीं है। जो राइट पहले से थे वे उनको भी कन्टिन्यु करते हैं। लेकिन जहां तक हमें जानकारी है वे राइट्स को एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, गेम्स सेन्चुअरी बनायी है।

श्री सोहनलाल भटनागर : वहां [illegible] कान्ट्रेक्ट दे रखा है इस तरह से दुरूप[illegible] हो रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी [illegible]कारी में नहीं है यहां गेम्स सेन्चुअरी [illegible] चुकी है वहां लकड़ी, घास आदि नहीं ले[illegible] केवल शिकार खेलते हैं ? जयसमन्द में [illegible] गेम सेन्चुअरी है वहां से भी घास इक[illegible] नहीं किया जाता।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इस तरह से वह घटेगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवश्यकता बहुत वाइड है। पहले हिज हाइनेस को आवश्यकता थी The rients should continue.

श्री श्रीभानसिंह : (बयाना) But these rights and privileges were given by the State Government, or the Union Home Ministry incorporated it in the Covenant ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : This has

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

been given by the State Government or by the Central Government it does not...

श्री श्रीभानसिंह : I wanted to know whether these rights were in corporated by the Government at the time of merger ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनकी पर्सनल प्रोपर्टी में डैस्क्राइब की गई, उसमें दर्ज है और यह फोरेस्ट की है। This was given at the time of merger.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is a P. P. lease, why it has not been given to his son ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It has been given to his son.

प्रश्न संख्या ८४१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास, श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली के सामने मिड़िल स्कूल का भवन

८४२ **श्री मूलचन्द डागा** (पाली, डॉ. बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाली में महाराजा श्री उम्मेद मिल्स के सामने कोई मिडिल स्कूल बनाने की सरकार की योजना है ?

(ख) क्या उक्त मिडिल स्कूल के भवन के बनाने के लिये महाराजा श्री उम्मेद मिल्स ने कुछ रुपया दे रक्खा है या देने का वादा किया है ? यदि हां, तो कितने रुपयों का ?

(ग) सरकार का इस स्कूल के काम को कब तक पूर्ण कराने का विचार है ?

उप-मंत्री, उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल, शिक्षा मन्त्री की ओर से) :

(१) जी हां। इस विषय में नगर पालिका व जिलाधीश पाली से पत्र व्यवहार हो रहा है, अभी योजना पूर्ण नहीं होपाई है।

(ख) उम्मेद मिल्स की तरफ से अध्यक्ष, नगर पालिका ने ८०००) रुपये देने का वायदा किया है यदि शेष धन सरकार की ओर से दिया जाय।

(ग) इस सम्बन्ध में डवेलपमेन्ट फण्ड से धन राशि देने के लिये जिलाधीश से प्रार्थना की गई है किन्तु अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह योजना कब तक पूरी हो जावेगी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि डवेलपमेन्ट फण्ड से मिल जावे तो कार्यवाही होगी और उनसे कह दिया गया है कि रुपया दे दिया जावे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : नगर

Page No.4

(श्री श्रीभानसिंह)

पालिका से पत्र व्यवहार क्या हो रहा है, यह नगरपालिका के नीचे है, मिल्स के नीचे है या सरकार के ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह स्कूल बनाई जाने के सिलसिले में नगरपालिका और जिलाधीश से पत्र व्यवहार हुआ था और उन्होंने यह मांग की थी कि मिडिल स्कूल इसे बना दिया जावे। इस सिलसिले में उम्मेद मिल्स की तरफ से अध्यक्ष नगरपालिका को आठ हज़ार रुपया देने का वादा भी किया गया है।

डॉ० चन्द्रकला (किशन पोल बाज़ार जयपुर) : जिला विकास समिति को लिख दिया गया है तो कब तक रुपया दे दिया जावेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल ; उम्मीद तो है कि जल्दी दे देंगे।

प्रश्न संख्या ८४३

श्री अध्यक्ष : श्री ब्रिजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्य ८४४

श्री वीराराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

बारां में चर्मोद्योग के प्रशिक्षण तथा संचालन की योजना

८४५. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया (बारां—सु) : क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(१) क्या बारां शहर (जिला कोटा) में सामुदायिक विकास विभाग की ओर से चर्मोद्योग के प्रशिक्षण देने व चर्मोद्योग के संचालन हेतु कोई योजना चालू की गई थी ?

(२) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत क्या क्या कार्य किये गये व किस किस मद में कितनी कितनी धन राशि खर्च की गई ?

(३) क्या उक्त योजना द्वारा संचालित चर्मोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र सुचारु रूप से चल रहा है ?

(४) यदि नहीं, तो बन्द होने के क्या कारण हैं ?

उप मंत्री, विकास विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(२) चर्मोद्योग के लिये प्रशिक्षण देने व संचालन करने हेतु कुल ६४१२) रुपये की धन राशि खर्च हुई। स्टाफ़ के वेतन में १४५४) रुपया, प्रशिक्षार्थियों को वज़ीफ़ा इत्यादि, २१८६) रुपया, अन्य कन्टिनजेन्ट २७६८) रुपया।

(३) जी नहीं। प्रशिक्षण केन्द्र दिनांक २८-२-५६ से बन्द कर देना पड़ा।

(४) प्रशिक्षण में उन्हीं स्थानीय विद्यार्थियों को लिया जाता था जिनका पैतृक धन्धा चमड़े का काम करना था। ऐसे विद्यार्थियों के उपलब्ध न होने के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण केन्द्र बन्द करना पड़ा।

Page No.5

श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया : तो इसको कब तक चालू कर दिया जावेगा अब ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वहां प्रशिक्षार्थी नहीं आ रहे हैं। इसलिये बन्द कर देना पड़ा है।

डॉ० चन्द्रकला (किशन पोल बाज़ार जयपुर) : केन्द्र चालू करते समय क्या ध्यान नहीं रक्खा गया था कि आवेंगे या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पूरा ध्यान रक्खा गया था। पहले आये भी थे पर फिर आना बन्द हो गया।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : तो क्या यह सही है कि प्रशिक्षार्थियों को समय पर वज़ीफ़ा नहीं मिलने के कारण वे नहीं आ पाये और इस कारण बन्द कर देना पड़ा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं, यह सही नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : शिक्षणार्थी आवें इसके लिये सरकार ने क्या क्या उत्साहवर्द्धक तरीके अपनाये जिससे वे आकर्षित हो सकें ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सारी स्कीम ही मौजूद है। वज़ीफ़ा दिया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : पेपस में अच्छा प्रचार किया गया था क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, यह तो सब को मालूम था जो चर्मकार थे। पेपर में विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे लोग ही सब में जा जा कर कह चुके थे और सब जान चुके थे।

श्री दयाकृष्ण विजय : वे कम शिक्षित लोग हैं। उनको जब तक प्रचार आदि द्वारा उत्साहित नहीं किया जाता तब तक वे आकर्षित नहीं होते।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो चमड़े का काम करने वालों के सब के यहां जा जा कर ट्रेनिंग की बात कही गई थी और बराबर कोशिश की गई कि वे आवें। पर जब इसके बावजूद भी नहीं आये तो ऐसी सूरत में क्या करते, कैसे चला सकते थे।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : जब आप वज़ीफ़ा देते हैं और तब भी नहीं आते हैं तो इसमें नहीं आने का क्या कारण है इसका भी पता लगाने का आपने कभी प्रयत्न किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : काफी कोशिश की गई कि वे आवें पर वे आना स्वीकार ही नहीं करते।

श्री रामचन्द्र : किसने प्रयत्न किया संचालक ने या कल्याण विभाग ने ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विकास कार्यालय की ओर से विकास अधिकारी ने किया।

श्री रामचन्द्र : अब कितने विद्यार्थी हों तो चल जावेगा ?

डॉ० चन्द्रकला : अब तो बन्द ही हो गया।

प्रश्न संख्या ८४६

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थित)

तहसील डेगाना में भैरून्दा बांध

८४७. **श्री मंगलसिंह** (रानीवाड़ा, श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा पूछा गया) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

तहसील डेगाना, जिला नागौर में भैरून्दा बांध के कब तक बंध जाने की आशा है तथा अब तक इसका कितना कार्य हो चुका है ?

उप मंत्री सिंचाईविभाग (श्री भीखाभाई) : कार्य शुरू होने के बाद सम्पूर्ण होने में करीब १।। वर्ष लगेगा । अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है । इसके तीन बार टेन्डर मांगे जा चुके हैं । टेन्डर की स्वीकृति पर ही काम प्रारम्भ कर दिया जावेगा ।

श्री लक्ष्मीचन्द : ये टेन्डर कब कब मांगे गये थे ?

श्री भीखाभाई : यह इत्तला तो नहीं है पर चार टेन्डर मांगे गये थे । पर शिडयूल रेट से ३३ पर्सेन्ट ऊपर आने के कारण गवर्नमेन्ट को रेफर किया है, यहां जल्दी ही ऑर्डर निकलने वाला है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : इतनी बार टेन्डर मांगने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : टेन्डर ३३ पर्सेन्ट तक शिड्यूल रेट से ऊंची होना ।

प्रश्न संख्या ८४८

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

बामनवास से मोरां तक की सड़क को पक्की बनाने के सम्बन्ध में

८४९. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(अ) क्या सरकार को विदित है कि बामनवास से मोरां तक जो बस जाती है वह सड़क कच्ची होने के कारण वर्षा ऋतु में बन्द हो जाती है और इस प्रकार चार मास तक यातायात बन्द होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(आ) क्या इस ८ मील के टुकड़े को पक्का बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने समय में और यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की ओर से): (अ) जी हां । बरसात में थोड़ी परेशानी होना स्वाभाविक है ।

(आ) कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है । अर्थाभाव के कारण ।

प्रश्न संख्या ८५०

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No.7

गर्ल्स स्कूल खानपुर में अध्यापिकाओं तथा चपरासिनों की कमी की पूर्ति

८५१. श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा सु०) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) खानपुर जिला झालावाड़ गर्ल्स स्कूल में कितनी अध्यापिकाएं हैं तथा उनकी योग्यता क्या क्या है ?

(ख) गर्ल्स स्कूल खानपुर में कुल कितनी छात्राएं हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इस स्कूल में अध्यापिकाओं तथा चपरासिनों की कमी है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक इस कमी की पूर्ति की जा सकेगी ?

उप मंत्री वित विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल, शिक्षामन्त्री की ओर से) : (क) सात अध्यापिकाएं हैं। उनको योग्यता निम्न प्रकार है :

(१) श्रीमती रामप्यारी देवी, प्रधान अध्यापिका, विशारद, साहित्य रत्न।

(२) श्रीमती उमादेवी, मैट्रिक।

(३) श्रीमती रामवाणी देवी, अपर मिडिल।

(४) श्रीमती चेतन बाई, अपर मिडिल।

(५) श्रीमती स्वर्णलता, मिडिल।

(६) श्रीमती चन्द्रकान्ता देवी मिडिल।

(७) श्रीमती कस्तूरीबाई, अपर मिडिल।

(ख) १३७ छात्राएं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि विशारद और साहित्य रत्न एक के बाद एक ऊपर की डिग्री है जैसे बी. ए., और एम. ए. तो साहित्य रत्न कह देने के बाद विशारद कहने की आवश्यकता नहीं होती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपकी साहित्यिकता के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं पर जो इन्फोर्मेशन मेरे पास आई है वह मैंने आपको दी है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : चाहे गलत ही आई हो। ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। यह कहना कहां तक उचित है कि जो इन्फोर्मेशन आई है वह दी गई है। यह ज़िम्मेदारी हाउस में देने वाले की नहीं हाउस में रखने वाले की है। यहां कोई भी इन्फोर्मेशन देने की सारी ज़िम्मेदारी मन्त्रीजी पर है और वे यह कह कर अपनी उस ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकते कि उनके यह इन्फोर्मेशन आई है। उनका यहां पोस्ट ऑफिस का काम करने का वर्क नहीं है। सारी इन्फोर्मेशन देने का पूरा दायित्व उन पर है। इससे वे किसी तरह से बचना चाहें तो बच नहीं सकते।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इन्फोर्मेशन तो सही दी है।

श्री भैरोंसिंह : कहा न कि, जैसा बताया वैसा कह दिया।

श्री दयाकृष्ण विजय : चपरासियों की कमी है मिडिल स्कूल में, कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : ये तो कहते हैं कमी है ही नहीं।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : यह जानकारी किससे प्राप्त की ?

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो कार्यालय से ही मालूम किया गया है बल्कि जहां तक मालूम हुआ है यह स्कूल ओवर स्टाफ्ड है।

(हंसी)

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : कितनी चपरासिनें हैं इस मिडिल स्कूल में ?

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : कम होने का कारण यह है कि जितनी चपरासिनें हैं उनमें से दो तीन तो उनकी अर्दली में मकान पर रहती है। इसलिये स्कूल में कमी है। वैसे स्टाफ में कमी नहीं है, अर्दली में रहने से कमी हो जाती है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

पशु मेला सेवाडिया व सांचोर में पानी का प्रबन्ध

८५२. **श्री मंगलसिंह** (रानीवाडा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् ५५–५६ में पशु मेला सेवाडिया (जालोर) व सन् ५७–५८ पशु मेला, सांचोर (जालोर) में सरकार द्वारा पानी के प्रबंध के लिये कितना कितना रुपया व्यय करना पड़ा ? तुलनात्मक आंकड़े बतावें।

उपमन्त्री सहकारी व कृषि विभाग (श्री दौलत राम सारण) : इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। इसलिये इसे अगली टर्न पर लिया जाय।

प्रश्न संख्या ८५३

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूलाल करोल।

मिडिल ट्रेन्ड टीचर्स को सलेक्शन ग्रेड

८५४. **श्री नाथूलाल करौल** (लालसोट-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दो साल के मिडिल ट्रेन्ड टीचर्स को सलेक्शन ग्रेड दिया गया है ? यदि हां, तो किस साल से ?

(२) क्या जयपुर ज़िले में इस ग्रेड के पाने वाले शिक्षकों को उनका एरियर अब तक नहीं दिया गया है ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

उपमंत्री, वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल, शिक्षा मंत्री की ओर से) : (क) जी हां। सन् १६५७ से।

Page No.9

(श्री नाथूलाल करौल)

(ख) जी हां ।

(ग) क्योंकि ट्रेज़री ऑफिसर, जयपुर ने एरियर बिल पास नहीं किया ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, ज..र) : सन् ५७ से एरियर बाकी हैं अब तक यही कार क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका एरियर बिल बनाया गया लेकिन जयपुर के ट्रेज़री ऑफिसर ने इसको पास नहीं किया। इसके ऊपर विभाग को एतराज किया गया और डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन ने भी लिखकर भेजा और अकॉउन्टेन्ट जनरल के पास भी यह गया और उनसे कहा गया कि इसको जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाये। कार्यवाही जारी हैं और जल्दी हो जायेगा ।

डॉ० चन्द्रकला : यह एरियर कब तैयार करके ट्रेजरी में भेजा गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह एरियर बिल तैयार कर के ५ सितम्बर, ५७ को भेजा गया ।

डॉ० चन्द्रकला : तो सन् ५७ से ५६ हो गया याने दो साल हो गए और अध्यापकों को उनका एरियर नहीं मिला। इस तरह कैसे काम चल सकता है ? और पूरे जयपुर जिले की ही अध्यापकों की यह हालत है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया यह वापिस अकॉउन्टेन्ट जनरल के पास गया था और टेक्निकल खामी रह गई थी इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन करके ट्रेजरी ऑफिसर ने इस बिल को पास नहीं किया था इसलिए बाद में भेजा गया और वह सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही हो जायेगा ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : यह टेक्निकल खामी किस अधिकारी की गलती से रही ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो फार्मल डिफेक्ट रह गया था कि जिसकी पूर्ति करनी चाहिए थी वह नहीं की गई। ऐसी शकल में देरी हो गई ।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या यह सच है कि बहुत से अध्यापकों का एरियर कई सालों का बकाया पड़ा है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : मुझे ऐसी कोई इनफरमेशन नहीं है। किसी पर्टिक्यूलर केस के बारे में आप जानकारी देंगे तो बताया जा सकता है। यह कोई जनरल बात नहीं है कि सब अध्यापकों के एरियर पड़े हुए हैं। यह तो सिर्फ जयपुर ट्रेजरी का ही एक केस ऐसा आया है। उसमें क्योंकि फार्मल डिफेक्ट था, इसलिए नहीं हुआ ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार कोई आश्वासन या निश्चित समय बता सकती है कि कब तक इनका एरियर पे कर दिया जायेगा ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : जी हां, जल्दी ही कर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुगनचंद जैन ।

Page No.10

बेगूं के जेल भवन का निर्माण

८५५. **श्री सुगनचन्द जैन** (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ के जेल भवन का निर्माण किस सन् की कौन सी तारीख को शुरू किया गया और ठेकेदार का क्या नाम है ?

(२) अब तक कितना काम हुआ और कितना बाकी है ? इतने दिनों तक काम पूरा नहीं होने का क्या कारण है व अब कब तक पूरा हो जावेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से) : (१) सन् १९५४ में १५ मई को। ठेकेदार था मानकलाल पोरवाल।

(२) यह कार्य पूर्ण हो गया है।

श्री सुगनचंद जैन : माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहूंगा कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है और करीब करीब ४ साल से उसका काम धीरे धीरे मंद गति से चल रहा है, और जो जेल की हालत है वह यह है कि वहां पर कैदी इस तरह रहते हैं कि गर्मी के दिनों में तो उनके रहने की भी जगह नहीं है और बन्द कमरे में पड़े रहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी यह है कि १५-४-५४ को इसका ठेका दिया गया और लोहे का काम का २०–३–५५ को ठेका दिया गया और यह एक उदयपुर की एक फर्म को दिया गया था। अब उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया है और जेल भवन का काम पूरा हो गया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या ठेके में टाइम लिमिट नहीं थी कि इतने दिनों में काम पूरा करना पड़ेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टाइम लिमिट में ही काम पूरा कर दिया। लोहे का काम जो बकाया रह गया था वह बाद में हुआ।

श्री भैरवलाल काला बादल (अकलेरा-सु०) माननीय अध्यक्ष, यह रिपोर्ट सरकार की ओर से गलत दी गई है और काम पूरा नहीं हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं दोबारा जानकारी कर लूंगा बाकी मेरी जानकारी यही है कि काम पूरा हो गया है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसा माननीय सदस्य कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पूरा हो गया तो क्या माननीय सदस्य झूठ कह रहे हैं ?'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : झूंठ और सचाई का तो प्रश्न नहीं है। उनके यहां असेम्बली में आने के बाद में पूरा हो गया होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर): क्या काम था ? जेल कुछ विशेष बढ़ानी थी या क्या काम करना था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जेल भवन

Page No.11

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

के निर्माण का काम था ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जेल भवन पहले नहीं था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले के भवन की हालत अच्छी नहीं थी । इसलिए नया बनाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करौल ।

तहसील चाकसू में श्यामपुरा बांध

८५६. श्री नाथूलाल करौल (लालसोट सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला जयपुर तहसील चाकसू में श्यामपुरा ग्राम का बांध बनाने हेतु कागजात चल रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति हुई या नहीं ? यदि नहीं हुई तो क्यों ?

उप-मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां ।

(ख) स्वीकृति अभी हुई नहीं क्योंकि योजना की टैक्निकल जांच अभी जारी है ।

श्री नाथूलाल करौल : इसका सर्वे कब कराया गया ?

श्री भीखाभाई : सर्वे होकर एस्टीमेट्स बन गए और उसके बाद में स्क्रूटिनी यह हो रही है कि उसका रिटर्न २·६ पर्सेन्ट आये और कास्ट इसके लिए २ लाख २० हज़ार है और उससे सिंचाई होने की संभावना ८७० एकड़ की है और अब इसकी टेक्निकल स्क्रूटिनी हो रही है और एस्टीमेट के बाद में काम शुरु हो जायेगा ।

श्री नाथूलाल करौल : कब तक हो जायेगा ?

श्री भीखाभाई : मैंने आपसे कहा कि टेक्निकल जांच हो रही है । सुप्रिनटेन्डिंग इन्जीनियर के पास पड़ा है उसमें रिटर्न और तो कम नहीं बैठता है यह सारा देखने के बाद में गवर्नमेन्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होगी और काम आरम्भ होगा ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : किस विषय की टैक्निकल जांच हो रही है ? On what matter you are making that technical enquiry ?

श्री भीखाभाई : I am sorry Sir. The Hon'ble member has not understood me. Because you know the Survey Deptt.takes 6 months and then it is submitted and finalised and then it is submitted to the Chief Eingineer and then he examines it and then he submits for the sanction...

श्री पी० के० चौधरी : What is the return ?

श्री अध्यक्ष : 2.6

श्री पी० के० चौधरी : On what it is based then...

प्रश्न संख्या ८५७

Page No.12

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास

(अनुपस्थित)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

कृषि कालेज, जोबनेर की उन्नति

८५८. रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कुछ समय पूर्व कृषि कालेज, जोबनेर व कृषि कालेज़, उदयपुर में कोई फर्क न रखे जाने के सम्बन्ध में कोई संघर्ष हुआ था तथा उस समय सरकार की ओर से साफ घोषणा की गई थी कि उन दोनों संस्थाओं में पैरिटी रहेगी ?

(ख) यदि हां, तो फिर जोबनेर कृषि कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं अभी तक क्यों नहीं खोली गई जब कि यह कक्षाएं उदयपुर में खोल दी गई हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि कृषि कालेज़ उदयपुर गत वर्ष ही टी० सी० एम० की कोटि में आ गया तथा जोबनेर कृषि कालेज़ को इस कोटि में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां बिजली का प्रबंध नहीं किया गया है ?

(घ) क्या सरकार अब कृषि कालेज़, जोबनेर में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं तथा बिजली का प्रबंध करने का विचार रखती है ?

(ङ.) यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): कृषि मंत्री की ओर से) : (क) जी, इस प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ और न इस प्रकार की कोई घोषणा की गई ।

(ख) उदयपुर कृषि कॉलेज़ में भी पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं नहीं खोली गई हैं। अतः जोबनेर कृषि कालेज़ में ये कक्षाएं खोलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कृषि कॉलेज़, उदयपुर को योजना आयोग से सहायता प्राप्त है और इसी कारण से टी० सी० एम० में सहज से ही ले लिया गया। जोबनेर कृषि कॉलेज़ पर सारा व्यय राज्य सरकार ही उठा रही है। केवल बिजली का प्रबन्ध न होना ही इसके टी० सी० एम० में न लिया जाने का कारण नहीं है किन्तु बिजली की व्यवस्था की जा रही है ।

(घ) बिजली लगाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं खोलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है किन्तु यथा सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय अगर देखा जाता है तो मंत्री महोदय यह गलत फरमा रहे हैं कि वहां के लिए यह करार नहीं किया गया था कि जोबनेर और उदयपुर की कॉलेज एब्सोल्यूट पैरिटी में हैं। यह गलत धारणा है और इस चीज के लिए चैलेन्ज कर सकता हूं और इस असेम्बली हाल के अन्दर बैठे हुए माननीय सदस्य हैं वह जानते हैं और प्रेस और

Page No.13

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

प्लेटफार्म के अन्दर बराबर इसके लिए कहा गया है।

श्री अध्यक्ष : यह घोषणा कहां की गई थी ? लिखित में दी है या....

रावल श्री नरेन्द्र सिंह : लिखित में।

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) इस सदन में की हुई है घोषणा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यहां हाउस में घोषणा की गई है, लिखित में है और चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ने प्रेस में और प्लेटफार्म में दोनों में इसके लिए लिखा हुआ मौजूद है और राज्य के कानून में भी लिखा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि गरीब जोबनेर कॉलेज का जब मौका पड़ा तो बजट के समय में गुलेटिन लग गया। इसके लिए उस दिन भी जवाब नहीं दिया गया और आज भी मंत्री महोदय इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, कृषि मंत्री महोदय के मौजूद नहीं होने की वजह से यह गलत बयान कर रहे हैं। या तो मेरा चेलेन्ज मंजूर किया जाय। मैं कल ही बताऊंगा

श्री अध्यक्ष : हां, बता देना।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) हां, प्रश्न यह उठता है कि दोनों कॉलेज एक से हैं और दोनों का विकास एक सा होना आवश्यक है। इसकी आप घोषणा करें या नहीं। तो इस प्रकार की भिन्नता क्यों की जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई भिन्नता नहीं की जा रही है। आपका सवाल था कि जोबनेर कृषि कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं अभी तक क्यों नहीं खोली गई जब कि यह कक्षाएं उदयपुर में खोल दी गई हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ तो वहां भी नहीं खुली हैं। अब वहां बिजली भी शीघ्र ही लगा दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन अगले वर्ष से खुल रही हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने उस दिन भी निवेदन किया था। २ लाख ७३ हज़ार रुपये इस बजट में रखे गये हैं और यहां बजट का प्रश्न है और ७ लाख ६७ हज़ार रुपया उदयपुर के लिये रखा गया है। याने तिगुना फर्क है। इसके अलावा सिविल वर्क्स में वहां २२ लाख ६५ हज़ार रुपये रखे गये हैं और यहां ४ लाख रुपये ही रखे गये हैं और स्टाफ में भी तिगुना फर्क है इन सब का इस समय मैं जिक्र इसलिए नहीं करता कि मैं उस संस्था का एक्स प्रोपराइटर रहा हूं क्योंकि मैंने तो उसको दे दिया और अपनी असेट्स और लाइबिल्टीज़ के साथ दे दिया और गवर्नमेन्ट ने मंजूर कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेन्ट ने इतना फर्क क्यों रखा है, इसका प्रश्न है। तो यह फर्क क्यों होता है और संस्था के लिए प्रश्न आता है तो बजट के अन्दर ही में नहीं बोलूगां तो किस दिन बोलूंगा। इसके अलावा उदयपुर कालेज को चले ही तीन वर्ष हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : अब तो बिजली भी लगाने का आश्वासन दिया है।

Page No.14

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आश्वासन तो दिया है लेकिन वह पूरा हो जायेगा तब है

श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम-का-थाना) : यह प्रश्न है या भाषण है ?

श्री मुरलीधर व्यास : स्पष्टीकरण है मंत्री महोदय ने कहा कि भिन्नता नहीं है। इससे स्पष्ट मालूम पड़ गया कि कितनी भिन्नता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भिन्नता की बात नहीं है। वे कह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ खोली गई हैं मैंने कहा कि नहीं खोली गई हैं। बिजली की व्यवस्था वहां पर प्राईवेट कम्पनी कर रही है। यहां पर भी बिजली आयेगी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जोबनेर कॉलेज में भी उस वक्त खोल देने का प्रावधान होगा जिस समय कि उदयपुर में खोलगें। उदयपुर तैयार हो रहा है खोलने के वास्ते। मैं निवेदन करूंगा कि आपके पास में गलत इन्फोर्मेशन हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तक तो नहीं खोला गया है। यह जवाब तो आप ठीक मानते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जोबनेर कॉलेज पहले खुला है या उदयपुर का पहले खुला है ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): लड़के कहां पर ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मंत्री महोदय या तो विश्वास दिलायें या मेरा चैलेन्ज मन्जूर होना चाहिए।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

पुलिस विभाग में द्वितीय श्रेणी शीघ्रलेखक का स्थान

८५६. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में द्वितीय श्रेणी शीघ्र लेखक ग्रेड का केवल एक ही स्थान रखा गया है इसलिए केवल एक के अतिरिक्त अन्य शीघ्र लेखकों को जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा द्वितिय श्रेणी लेखक की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी के ग्रेड नहीं दिये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कई अन्य विभागों में जहां द्वितीय श्रेणी के शीघ्र लेखकों के स्थान हैं वहां तृतीय श्रेणी की योग्यता रखने वाले शीघ्र लेखक ही कार्य कर रहे हैं ?

(३) क्या सरकार उन विभागों में उन जगहों पर जो द्वितीय श्रेणी के शीघ्र लेखकों के लिये नियत हैं वहां द्वितीय श्रेणी की योग्यता प्राप्त शीघ्र लेखकों को स्थानान्तर कर उनके साथ न्याय करेंगी ?

Page No.15

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई गृह मंत्री की ओर से): (१) पुलिस विभाग में द्वितीय श्रेणी के शीघ्र लेखकों का केवल एक ही पद है। ७ द्वितीय श्रेणी के शीघ्र लेखकों में से एक उपरोक्त पद पर एक स्पेशल आई. जी. पी. एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट में द्वितीय श्रेणी के शीघ्र लेखक के पद पर नियुक्त है एवं ५ अभी तृतीय श्रेणी के शीघ्र लेखक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

(२) इसकी सूचना प्राप्त की जा रही है।

(३) परिस्थिति के अनुसार समुचित कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द।

रामगढ़ से सीकरी तक सड़क तथा रूपारेल नदी पर पुल

८६०. श्री गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि रामगढ़ से सीकरी तक की सड़क कच्ची है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है, कि रामगढ़ से गोविन्दगढ़ के बीच में रूपारेल नदी बहती है जिसके कारण लगभग चार माह यातायात बन्द रहता है ?

(ग) यदि हां, तो उक्त सड़क व रूपारेल नदी का पुल कब तक पक्के बनाये जा सकेगें ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से) :

(क) जी हां।

(ख) रूपारेल नदी में बाढ़ आने पर कुछ समय ट्रेफिक रुक जाता है।

(ग) यह कार्य द्वितीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

जोधपुर, जैतारण, बर जाने वाली सड़क

८६१. श्री भैरूसिंह (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) जोधपुर, जैतारण, बर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और यह सड़क कब बनकर तैयार हो गई ?

(ख) बिलाडा तहसील के किन किन गांवों में होकर यह सड़क बनाई गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि बिलाड़ा तहसील के जिन काश्तकारों की जमीन इस सड़क के लिये अवाप्त की गई है उनको अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(घ) क्या यह सही है कि इन काश्तकारों से ऐसी भूमि का जो सड़क में काम आगई है, अब भी लगान वसूल किया जा रहा है ?

(ङ) यदि प्रश्न नं० (ग) का उत्तर हां में हो तो इन काश्तकारों को कब तक मुआवजा दिया जावेगा ?

Page No.16

(श्री भैरूंसिंह)

(च) यदि प्रश्न (घ) का उत्तर हां में हो तो क्या सरकार उन काश्तकारों को उनकी वसूलशुदा रकमें वापस दिलाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्री प्रसाद **गुप्ता,** सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से):

(क) सन् १९५४ में आरम्भ होकर सन् १९५८ में समाप्त हुआ ।

(ख) बोनावास, कापरड़ा, पात्री, पिचियाक, बिलाड़ा, कारिया होकर गई है ।

(ग) कुछ दिया है और कुछ देना बाकी है ।

(घ) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(ङ) सन् १९५९–६० में दिए जाने की संभावना है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह (बिलाड़ा) : लास्ट में क्या फरमाया है ? लास्ट क्वेश्चन का जवाब सुनने में नहीं आया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वसूलशुदा रकम की वापसी का सवाल है, वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंध रखता है । वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

प्रश्न संख्या ८९२

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

राशमी ग्राम में सहकारी समितियां

८९३. श्री जयचन्द मोहिल (कपासिन-सु०) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी ग्राम में कितनी सहकारी समितियां बनाई गई ?

(२) उक्त ग्राम में बनी सहकारी समितियां किस किस प्रकार की हैं और कौन कौनसी किस किस सन् और तारीखों में बनाई गई हैं ?

(३) इस ग्राम में क्या एक ही प्रकार की दो सहकारी समितियां हैं ? यदि हां तो क्या पहले बनी उक्त समिति में सबके सब सदस्य हरिजन होने से यह दूसरी समितियां बनानी पड़ी हैं ?

उप-मंत्री, सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) तीन ।

(२) १. राशमी बहुद्देशीय सहकारी समिति लि० दिनांक २५-२-५६ को बनाई गई । प्रकाश बहुधन्धी सहकारी समिति अनलि० राशमी दिनांक ६-७-५७ को बनाई गई ।

२. राशमी घाणी तेल उत्पादक सहकारी समिति लि० दिनांक १९-८-५८ को बनाई गई ।

(श्री दौलतराम सारण)

(३) हां, इस ग्राम में एक ही प्रकार की दो सहकारी समितियां हैं परन्तु दूसरी समिति बनाने का कारण पहली में हरिजनों का होना नहीं है बल्कि ग्राम का बड़ा होना है। जिसकी कि आबादी लगभग २२०० है ।

श्री जयचन्द मोहिल : क्या इस प्रकार से एक ही ग्राम में एक ही समय में एक ही प्रकार की दो सहकारी समितियां बनाई जा सकती हैं ?

श्री दौलतराम सारण : नियमानुसार कोई बाधा नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर): २२०० की आबादी के ग्राम को इतना बड़ा ग्राम सरकार मानती है कि एक ही प्रकार की दो सहकारी समितियां बनाई जा सकती हैं ?

श्री दौलतराम सारण : कोई आपत्ति नहीं है अगर लोग नियमानुसार काम करने को तैयार हों तो।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इस प्रकार से दूसरे गांवों में एक ही तरह की दो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस प्रकार की बनाना चाहते हैं तो प्रतिबन्ध लगाते हैं कि बना नहीं सकते हैं। इस प्रकार का अगर कहीं नियम हो तो सब जगह एक सा तरीका होना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : नियमानुसार कोई बाधा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : ऊदासर के गांव के अन्दर एक ही प्रकार की दो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मेम्बर्स पुकार पुकार कर चिल्ला रहे हैं तो उनसे कहा जाता है कि एक बनी हुई है इसलिए दूसरी नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऐसा नियम नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आप जानकारी दे रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां अगर दूसरी बनाना चाहते हैं, तो नियमानुसार इजाज़त देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : अगर समिति बनाने के उपयुक्त संख्या है, और बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से नियमानुसार कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : अब संख्या का सवाल आया है। अभी आपने कहा था कि हमारी तरफ से छूट है अगर बनाना चाहते हैं तो फिर इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों लगाते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : आपका कहना है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के रूल्स बने हुए हैं और अगर रूल्स में कोई केस कवर होता है तो इन्कार नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : रूल्स बने हुए हैं। रूल्स में है कि एक गांव में एक ही तरह की दो नहीं बना सकते हैं और आपने फ़रमाया है कि दो बना सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि एक ही तरह की दो कोआॅपरेटिव सोसाइटी नहीं बना सकते हैं।

श्री जयचन्द्र मोहिल : छोटी सादड़ी में १० हज़ार घरों की आबादी है। वहां पर एक चर्म उद्योग सहकारी समिति बनी हुई है और दूसरी के लिए प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन उसके लिए इन्कार कर दिया गया है कि इस प्रकार के नियम नहीं हैं कि एक ही जगह, एक ही ग्राम में, एक ही प्रकार की दो सहकारी समितियां बनाई जायं।

श्री दौलतराम सारण : आप जानकारी दे रहे हैं। मैंने कहा कि नियमानुसार कोई बाधा नहीं है। अगर सदस्य संख्या नियमानुसार है और बनाना चाहें तो बना सकते हैं।

श्री जयचन्द्र मोहिल : प्रश्न संख्या का नहीं है। सदस्यों की संख्या नियमानुसार है और आवेदनपत्र भेज दिया लेकिन रजिस्ट्रार कोआॅपरेटिव सोसाइटी ने कहा कि एक ही गांव में एक ही प्रकार की दो सोसाइटीज़ नहीं बनाई जा सकती हैं और आप फरमा रहे हैं कि बनाई जा सकती हैं।

श्री दौलतराम सारण : नियम का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने स्पष्ट बतलाया है। प्रश्न यह है कि यह देखा जाता है कि व्यवहारिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। वहां दो-एक तरह की समितियों में आपस में कम्पीटिशन नहीं हो। वहां एक ही तरह की एक ही सोसाइटी बने ताकि काम अच्छा चले। यह ख्याल रखा जाता है अच्छे संचालन के दृष्टिकोण से।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या विभाग की तरफ से ऐसा ही कोई सक्यूर्लर इश्यू किया हुआ है कि एक ही गांव में एक ही तरह की दो सोसाइटीज़ को रजिस्टर नहीं किया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : मुझे सक्यूर्लर की जानकारी नहीं है। निश्चित बतलाया जाय तो इन्क्वायरी करवा सकता हूं।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह सही है कि जो सहकारी समिति बनाई गई है पहले वह प्योर हरिजनों की है। उसको ऋण देने से इसलिए इन्कार किया जा रहा है कि दूसरी सहकारी समिति को लोन दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : पहली जो सहकारी समिति राश्मी बहुद्देशीय सहकारी समिति है इसमें १३ रेगर हैं और दूसरी सहकारी समिति के अन्दर अनेक जातियों के ६१ सदस्य हैं तो उसमें हरिजन भी हैं, मोची भी हैं और दूसरी हरिजन जातियां भी हैं। इसीलिये उसको लोन नहीं दिया जाता है यह ठीक नहीं है। लोन तो नियमानुसार सभी को दिया जा सकता है। नियमानुसार सभी लोन-पत्र भरकर भेजेंगे तो दिया जायगा।

श्री जयचन्द्र मोहिल: क्या आप इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं कि दर असल में इसी कारण से उनको लोन देने से रोका जाता है।

श्री दौलतराम सारण : आप लिख कर देंगे तो एन्क्वायरी कर लेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या यह सही है कि उन्हें इसलिए ऋण दिया

Page No.19

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जाता है कि उसमें प्योर हरिजन हैं और दूसरी में इम्प्योर हरिजन हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि पहली समिति में जिसमें कि रेगर हैं उसमें अगर दूसरे लोग सदस्य बनना चाहें लेकिन उन्होंने इन्कार किया हो कि तुम नहीं बन सकते ।

श्री दौलतराम सारण : यह तो जो सदस्य समिति बनाते हैं उन पर निर्भर करता है । अगर कोई बनना चाहे और उन्होंने इन्कार किया तो गलती करते हैं । अगर बनना नहीं चाहते तो क्या दोष है ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सवाल यह नहीं है कि इस सोसाटी को भी लोन दिलायेंगे सवाल यह है....

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा कि नियमानुसार ऋण लेने का आवेदनपत्र दें और जिस प्रकार दूसरी समितियों को ऋण मिलता है उसी प्रकार से ऋण दिया जायेगा ।

श्री जनार्दनराय नागर : प्रश्न यह है कि उस सोसाइटी को भी ऋण नियमानुसार दिलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का कहना है कि इस कारण से ऋण रिफ्यूज नहीं किया जायगा कि दो समितियां हैं ।

गढ़ी हाई स्कूल में इतिहास पढ़ाने की व्यवस्था ।

८६४. श्री नाथूराम (बागीडौरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि गढ़ी हाई स्कूल में पूरे सत्र से इतिहास पढ़ाने वाला कोई अध्यापक नहीं है ? यदि हां तो क्या छात्रों को उक्त विषय के अध्यापक के अभाव में अध्ययन में बाधा उपस्थित नहीं हुई ?

(ख) क्या ज़िले की दूसरी शालाओं में इतिहास विषय के अध्यापक नहीं थे जिन्हें गढ़ी हाई स्कूल में स्थानांतरित कर कमी की पूर्ति की जा सकती थी ?

(ग) क्या सेकन्डरी बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान है कि विषय अध्यापक ही वह विषय पढ़ावें ।

उप-मंत्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्दधारीवाल शिक्षा मन्त्री की ओर से) :

(१) जी हां । किन्तु छात्रों के अध्ययन में बाधा उपस्थित नहीं हुई ।

(२) क्योंकि कार्य सुचारु रूप से चल रहा था इसलिय किसी दूसरे स्कूल से किसी अध्यापक के स्थानान्तर करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

(३) जी हां ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार-जयपुर) इतिहास का अध्यापक नहीं होने से इतिहास की पढ़ाई कैसे कराई गई ?

श्री रिखबचन्द्र धारीवाल : इन्टरमीजियेट में जिनके हिस्ट्री होती है तो इन्टरमीजियेट हिस्ट्री के स्टूडेन्ट पढ़ाते हैं । ऐसी

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

बात नहीं है कि इतिहास के विशेषज्ञ या इतिहास में एम.ए. हो वही इतिहास को पढ़ा सकता है इसलिए स्कूल के अन्दर इस अभाव से कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। और दूसरे स्कूलों से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी कमी थी इसलिए वहां से भेजते तो वहां पर कमी पड़ जाती।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, पिछड़े हुए इलाकों में जो हाई स्कूल्स हैं उनमें हर साल अध्यापकों की कमी की वजह से कई लड़के फेल हो जाते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस स्कूल के अध्यापक ट्रेनिंग के लिये गये थे इसलिए कमी रही। इसलिये दूसरे अध्यापकों से काम चलाया जा रहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या छात्रों ने शिकायत की है कि हिस्ट्री के टीचर नहीं होने से पढ़ाई ठीक नहीं होती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री भैंरों सिंह (श्री माधोपुर) : जो अध्यापक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ग्रेजुएट इन हिस्ट्री एंड सोशियोलोजी हैं, दो अंडर ग्रेजुएट हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या बोर्ड की ओर से इस प्रकार के नियम हैं कि अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले इस क्वालिफिकेशन के होने चाहिये। इसी प्रकार हिस्ट्री के लिये भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिये नहीं तो पढ़ा नहीं सकते ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने जो जवाब दिया है वह इस प्रकार है।

He should not be allowed for which he is not qualified for more than two subjects... लेकिन जब नहीं मिलते हैं, या किसी तरह से अभाव हो तो ऐसी स्कूलों में दूसरे जो पढ़ा सकते हैं वे पढ़ाते हैं। इस प्रकार का प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब नियम ऐसा है कि दूसरे पढ़ा नहीं सकते, यह नियम है कि उस विषय की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो दूसरे किस प्रकार पढ़ाते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह नियम नहीं है कि दूसरे पढ़ा ही नहीं सकते। नियम यह है कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिये लेकिन जब क्वालिफिकेशन वाले नहीं मिलते और दूसरे पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाने में हर्ज नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : फिर क्वालिफिकेशन किस लिये रखी है ?

श्री नाथूराम : दो वर्षों से यही स्थिति चली आ रही है इसलिये काफी लड़के फेल हुए।

श्री अध्यक्ष : अब सारी कमी पूरी कर देंगे।

Page No.21

श्री रामचन्द्र (डग सु.) : क्या हाई स्कूल क्लासेज़ को नॉन ग्रेजुएट टीचर्स पढ़ा सकते है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या ८६५

श्री अध्यक्ष : मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

स्कूलों में शारीरिक दण्ड

८६६. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) विद्यार्थियों को स्कूलों में शारीरिक दण्ड (Corporal punishment) देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या मान्यता है ?

(२) क्या यह सच है कि प्राय: शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक दण्ड दिया जाता है ।

(३) यदि हां, तो क्या सरकार आदेश जारी करके उपरोक्त दण्ड को रोकने की व्यवस्था करेगी ?

उप-मन्त्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल शिक्षा मन्त्री की ओर से) : (१) लड़कियों को...

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, सवाल खाली लड़कियों के लिये नहीं है ।

श्री रिखबचन्द्र धारीवाल : आप जवाब सुन तो लीजिये आपसे ही ताल्लुक रखता है । (१) लड़कियों को शारीरिक दण्ड देना बिल्कुल मना है । प्राइमरी क्लासेज़ के लड़कों को भी शारीरिक दण्ड देना मना है । आगे की क्लासेज़ में दण्ड उसी हालत में केवल उस स्कूल के हैड मास्टर द्वारा दिया जा सकता है जब कि वह लड़का अपने आचारण से कर्त्तव्यच्युत हो रहा हो, बहुत धृष्टता का व्यवहार करता हो, अश्लील व अशिष्ट हो रहा हो तथा बहुत बड़ी अवज्ञा कर रहा हो । यह तभी दिया जाता है जब कि उस लड़के को स्कूल से निकालना ठीक न समझा जाय ।

(२) जी नहीं, यदि ऐसी कोई शिकायत होती है तो सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ़ उचित कार्यवाही की जाती है ।

(३) शारीरिक दण्ड देना रूका हुआ ही है तथा एज़्यूकेशन कोड में भी इसका प्रावधान है ।

डॉ० चन्द्रकला : किस प्रकार का शारीरिक दण्ड दिया जा सकता है । सरकार की ओर से आपने बताया कि अमुक अमुक बातों में दिया जा सकता है तो किस प्रकार दिया जा सकता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : शारीरिक दंड ऐसा होना चाहिये जिससे, उसकी तबियत भी ठीक हो जाय ताकि ठीक तरह से काम करने लग जाय और उसके शरीर पर चोट भी नहीं आवे, जैसे चांटा लगाया जा सकता है, सर पर थोड़ा मारा जा सकता है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Hon'ble Minister demonstrate those physical corporal punishments ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : On whom ?

Page No.22

श्री जनार्दनराय नागर (मालवी) : On you ?

डॉ॰ चन्द्रकला : क्या सरकार को मालूम है कि जिन कक्षाओं में शारीरिक दण्ड वर्जित है उन कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी विकटरूप से शारीरिक दण्ड दिया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप यदि कोई पर्टिकुलर केस बतायें तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

डॉ॰ चन्द्रकला : क्योंकि ऐसे दंड दिये जाते हैं इसलिये मैंने कहा था।

श्री अध्यक्ष : वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या ऐसी भी शिकायत आई है कि केवल बच्चों को ही नहीं पीटा बल्कि मास्टर को मास्टर पीटते हैं, यदि चाहें तो मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये कोई कोड में प्रावधान नहीं है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिये कोई कोड में प्रावधान नहीं है। अगर आप बतायेंगे तो उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जायगा। आपको पता हो तो बता सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : लड़कों और लड़कियों को दंड देने में भेद क्यों रखा है ? लड़कियों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है, और लड़कों को दिया जाता है, ऐसा क्यों है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क़ुदरती फ़र्क़ है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को दंड देने में आप भी विश्वास रखते हैं। शिक्षण संस्थाओं की दृष्टि से नया दृष्टिकोण नहीं अपनाने में आज भी आप विश्वास रखते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Provided it is not vindictive.

श्री जनार्दनराय नागर : There is no question of provision. My question is different. Government believe in it today in punishing a child ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : If it is reformatory...

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : This is already an education required for the Government and they will feel reformatory...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हैड क्लर्क डूंगर कॉलेज, बीकानेर के विरुद्ध शिकायत

८३४. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री कन्हैयालाल दीक्षित, हैड क्लर्क, डूंगर कॉलेज, बीकानेर के विषय में पिछले कई वर्षों से लगातार प्रिन्सि--

(श्री गिरधारीलाल)

पल, डूंगर कॉलेज, बीकानेर के पास आये दिन लड़कों, मुलाज़िमों तथा प्रोफेसरों की शिकायतें आती रही हैं ? यदि हां, तो उनको जांच क्यों नहीं की जाती ?

(२) उक्त व्यक्ति की नियुक्ति इस कॉलेज में कब हुई ?

(३) क्या यह सही है कि चपरासियों के प्रति इनके दुर्व्यवहार के कारण इनको झाडू आदि भी कॉलेज में देना पड़ता है ?

उप-मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी नहीं ।

(२) उनकी नियुक्ति १०—३—४६ को हुई थी।

(३) जी नहीं ।

श्री गिरधारीलाल : आपने पहले भाग का क्या जवाब दिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि ६-१-५८ को इस हैड क्लर्क के खिलाफ़ शिकायत लिखित रूप में की गई थी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री गिरधारीलाल : क्या वहां के चपरासियों ने कई बार इस क्लर्क के खिलाफ प्रिन्सिपल के सामने लिखित शिकायत की है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल : शिकायत लिखित रूप में की है, इसकी जानकारी करलें तो अच्छा रहेगा ।

श्री गुमानसिंह एस. पी. के विरुद्ध अभियोग

८३५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह एवं विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ब्यावर के एस. डी. एम. के न्यायालय में मेजर फतेहसिंह एम. एल. ए. ने श्री गुमानसिंह, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के विरुद्ध एक अभियोग चला रखा है ? अगर हां, तो कब से और किस धारा के अंतर्गत ?

(ख) क्या यह सही है कि इस अभियोग में श्री गुमानसिंह की पैरवी करने के लिए सरकार ने अपने अजमेर ज़िले के पब्लिक प्रोसीक्यूटर श्री मिलापचन्द व सरकारी वकील श्री मोहम्मद मुख्त्यार को नियुक्त कर रखा है ? अगर हां, तो किस कानून अथवा नियम के अंतर्गत ?

(ग) क्या यह सही है कि इसी अभियोग में मुलजिम श्री गुमानसिंह की पैरवी करने के लिए जोधपुर के प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर श्री सम्पतराज भी उपस्थित होते हैं ? यदि हां, तो किस नियम अथवा कानून के अन्तर्गत ?

(घ) श्री गुमानसिंह की पैरवी में सरकार ने अब तक कितना व्यय किया है ?

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई—गृह मंत्री की ओर से) :

Page No.24

(श्री भीखाभाई)

(क) हां, यह अभियोग सन् १६५५ से धारा ५०० आई. पी. सी. के अन्तर्गत चल रहा है।

(ख) श्री मिलापचन्द पब्लिक प्रोसीक्यूटर, अजमेर इस केस की पैरवी के लिए मुकर्रर किये गये हैं और क्रिमिनल लॉयर श्री मोहम्मद मुख्तियार की नियुक्ति जो पहले की गई थी, रद्द कर दी गई है। यह व्यवस्था नियम २, Rules regarding Assistance to Government servants in Criminal Cases instituted by or against them के अधीन की गई है।

(ग) धारा ८३, राजस्थान पुलिस रेगुलेशन के अन्तर्गत पी. आई. जोधपुर को श्री गुमानसिंह के बचाव हेतु जब तक कि सरकार द्वारा एडवोकेट की नियुक्ति नहीं हुई थी, लगाया गया था और उसके बाद से पी. आई. एडवोकेट की सहायता करने के लिए उपस्थित रहे।

(घ) श्री गुमानसिंह की पैरवी में सरकार ने अब तक १०३३ रु० व्यय किये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री गुमानसिंह के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की स्वीकृति सरकार ने दे दी थी ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या मेजर फतेहसिंह ने मांग की थी, कि गुमानसिंह के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की स्वीकृति प्रदान की जाय ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : This is very objectionable. While replying he first asks rfom official Benches & then replies to the question.

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मेजर फतेहसिंह के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए सरकार ने इच्छा प्रकट की थी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह मुकद्मा चल रहा है ऑलरेडी, मुकद्मा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है इसलिए सैंक्शन का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : इस मुकद्मे को दायर करने के लिए गुमानसिंह ने सरकार से स्वीकृति चाही थी, सोरी श्री फतेहसिंह ने ?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता : ऐसी इस समय कोई जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह मुकद्मा सरकार की स्वीकृति से ही कोर्ट में दायर किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हो सकता है, आगे इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : हो सकता है क्या, है। यह मुकद्मा सरकार की स्वीकृति से दायर किया गया है। सरकार ने प्राइमा फेसी इस व्यक्ति को दोषी माना है, तो दोषी व्यक्ति की पैरवी करने के लिए इस प्रकार ऑफिसरों की पैरवी क्यों की ?

श्री भीखाभाई : दरअसल में जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि उसके मुताबिक

Page No.25

(श्री भीखाभाई)

रूल्स हैं। जो आफिसियल केपेसिटी में काम किये जाते हैं....

श्री भैरोंसिंह : I don't want to hear rules. I also know them... मेरा प्रश्न यह है कि प्राइमा फेसी एक व्यक्ति को दोषी मान लिया तो उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से उस व्यक्ति की पैरवी करने के लिए दो ऑफिसरों की नियुक्ति क्यों की ?

श्री भीखाभाई : स्वीकृति देने के पहले केस को प्राइमा फेसी मान लिया जाना जरूरी नहीं होता। दरअसल स्वीकृति हर मामले में सरकार से चाही जाती, सरकार को देनी चाहिए। प्राइमा फेसी केस बनता है, इसके मायने यह है कि एक तरफा कार्यवाही होती हैं, दूसरी तरफ राज्य कर्मचारी को क्या कहना है, इसके लिए उसको मौका दिया जाना चाहिए जब यह देख लिया जाय कि ऑफिसियल केपेसिटी में काम हुआ है तो सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उसका बचाव करे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि सरकार को मुकद्दमा दायर करने की सूचना मिली तो उनकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की थी कि वह किस हद तक दोषी है ?

श्री भीखाभाई : यह उससे पूछ लिया जाता होगा। फ्री प्रेस जनरल में वक्तव्य निकला था, गुमानसिंह का, सोरी, श्री फतेहसिंह के सम्बन्ध में निकला था. इसलिए उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी और उनको स्वीकृति दे दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है, कि राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार सरकार का कोई अधिकारी प्रेस रिपोर्टर को कोई वक्तव्य नहीं दे सकता ?

श्री भीखाभाई : यह सही है लेकिन यह बात नहीं हुई, यह प्रमाणित नहीं हुआ है। सरकार के सामने अखबार की कटिंग पेश की जाय और यह कहा जाय कि स्वीकृति चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से स्वीकृति दे दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : फ्री प्रेस जनरल के अन्दर गुमानसिंह का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, वह गलत प्रकाशित हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : This is a subject of enquiry in the Court.

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : अदालत में इस बात की जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : अदालत से केस विथड्रा कर लिया है। प्रश्न यह है कि इस मामले को लेकर पर्मीशन मांगी गई और पर्मीशन लेकर मुकद्दमा दायर किया गया है। यह फेक्ट है कि अखबार में वक्तव्य निकला जब कि कोई सरकारी अधिकारी, वक्तव्य नहीं निकाल सकता और इसके अलावा डिफेमेटरी वक्तव्य नहीं निकल सकता। गवर्नमेन्ट ने इस विषय को लेकर परमीशन दी और उस व्यक्ति को दोषी मान कर पर्मीशन दी है तो गवर्नमेन्ट उस व्यक्ति की पैरवी करने के लिए १०३३ रु० का खर्चा क्यों करती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हो सकता है कि वह दोषी हो। पर इस स्टेज़ पर नहीं

Page No.26

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कह सकते, कि वह दोषी है जब तक कि कोर्ट से साबित नहीं हो जाता। एक प्रेस के अखबार में वक्तव्य निकला, उसके आधार पर स्वीकृति चाही, वह स्वीकृति दे दी।

श्री भैरोंसिंह : यह किस आधार पर कहते हैं कि वह दोषी नहीं है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : आप किस आधार पर कहते हैं कि वह दोषी है ?

श्री भैरोंसिंह : इस आधार पर कि अखबार में स्टेटमेंट देखा है, उसे असेम्बली में पेश किया गया है। इस आधार पर प्राइमा फेसी केस हो जाता है कि वह दोषी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसीलिए स्वीकृति दी गई। यह कहा गया कि इनका वक्तव्य निकाला है, इसलिए स्वीकृति दी। लेकिन रूल्स पर्मिट करते हैं कि सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : पर्मीशन जब दी गई, तो वह व्यक्ति ऑफिसियल केपेसिटी में एक्ट कर रहा था, इसलिए सरकार ने पेरोकार रखने की इजाजत दी। क्या माननीय मन्त्री जी बता सकते हैं कि कौनसा एक्शन ऑफिसियल कैपिसिटी में लिया कि जिसके कारण पेरोकार रखने की इजाजत दी गई ?

श्री भीखाभाई : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दर असल में प्रश्न है, वह डिफेन्ड करने का है, ५०० दफा के बारे नहीं है। फिर भी जो सवाल पूछे गये हैं, उनका जवाब दे दिया गया है। कोई प्रेस कटिंग सरकार के सामने आती है, उसको अधिकारी के सामने पेश किया जाता है कि अमुक अधिकारी ने इस प्रकार की हरकत की है, सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उसकी स्वीकृति दे। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, कि पर्मीशन दी गई। मैं तो अभी तक मानने को तैयार नहीं हूं कि पर्मीशन दे दी गई है। उसको पर्मीशन नहीं दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा है, मन्त्री जी कहते हैं कि परमीशन दी गई है, और उप-मन्त्री कहते हैं कि पर्मीशन नहीं दी गई। They should come prepared in the House...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि दी है, तो ऐसी बात है। आपने कहा था कि मान कर चलें कि पर्मीशन दी है, फिर आपने प्रश्न पूछा।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय ने कहा है कि पर्मीशन दी है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि मान भी लें कि पर्मीशन दी है तो यह स्थिति है।

श्री श्रीभानसिंह: मेरे प्रश्न का जवाब दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : आपने कहा कि डिफेन्ड करना चाहिए, वह कौनसा एक्शन है जिसके लिए प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है Government should see that गवर्नमेंट ऑफिसियल का एक्शन था जिसके लिए प्रोटेक्शन दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तो फाइनली कह दिया गया है कि पर्मीशन नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, वकील करने का है।

श्री श्रीभानसिंह : वकील करने की पर्मीशन दी उसके लिए गवर्नमेंट ने यह माना था कि एस० पी० साहब ने ऑफिसियल केपेसिटी में कार्य किया हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऑफिसियल केपेसिटी में कौनसा एक्शन था जिसके लिए वकील करने की इज़ाजत दी ?

श्री भीखाभाई : दरअसल में उन्होंने शिकायत की थी, वह यह की थी कि एस० पी० ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है। उन्होंने एस० पी० के खिलाफ शिकायत की थी, इसलिए सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उनकी रक्षा करें। दरअसल में जहां तक सबूत का सवाल है, एक्स्ट्रा सब-मजिस्ट्रेट ब्यावर और दूसरे कोर्ट में मुकद्दमा चला था, वह खारिज हो गया। अब मुकद्दमा हाई कोर्ट में गया, तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि उनकी रक्षा के लिए वकील नियुक्त करें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जो स्टेटमेंट दिया था, वह सरकारी अदायगी के लिए दिया था ?

श्री भीखाभाई : यह लीडिंग क्वेश्चन

(हंसी)

है। इससे फर्क नहीं पड़ता है। यह मामला सब-जुडिस है।

श्री भैरोंसिंह : It has been adjourned.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : But the S. P. can say anything as Guman Singh. He may give some statement in his personal capacity...

श्री अध्यक्ष : But are you sure that he gave that statement ?

श्री भीखाभाई : No. He did not give that statement. This is what Major Fateh Singh complained that he has given that statement as S. P. therefore it is the look out of the Government to protect the government employee.

श्री भैरोंसिंह : Whether it ts a fact that a Superintendent of Police cannot give any statement without formal permission of the Government.

श्री भीखाभाई : Yes. That is correct that he cannot give any statement.

श्री भैरोंसिंह : Is it correct that no permission was given..

श्री भीखाभाई : I have already made it clear that he has not given any statement.

श्री श्रीभानसिंह : प्रश्न यह आता है कि वह ऑफिसियल केपेसिटी में कौनसा एक्शन है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने पैरोकार नियुक्त करा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रश्न यह है कि यह एलीगेशन था कि ऑफिसियल

Page No.28

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

केपेसिटी में स्टेटमेंट दिया । गवर्नमेंट के सामने बात आई कि एस० पी० को प्रोटेक्शन देना है, एस० पी० को डिफेन्ड करने के लिए एक आदमी मुकर्रर किया । यह अगल से देखने की बात है कि स्टेटमेंट दिया या नहीं । उनके खिलाफ एलीगेशन था कि ऑफिसियल केपेसिटी में कार्य किया गया, इसलिए उन्हें मदद दी गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या गुमानसिंह से जानकारी की कि उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया या नहीं ?

श्री भीखाभाई : वह जानकारी की थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या कहा ?

श्री भीखाभाई : उन्होंने ना कहा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या ?

श्री भीखाभाई : ना, कहा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या गुमानसिंह को बाध्य किया कि वह अखबार की कटिंग थी, उस अखबार में उनके नाम से स्टेटमेंट छपा था ?

श्री भीखाभाई : बाध्य करने का सवाल नहीं है । यह मर्जी का सवाल था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सर्विस रूल्स में ऐसा प्रावधान है कि किसी अधिकारी के नाम से या उसके विरुद्ध किसी प्रकार का समाचार प्रकाशित हो, जब तक उसकी सत्यता साबित न हो जाय, तो सरकार उसके विरुद्ध लाजिमी तौर पर कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष : यह केस विथ्ड्रा हो चुका है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is a different matter if it has been withdrawn.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : The money was the Government ex-chequer Sir.

श्री भीखाभाई : मांग उनकी है ।

श्री भैरोंसिंह : जनता की मांग है कि उन पर १०३२ रुपये खर्च हुआ है, जिस प्रकार गवर्नमेंट एक दोषी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : वे खुद भी हैं ।

अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के एरियर

८३६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हाई, मिडिल एवं प्राइमरी, लड़कों व लड़कियों के, स्कूल तहसील लालसोट चाकसू के कितने अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के एरियर की रकम सरकार में बकाया है ?

(ख) यह भुगतान किस समय तक पूर्ण हो जावेगा ?

Page No.29

उप-मन्त्री, वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल, शिक्षा मंत्री की ओर से) : (क) ३७।

(ख) यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसके भुगतान में कितना समय लगेगा।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वही एरियर बकाया का सवाल है, यह एरियर्स कब से बकाया हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनमें से लेडी टीचर्स के फिक्सेशन के बिल वगैरह नवम्बर में ए० जी० के पास गये थे और कुछ फॉर्मेलिटीज़ में कमी रहने से पास नहीं हो सके। मेल टीचर्स के बारे में भी यही बात है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार महसूस नहीं करती कि अध्यापक, अध्यापिकाओं के बारे में नियमों की कोई मामूली खामी रह जाती है उनको ठीक करें ताकि उनको रुपया मिलने में इस तरह देरी न हो ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रूल्स के माफिक फोर्मेलिटीज़ तो पूरी होनी चाहिये, जो इन्फोर्मेशन मांगी है, वह तो पूरी दी जानी चाहिये, रूल्स बने हुए हैं उनकी पाबन्दी तो होनी जरूरी है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार ने जानने की कोशिश की है कि किस व्यक्ति की जिम्मेदारी से कमियां रह जाती हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो उन्हीं अध्यापक अध्यापिकाओं की गलती से रहती हैं कि वे अध्यापक और अध्यापिकाएं उन फोर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : मेजर श्री फतेहसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा प्रजासोशलिस्ट पार्टी व मजदूर संघ के दफ्तरों को गिराने के सम्बन्ध में

८३८. मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि ३० दिसम्बर, ५८ को श्री पंत, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, प्रतापगढ़ ने श्री बलदेवप्रसाद आर्य के मकान व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी व मज़दूर यूनियन के दफ्तर को गिरा कर उसे नष्ट कर दिया व उसमें का सामान जब्त कर लिया ?

(२) यदि हां, तो यह कार्यवाही पुलिस अधिकारी ने किस, अधिकार से की ?

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई, गृह मन्त्री की ओर से) : (१) जी नहीं। वैसे एस० डी० एम० प्रतापगढ़ द्वारा दफा ८८, जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत किये गये कुर्की वारंट की तामील में लकड़ी की बनी हुई आरज़ी स्टाल जिसमें कुछ सामान व फर्नीचर था एवं कुछ मामूली मूल्य का सामान उनके घर से कुर्क किया गया।

(२) इसका उत्तर भाग १ में दिया जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने किसी की इजाजत से ऐसा किया ?

श्री भीखाभाई : एस० डी० एम० के वारंट के द्वारा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या एस० डी० एम० ने इस प्रकार की इजाजत दी थी कि मकान गिरा कर कुर्क किया जाय।

श्री भीखाभाई : गिराया नहीं गया।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या अगर गिराया गया हो, तो जिसने गिराया है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री भीखाभाई : गिराया है तो...

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कोर्ट में इस प्रकार की जानकारी दी गई है कि वह मकान गिराया गया है और साफ किया गया है। एस० डी० एम० ने कोर्ट में कहा है कि हमने गिराने की आज्ञा नहीं दी थी। और आप कह रहे हैं कि नहीं गिराया गया है, तो इस प्रकार की गलत बात विधान सभा में आपकी तरफ से आये तो यह उपयुक्त नहीं।

श्री भीखाभाई : जहां तक मुझे जानकारी मिली है, कोई मकान नहीं गिराया गया, टी स्टाल था, बांस और लकड़ी का सामान था।

श्री मुरलीधर व्यास : बांस और लकड़ी का क्या मकान नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि नहीं गिराया और आप कह रहे हैं कि गिराया तो गिराया या नहीं गिराया इसका निर्णय तो अदालत ही करेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर कैसे गिर गया ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : ये क्या जाने।

श्री मुरलीधर व्यास : या तो इस चीज़ को नोट कर लें.....

श्री अध्यक्ष : देखिये इसके बारे में सदन में पहले भी बहस हो गई, इसमें तो मजिस्ट्रेट ही निर्णय दे सकता है कि गिराया या नहीं गिराया।

श्री मुरलीधर व्यास : यही तो मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो मजिस्ट्रेट की बात है सरकार थोड़े ही कर सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सब सिद्ध हो चुका है, कि किस तरह वहां लेबर यूनियन के दफ्तर को गिरा दिया, इस प्रकार की सारी बातें हो चुकी हैं फिर भी कहा जाता है, कि नहीं गिराया तो यह तो तथ्यों को छुपाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर में लड़कियों के लिये उच्चतर एवं उच्च विद्यालय

८३६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

बीकानेर शहर में लड़कियों के लिये कितने उच्चतर एवं उच्च विद्यालय हैं ?

Page No.31

(श्री भीमसेन)

उनमें बॉयलाजी की शिक्षा देने की क्या व्यवस्था है ? अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो इस कमी को दूर करने का सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

उप-मंत्री, वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल, शिक्षा मन्त्री की ओर से) : बीकानेर शहर में लड़कियों के लिये निम्नलिखित उच्च विद्यालय हैं :

(१) लेडी एल्गन हायर सेकन्ड्री स्कूल बीकानेर।

(२) महारानी गर्ल्स हाई स्कूल बीकानेर।

इन दोनों में बॉयलोजी की शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं है । इस साल महारानी गर्ल्स हाई स्कूल में बायलोजी की शिक्षा के लिये आवेदन पत्र पेश किया है, जो कि विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : बायलोजी की शिक्षा के बारे में सरकार किस साल से व्यवस्था कर देगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि विचाराधीन है, शार्दूल मल्टी पर्पज़ स्कूल में बायलोजी पढ़ाने का प्रावधान है, जो पढ़ना चाहें वहां पढ़ सकती हैं।

श्री भीमसेन : सवाल यह है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल है तो बायलोजी की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जैसा कि मैंने निवेदन किया व्यवस्था के लिये आवेदन पत्र पेश किया है, सरकार के विचाराधीन है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वहां मेडिकल कॉलेज़ खुल रहा है, तो लड़कियों के लिये बायलोजी की क्लॉसेज़ खोलना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८४०

श्री सोहनलाल भटनागर

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८४१

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, श्री मुरलीधर व्यास, के क्वेश्चन को, मेरे क्वेश्चन को और श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री के क्वेश्चन को तीनों के क्वेश्चन को अमलगमेंट कर दिया है पर तीनों का सेंस अलग अलग है, बिना हमें किसी प्रकार की इन्फ़र्मेशन दिये कैसे एमल्गमेंट किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : एक ही विषय के बारे में थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दृष्टिकोण में फर्क होता है, एक प्रश्न इनके ग्रेड के बारे में था, एक में यह था कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की राय के खिलाफ कुछ मुकदमें पेश किये जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : वह तो इसमें हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु) : मेरा अलग प्रश्न था...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा ग्रेड के बारे में और उनके फिक्शेसन के बारे में था। उनका है एरियर इन प्रोसीक्यूशंन। मेरा बिल्कुल सेपरेट सवाल है।

Page No.32

श्री अध्यक्ष : आपको जो पूछना हो पूरक क्वेश्चन पूछ लें।

प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्स्पेक्टर्स व इन्स्पेक्टर्स

८४१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु०) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि पुलिस मुकदमें अदालत में भेजने से पहले प्रोसीक्युटिंग सब-इन्स्पेक्टर्स व प्रोसीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर्स के पास कानूनी राय के लिये भेजे जाते हैं ?

(२) क्या यह सच है कि कुछ मुकदमें पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की विपरीत राय के बावजूद भी अदालत में पेश कर दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि लॉ ग्रेज्युएट प्रोसीक्यूटिंग सब इन्स्पेक्टर्स व सब-इन्स्पेक्टर्स पुलिस, जो कि केवल मैट्रिक्युलेट होते हैं, को एक वेतन दिया जाता है ?

(४) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार प्रोसीक्यूटिंग सब इन्स्पेक्टर्स का वेतन बढ़ाने व इनका केडर अलग करने के विषय में १९५३ से विचार कर रही है फिर भी कोई ठोस कदम इस दिशा में अब तक नहीं उठाया गया ?

(५) क्या यह सच है कि भारत में किसी भी स्टेट में लॉ ग्रेज्युएट्स सब-इन्स्पेक्टर्स को इतना कम वेतन नहीं दिया जाता है ?

(६) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार १९५७ में यह तय कर चुकी है कि इनका वेतन बढ़ाया जाय और उनका केडर अलग किया जाय ?

उप मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, परन्तु सिर्फ मुख्य, उलझे हुए तथा वे मुकदमें जिनमें कानूनी पेच हों उन्हीं को उनके पास राय तथा परताल हेतु भेजा जाता है।

(२) जी हां, क्योंकि एस० पी० या सर्किल इन्स्पेक्टर्स ही ऐसे मामलों में अन्तिम निर्णय देने के अधिकारी हैं।

(३) इनका केडर और वेतन एक ही है। पर प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्स्पेक्टर को २० रुपया माहवार अतिरिक्त वेतन मिलता है।

(४) पुलिस के प्रोसीक्यूटर्स का केडर अलग करने और वेतन दर बढ़ाने का मामला सरकार के १९५६ से न कि १९५३ से विचाराधीन है।

(५) सूचना दूसरे प्रान्तों से इकट्ठी की जा रही है।

(६) सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है पर अन्य पहलू जिनमें शासकीय और वित्तीय भी शामिल हैं, सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी तो क्या पुलिस द्वारा कोई कमीशन बैठाया गया था ?

Page No.33

श्री भीखाभाई : किस मामले में ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : इस मामले में कमीशन बैठाया था क्या ?

श्री भीखाभाई : कमीशन बैठाने का कोई सवाल नहीं। फाइनेन्सियल इम्प्ली-केशन्स हैं उनके बारे में दूसरी स्टेट्स से रिपोर्ट मंगाई गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सर-कार ने क्रिमिनल ट्रायल कमेटी बनाई थी, इस बात की जांच के लिये कि पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर्स से इनका ग्रेड अलग किया जावे ?

श्री अध्यक्ष : कौनसी कमेटी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्रिमिनल ट्रायल कमेटी कि मैट्रिक्युलेट होते हैं पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर्स उनके साथ, इन लोगों को रखा जाता है, यह उचित नहीं, इनका अलग केडर और वेतन दर बनाना चाहिये ?

श्री भीखाभाई : ऐसी कोई कमेटी सरकार ने नहीं बनाई, डिपार्टमेंट ने बनाई होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि मैट्रिक्युलेट सब इन्स्पेक्टर्स को भी पी० एस० आई० मुकर्रर कर दिया जाता है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कह दिया कि मामला विचाराधीन है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह मामला और कितने साल तक विचारा-धीन रहेगा ?

श्री भीखाभाई : कितने साल की तो मैं नहीं कह सकता पर जो इन्फोर्मेशन्स दूसरे राज्यों से मंगाई गई हैं, उसके आने पर विचार किया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या यह सही है कि ऐसे भी पी० एस० आइज़ हैं जो हिन्दी भी नहीं जानते और जो आदमी बयान देते हैं वे लिख नहीं सकते जिसके कारण उन लोगों को नुकसान होता है ?

श्री भीखाभाई : यह अलग सवाल है ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या सरकार जानकारी हॉसिल करेगी कि वे हिन्दी नहीं जानते हैं, बयान नहीं लिख सकते हैं जिससे पब्लिक को नुकसान होता है ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न तो पी० एस० आईज़ के केडर बनने का तनख्वाह का सवाल है, हिन्दी जानते, नहीं जानते, यह सवाल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): प्रश्न दो में यह कहा गया कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर की राय के विपरीत भी मुकदमें आगे अदालत में पेश कर दिये जाते हैं ?

श्री भीखाभाई : इसका आधार यह है कि प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर होते हैं वे केवल कानूनी राय देते हैं और हर केस को कानूनी दृष्टि से देखते हैं कि वह आया अदालत में टहर सकेगा या नहीं। लेकिन इन्तज़ाम के तौर पर सर्किल इन्सपेक्टर और सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस की वाकफियत ज्यादा होती है। इसलिये उनकी राय ज्यादा बड़ी होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इन्तजाम के कारण कानून के खिलाफ काम किया जाता है ?

श्री भीखाभाई : कानून के खिलाफ कोई काम नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या व्यवस्था के दृष्टिकोण से कानूनी राय को अलग रखा जा सकता है?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि सर्कल इन्स्पेक्टर ज्यादा कानूनी बातों को जानते हैं इसलिये उनकी राय उनसे ऊपर होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सर्किल इन्स्पेक्टर लॉ ग्रेजुएट नहीं होते और प्रोसीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर लॉ ग्रेजुएट होते हैं।

श्री भीखाभाई : यह हो सकता है कि बहुत से नहीं हो।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : क्या यह सही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कारण से स्तीफे दे दिये कि बी. ए., एल. एल. बी. का और मैट्रिक का ग्रेड बराबर रखा गया है?

श्री भीखाभाई : इसका जबाब दे चुका हूं कि उनका केडर अलग बनाया जा रहा है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : बहुत से आदमी इसलिये नौकरी छोड़ कर चले गये कि मैट्रिक को और उनको एक ही ग्रेड मिलता है।

श्री भीखाभाई : ऐसी जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य को मालूम हो तो आप उनके नाम बता दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पब्लिक प्रोसीक्यूटर कानून की निगाह से देखता है और सी. आई. इन्तजाम की निगाह से देखता है। आपकी निगाह में इन्तजाम करने वालों की राय ज्यादा महत्व रखती है या कानूनी राय।

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि कानून और इन्तजाम दोनों जरूरी हैं। पब्लिक प्रोसीक्यूटर से सर्किल इन्स्पेक्टर और सुप्रिन्टेन्डेन्ट ज्यादा योग्यता रखते हैं और मुकदमें की बारीकियों को ज्यादा जानते हैं इसलिये उनकी राय ज्यादा ऊपर होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : वे पहले ही पब्लिक प्रोसीक्यूटर की सारी बातें बता सकते हैं और उसके बाद ही पब्लिक प्रोसीक्यूटर अपनी राय देता है। उसकी राय आने के बाद में विपरीत राय कैसे देते हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

ग्राम धनारी के पास बनास नदी पर बांध

८४४. **श्री वीराराम** (सिरोही मु०, श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा पूछा गया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा तहसील पिंडवाड़ा, ज़िला सिरोही के ग्राम धनारी के पास बनास नदी पर बांध बांधने की स्वीकृति दे दी गई है?

(श्री वीराराम)

(ख) यदि हां, तो कार्य शुरू किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

उप मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्य की टैक्निकल स्वीकृति के पहले आवश्यक जांच में कुछ समय लगना अनिवार्य था, अब टैक्निकल स्वीकृति हो चुकी है और टेन्डर लेकर मंजूरी के बाद शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : यह स्वीकृति कब हुई थी ?

श्री भीखाभाई : यह स्वीकृति जुलाई में हुई।

श्री लक्ष्मीचन्द : कौन से सन् में।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : स्वीकृति हो चुकी है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कौन से साल में हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटपूतली कस्बे में कॉलेज

८४८. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

कोटपूतली कस्बे में जो नारनौल, अलवर और जयपुर के बीच के सेन्ट्रल का केन्द्र का कस्बा है, सरकार कॉलेज खोलना उपयुक्त क्यों नहीं समझती है ? जब कि वहां कॉलेज और छात्रावास के लिये भवन और अन्य आवश्यक सामान के लिये धन देने को जनता तैयार है ?

उप-मंत्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल, शिक्षा मंत्री की ओर से) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उच्च विद्यालयों को डिग्री कॉलेजों में परिणित करने के लिये कोई प्रोविज़न नहीं था, इसलिए कोटपूतली में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कॉलेज खोलना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील नोहर में सिंचाई योग्य भूमि

८५०. श्री रामकिशन (नौहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तहसील नौहर में २६ हजार एकड़ भूमि को सिंचाई योग्य मानकर बाद में उसे इसके लिये अयोग्य ठहरा दिया गया ?

(ख) क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार कर सिंचाई क्षेत्र में उस भूमि को लाने की ओर ध्यान देगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखा-भाई) : (क) जी नहीं।

(ख) भाखरा से मिलने वाले पानी की मात्रा सीमित होने के कारण पूर्व निर्धारित सिंचाई क्षेत्र के आगे विस्तार की संभावना नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कौन से कारणों से आपने बताया कि संभावना नहीं है ?

श्री भीखाभाई : शुरू में जितने पानी के बंटवाड़े का प्रश्न था, उस वक्त में यह ख्याल था कि ६ लाख २० हजार एकड़ भूमि को पानी मिलेगा । लेकिन जब भाखरा और इसका एरिया शामिल करते हैं, तो हिसाब से ६ लाख ४१ हजार एकड़ हो जाता है । पानी तो सीमित है। इस कारण से उसको पानी नहीं मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

दौसा स्टेशन से कालेज तक बिजली की व्यवस्था

८५३. श्री रामधन (दौसा) : क्या मंत्री विद्युत विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे :

दौसा स्टेशन से कॉलेज तक आज तक बिजली क्यों नहीं लगाई गई, व अब कब तक लगादी जावेगी ?

उपमंत्री, विद्युत विभाग (श्री भीखा भाई) : दौसा स्टेशन से कॉलेज कुछ हिस्से को छोड़कर विद्युत लाइन लगी हुई है उस पर ६ विद्युत बत्तियां लगी हुई हैं तथा नगर विकास मण्डल की मांग पर अधिक विद्युत प्रसार के लिये एस्टीमेट भेजे जा रहे हैं और धन राशि दिये जाने पर कार्य संचालन होगा ।

श्री रामधन : यह कब तक लगाये जावेंगे।

श्री भीखाभाई : पोइन्ट एवेलेबल होने पर ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री अर्जुनदास ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

जयगढ़ फोर्ट फोर्सेज को स्थायी राज्य सेवा में लिया जाना

८६२. श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गृह सचिव के आदेश नं० एस० सी० बी० ३१८ दिनांक २७.६.५७ के द्वारा जयगढ़ फोर्ट फोर्सेज को स्थायी राज्य सेवाओं में शुमार किया गया था ।

(२) यदि हां, तो ३१.१.५६ को फोर्ट जयगढ़ से जिन दस व्यक्तियों को सर्विस से हटाया गया है, उसके क्या कारण हैं ?

(कुछ समय विराम)

क्या इसका उत्तर नहीं आया है ?

Page No.37

उपमंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : I am just giving the answer.

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अनोपसिंह : इसके सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति निकली है। मैं आपको बता सकता हूं। उसके तहत में सरकारी कर्मचारी जयगढ़ फोर्सेज के कर्मचारियों को माना है। उसके लिये आदेश दिये गये हैं। फिर आप कैसे इस प्रकार का उत्तर देते हैं ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार की ओर से हिजहाईनेश जयपुर को रुपये मिलते थे और दरअसल ३८,३००) रु० मिलते थे, उसके बाद में उन्होंने खर्चा बढ़ाना शुरू कर दिया और ज्यादा मांग की कि ज्यादा रुपया दिया जावे। यह संभव नहीं था। दरअसल जो स्ट्रेन्थ पहले रखते थे, वह है नहीं। उसके बाद में इसका ऑडिट इन्सपेक्शन हुआ और उसके बाद यह बन्द हो गया। इस पर विचार हो रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : पहले जब ४८ हजार रुपये मिलते थे, ये १० हजार कम क्यों किये गये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अनोपसिंह : जब यह विज्ञप्ति है कि उनको रेग्युलर गवर्नमेंट सर्वेन्ट माने जावेंगे और उस ऑर्डर की तहत में जो कर्मचारी निकले हैं उनके पेन्शन के कागजात सरकार में चल रहे हैं और सरकार उनको पेन्शन देने के लिये तैयार है। फिर आप यह कहते हैं, कि हम उनको रेग्युलर फोर्सेज में नहीं मानते हैं।

श्री भीखाभाई : इस प्रकार के आदेश जारी नहीं हुए हैं।

श्री अनोपसिंह : मेरे पास आदेश पड़े हैं।

श्री भीखाभाई : आप उसको मुझे बतावें।

श्री अध्यक्ष : उस आज्ञा के नम्बर प्रश्न में दिये हुए हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या आज भी सरकार उनको प्रोटेक्शन के लिये फोर्स रखती है और उनको प्रोटेक्शन देती है। जयगढ़ कोर्ट पर उसकी रक्षा के लिये अपनी पुलिस विभाग की ओर से इन्तजाम कर रखा है। उसका खर्चा ४८००० बताया, मगर मेरी जानकारी यह है कि उसका खर्चा ६० हजार है। इसके लिये बजट में भी प्रावधान आपको मिलेगा। सरकार खर्च करती है या नहीं और पुलिस की ओर से वहां पर आदमी रखे गये हैं या नहीं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : यह जयपुर की रक्षा की चीज़ है। राजा का कोई सवाल नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : We can defer this question if you like.

श्री जनार्दनराय नागर : यह व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा के लिये है और आज ७ या ८ वर्ष से हो रही है....

Page No.38

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह कौनसा प्रश्न है जिसके सप्लीमेंट्री प्रश्न पर आप बहस कर रहे हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैं बहस नहीं कर रहा हूं । एक व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा के लिये इतना रुपया खर्च किया जा रहा है । एस्टीमेट कमेटी ने भी इसके लिये आपत्ति उठाई है ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को फिर से लिया जावेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयगढ़ गवर्नमेंट का है और यह उसकी प्रोपर्टी है ।

श्री अध्यक्ष : अब इस प्रश्न पर बहस नहीं होगी । इसको स्थगित कर फिर लेंगे ।

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रश्न रह गया है ।

श्री अध्यक्ष : आप आये नहीं ।

अब समय समाप्त हो गया है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आश्वासन का सवाल था । पांच लिखित आॅर्डर थे उनको मैं सदन की मेज पर प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : कर दीजिये ।

प्रश्न समाप्त हुए ।

१२, २१ म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७

(अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज ६१ पर बहस हो रही थी ।

श्री सुरेंदारसिंह ।

श्री सुरेंदारसिंह (बारी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीमानसिंहजी के संशोधन के पक्ष में कल मैं बोल रहा था, जिसमें मैं यह बता रहा था कि प्रत्येक नगरपालिका का यह दायित्व है कि नगर में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये । इसके लिए यह आवश्यक है कि नगर में अच्छे बाग-बगीचे, पार्क बनाये जायं । लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने काम काज़ से फुरसत के बाद शाम को जब आते हैं तो उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि या तो क्लब में जायं या स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बाग-बगीचों में टहलने की नियमित व्यवस्था रखें । इसलिए प्रत्येक नगरपालिका को बाग-बगीचे बनाना, पार्क आदि बनाना आवश्यक है ।

दूसरा, लोगों का स्वास्थ्य खाद्य सामग्री पर निर्भर करता है । आज यह देखने को मिलता है कि जितने भी नगर हैं, वहां खाद्य सामग्री अच्छी नहीं मिलती । अक्सर देखने में आता है कि बाजारों में मिठाइयां आदि चीजें बिना ढके हुए और खुले रूप में मिलती हैं । ये साफ सुथरी और ढकी हुई होनी चाहिये । खाद्य सामग्री की तो यहां तक स्थिति है, कि हर चीज़ में मिलावट मिलती है । दूधको ही ले लीजिये । दूध मनुष्य केलिए

(श्री सूबेदारसिंह)

आवश्यक है। दूध अक्सर पानी मिला हुआ बाजार में पीने को मिलता है। साथ ही उसकी क्रीम निकाल कर बेचते हैं। इसलिए नगरपालिका का यह कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार से मिलावट करने वाले, धोखा घड़ी करने वाले, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाये। बिना पानी मिला हुआ दूध हो। उसकी जांच नगरपालिका को करनी चाहिये। कि वास्तव में वह शुद्ध है या नहीं। जब तक ऐसी व्यवस्था नगरपालिका की ओर से नहीं होगी और मिलावट करने वालों को सजा नहीं देंगे अथवा जुर्माना आदि से उनको आतंकित नहीं करेंगे, तब तक व्योपारी दूकानदार, बराबर मिलावट करते रहेंगे और जनता के स्वास्थ्य को खराब करते रहेंगे। इस प्रकार के दंड बिना मिलावट नहीं रुक सकेगी।

स्वास्थ्य के लिए एक बात और आती है। इतना बड़ा समाज है। खाने को अच्छा नहीं मिलता, दिन भर मेहनत कर थक जाते हैं, जिससे उनकी बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए चिकित्सालय होने आवश्यक हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं लेकिन मोहल्लों में चिकित्सालय होने चाहिये जिससे कि नजदीक में गृहस्थ दवाई प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था होना जरूरी है। नगरपालिकाओं को नये २ तरीके कायम करने चाहिये। आज समाज का खान-पान और दिन चर्या गलत होती जा रही हैं। इसलिए नगरपालिकाओं को चाहिये कि इस प्रकार की सामग्री जुटावे कि नागरिकों को अपनी दैनिकचर्या किस प्रकार रखनी चाहिये और बितानी चाहिये। ठीक समय पर उठते हैं या नहीं, किस समय तक काम करते हैं, टहलने आदि जाते हैं या नहीं। नगरपालिका को इसके लिए नगर के मोहल्लों मोहल्लों में इसका प्रचार करना चाहिये जिससे कि नागरिकों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ सके।

मनोरंजन, आदि लोग करते हैं। सिनेमा पर भी चलते हैं। लेकिन प्रत्येक नागरपालिका को चाहिये कि अपने नगर में आने वाली जो फिल्मस हैं, अगर उनसे चरित्र पर बुरा असर पड़ता है तो ऐसे चित्रों को चलने से रोक देना चाहिये।

प्रत्येक नगर में रास्ते साफ सुथरे और सीधे हों, टूटे फूटे न हों। नगर में बाहर के लोग आते हैं, गांव के लोग भी आते हैं, और विदेशी लोग भी आते जाते रहते हैं। अगर शहर की सड़कें साफ सुथरी होंगी तो अच्छी लगेगी। रात में प्रकाश ठीक रहना चाहिये, और गर्मी के दिनों में छिड़काव की व्यवस्था रहनी चाहिये। इससे जो सार्वजनिक स्थान हैं, वह ऐसी व्यवस्था रहने से स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। नागरिकों के लिए शौचालयों और मुत्रालयों की भी ठीक स्थिति होनी चाहिये। हम देखते हैं कि मूत्रालयों की कमी है। जो हैं उनकी भी स्थिति यह है कि ऊपर से पानी लीक करता रहता है, वहां पर लोग पेशाब करने के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं। मूत्रालयों में लोग टट्टी भी फिर जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): देयर इज़ नो कोरम सर।

(विराम)

श्री अध्यक्ष: जारी रखिये।

श्री सूबेदारसिंह: इसलिए शौचालय और मूत्रालय की ठीक व्यवस्था होनी चाहिये

(श्री सूबेदारसिंह)

और वे साफ और सुथरे होने चाहिये ।

इसके अलावा यह देखने को आता है कि गर्मी के दिनों में अक्सर आग लग जाती है। बहुत सी छोटी २ नगरपालिकायें ऐसी हैं कि वहां पर आग बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिये, वह नहीं होती। इसलिए लोगों में नगरपालिका को यह भावना उत्पन्न करनी चाहिये वालंन्टियरिली अड़ोस पड़ोस के लोग उसको बुझायें और मोटर आदि की व्यवस्था रहनी चाहिये जिससे कि आग को काबू में लाया जा सके।

इसके अलावा शहर में एक चीज और देखने को मिलती है। क्योंकि जो भी नगर के रहने वाले सज्जन करते हैं उसका असर देहात की जनता पर पड़ता है। शहर में आये दिन छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, चोरी चकारी होती है, एक प्रकार से मनुष्य का चरित्र गिर जाता है। चोरी करने के बाद मैं मानता हूं कि, चोर को सजा होती है लेकिन समाज की जो व्यवस्था है वह दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है। जहां तक चोरी करने वाले का सवाल है, उसको निश्चित सजा देनी चाहिये लेकिन चोर चोरी करता है, शैतान शैतानी करता है और अदालत का काम है उसको सजा दे और जेल भेज दे लेकिन उसके बाद देखते हैं कि जब वह जेल चला जाता है तो उसके बाद जो उसके स्त्री और बच्चे होते हैं, जो नगर में रहते हैं, उनकी देख भाल करने वाला, उनके बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। वह आदमी जब तक जेल से सजा काट कर न आये तब तक वे बच्चे वे घरबार हो जाते हैं। बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, उनको पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए प्रत्येक नगरपालिका को चाहिये कि एक ऐसा फन्ड कायम करे जिससे पिता भाई या सरपरस्त जेल चला गया है उनके एवज़ में उन बच्चों को पढ़ाये और बालिग बनाये। यह नगरपालिका का कर्तव्य है, दायित्व है कि आखिरकार शहर में रहने वाले इस प्रकार के जो बच्चे या नागरिक हैं उनको योग्य बनायें।

साथ ही हम यह भी देखते हैं कि शहर में ज्यादातर देखने को मिलता है। आज आप शहर की किसी भी गली या कूचे में जायं-भीखमंगों की टोली दिखाई देती है। यह इस प्रकार की व्यवस्था है जिससे समाज कलंकित होता है। इसलिए नगरपालिकाओं का दायित्व है कि इस प्रकार के तत्वों को शहर से अलग कर नगरपालिका इस प्रकार के नियम बनाये कि भीखमंगों को म्युनिसिपल सीमा के अन्दर न आने देवें। उनको म्युनिसिपल सीमा के बाहर ही रखा जाना चाहिये। इससे हमारे समाज की जो व्यवस्था है वह खराब होती है, हमारी बेइज्जती भी होती है। यहां पर जो लोग बाहर से देखने आते हैं वे अपने-अपने देशों में जाकर इस बात के लिये बदनामी करते हैं कि भारतवर्ष के लोग अभी तक भीख मांगने के आदी हैं।

इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जहां हम इस प्रकार की जिम्मेदारियां नगरपालिका को सौंपते हैं वहां हमें यह भी देखना पड़ेगा कि नगरपालिका की जो सर्विस क्लास है वह कितनी अच्छी तरह से काम करती है। अगर उनके कर्मचारी ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं तो उसका असर जनता पर ठीक नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि भारतीय संस्कृति हमेशा से इस प्रकार की रही है कि अपने से

(श्री सूबेदारसिंह)

ऊपर के लोगों की जिस प्रकार की भावना होती है, उसके अनुसार नीचे के लोग भी चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मैं अपने यहां की कुछ बातें सदन को बताना चाहता हूं। अभी अभी पिछले दिनों की बात है चावल का व्यापार धौलपुर में शुरू हुआ। उस पर नगरपालिका के अधिकारियों ने चावल की जिस पॉइंट पर ओक्ट्रोय वसूल करनी चाहिये थी उधर से वसूल की। खास तौर से मेरे गांव बसेड़ी से एक लाख मन चावल धौलपुर आया ऐसा कहा गया। मैं इसके लिए निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वहां पर चावल का एक दाना भी पैदा नहीं होता और इस तरह से एक लाख मन चावल की ओक्ट्रोय वसूल की। इस प्रकार के आचरण से जनता क्या समझेगी। जब हम अपने कर्मचारियों को सही रास्ते पर नहीं लायेंगे तो जन साधारण का आचरण किस प्रकार से ठीक हो सकेगा।

अब सवाल यह उपस्थित होता है कि म्युनिसिपल बोर्ड अच्छी एज्युकेशन, अच्छे स्वास्थ्य के लिये व्यवस्था करें। इसके लिये भारी रकम की जरुरत पड़ेगी। आज हम देखते हैं कि नगरपालिकाओं के जितने सीमित साधन हैं, उसमें वे इतनी मांगों को पूरा नहीं कर सकतीं इसलिये राज्य सरकार से रुपया लेना पड़ता है। मैं इस मामले में दूसरी राय रखता हूँ। राजस्थान सरकार को चाहिये कि अबतक जो गांवों से आमदनी होती थी, उसको आप शहरों में खर्च किया करते थे और गांवों को विकास से उपेक्षित रखते थे अब आपको वह रुपया गांवों के विकास के लिये लगाना चाहिये और शहरों में जो धनीमानी व्यक्ति हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर उनसे वसूल करना चाहिये। जहां आप गांवों में अस्पताल भवन, स्कूल भवन आदि श्रमदान के ज़रिये से बनवाते हैं और उसमें पचास प्रतिशत पैसा सरकार देती है उसी तरह से नगरों में भी श्रमदान द्वारा कार्य कराया जाना चाहिये। आज हम देखते हैं, कि सरकार नगरपालिकाओं पर रुपया खर्च करती जाती है, लेकिन वह सब शहरों की जनता की सुविधा के लिये खर्च होता है, आज भी देहात की जनता इस प्रकार से बच जायगी।

इसके अलावा नगरपालिकाओं का यह भी कार्य है कि वह इस प्रकार का रेकार्ड रखे कि कौन कौन व्यक्ति, उस म्युनिसिपैलिटी की सीमा में रहने वाला, क्या क्या काम करता है, और कौन कौन व्यक्ति बेकार बैठा है। जो लोग बेकार रहते हैं, उनके पास कोई धन्धा नहीं होता, वे आगे जाकर शहरों में उपद्रव कराते हैं, इस प्रकार की अगर फहरिश्त म्युनिसिपैलिटी के पास रहती है कि हर वोर्ड और मोहल्ले वाइज़ किस किस आदमी की क्या आमदनी है और उसका खर्चा कितना होता, वह होटलों में जाकर इतना खर्च कर देता है तो उसके आमदनी के सोर्सेज़ क्या हैं इस प्रकार की बातों का यदि रिकार्ड रखा जाता है शहरों में जो उपद्रव ऐसे लोग किया करते हैं उनका पता लग सकता है। इसके अलावा जहां बेकारी दूर करने का सवाल होगा उसमें भी इस प्रकार की फहरिश्त काम आ सकती है। आज हम देखते हैं कि शहरों में व्यापार की बड़ी एजेन्सियां है सरकार थोक व्यापार बड़े २ व्यापारियों के हाथ में देना चाहती है इससे यह होगा कि छोटे छोटे व्यापारी वर्ग में बेकारी बढ़ जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर व्यापारियों की कोआॅपरेटिव

(श्री सूबेदारसिंह)

सोसाइटी बना दी जाती है वहां सब मिलकर के धन्धा करें तो मैं यह मानता हूं कि उसमें जो प्रोफिट हो उसका इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन हो तो यह बेकारी भी काफी हदतक मिट सकती है। आज होता क्या है कि एक व्यक्ति जो व्यापार करता है वह अनैतिकता से करता है इसलिए कि उसका प्रोफिट उसकी इनकम अकेले व्यक्ति को मिलती है। कोऑपरेटिव के आधार पर यदि चलेंगे तो इस प्रकार के धन्धे नहीं कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ में मैं श्री श्रीभानसिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से क्लॉज़ ६१ पर बहस हो रही है मुझे केवल इस पर ज्यादा नहीं कहना है मैंने सारी क्लॉज़ का अध्ययन किया। मैं देखता हूं, बहुत ठीक ढंग से जिस जिस प्रकार के म्युनिसिपैलिटी के कर्तव्यों होने चाहिये वैसे सारे कर्तव्यों का प्रबन्ध कर रखा है। इसके साथ साथ हमें यह भी विचारना होगा कि आजकल म्युनिसिपैलिटी में जो सदस्य जाते हैं वे इतने केपेबल हैं क्या जो इस प्रकार की ड्यूटीज़ को ठीक ढंग से चला सकें। जनता इस पोजीशन में है क्या इतने टैक्सेज़ बर्दाश्त करके जो जो म्युनिसिपैलिटीज़ को डयूटी दी है उनको पूरी तरह से अन्जाम दे सकें। आजकल का जो म्युनिसिपैलिटी का प्रबन्ध है उसमें इस प्रकार के और अधिकार दे देने से ज़्यादा गड़बड़ ही होगी। दो चार म्युनिसिपैलिटी को ड्यूटीज़ दी गई हैं उसका मैं विरोध करता हूँ। उसमें से एक होस्पीटल संबन्धी डयूटी है। म्युनिसिपैलिटी के ज़रिये आपको होस्पीटल रन करवाना है तो मैं समझता हूं कोई भी सदस्य इससे एतराज नहीं करेगा क्योंकि आजकल जो छोटे छोटे काम म्युनिसिपैलिटीज़ को सौंप रखे हैं, उस पर भी वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते तो उनके अधिकार में हॉस्पीटल्स को रन करना रख देंगे तो यह उनसे होना, कतई संभव नहीं है। आज हम देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ रोशनी का प्रबन्ध नहीं कर सकी उससे हम क्या आशा कर सकते हैं कि वह बड़े बड़े हॉस्पीटल्स रन कर सकेगी इसलिये हॉस्पीटल्स को तो सरकार के पास ही रखना अच्छा है।

मैं मानता हूँ कि विदेशों के अन्दर म्युनिसिपैलिटीज़ हॉस्पीटल्स रन करती हैं, इरींगेशन आदि के काम भी करती हैं। वह इसलिये कर सकती है कि उनके पास पैसे का अभाव नहीं रहता वहां के लोग चतुर हैं, इस चीज़ को जानने वाले हैं। हमारे यहां तो मुश्किल यह हो रही है, आज ऐसी ऐसी म्युनिसिपैलिटियां भी हैं जिनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वे जयपुर आकर अपने म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात कर सकें। आज जो हॉस्पीटल्स का प्रबन्ध है यदि म्युनिसिपैलिटियों के हाथ में दे दिया तो जो कुछ एफीसियेन्सी है वह भी खत्म हो जायगी और आखिर कार यह नौबत आ सकती है कि गवर्नमेन्ट को इस पर विचार करके फिर उसे अपने हाथ में न लेना पड़े। इसलिये ये हॉस्पीटल, पब्लिक हेल्थ आदि का काम सरकार को ही अपने हाथ में रखना चाहिये।

दूसरा एन्टी रेबिक ट्रिटमेंट का जो म्युनिसिपैलिटी के हाथ में रखना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उसमें म्युनिसिपैलिटी कामयाब नहीं होगी। यह ऐसा रोग है कि उनके हाथ

(श्री मदनसिंह)

में न देकर सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिये, यह खतरनाक रोग है इसका प्रबन्ध सरकार के हाथ में रहे तो ज्यादा अच्छा है और अच्छी देखभाल हो सकती है।

श्री मदनसिंह : केवल देखभाल हो सकती है। आजकल पंचायतों में द्वेष भाव चल रहा है। ऐसे ऐसे भी महानुभाव बैठे हैं जो यह सोच सकते हैं कि पड़ा पड़ा सड़क पर मर भी जावे तो चलो अच्छा है, फन्दा कटा। तो इसलिये ये सब चीजें सरकार के हाथ में रहनी चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : ये आपके हाथ में भी आ सकते हैं।

श्री मदनसिंह : मेरे अधिकार में आ सकती हैं तो न मुझे दीजिये न आप लीजिये। जनसंघ की तरफ से भी हो सकता है। इसलिये आपको सपोर्ट करना चाहिये कि ये अधिकार न रहें।

दूसरी बात स्कूलों के बारे में है। आज इतना करते हुए भी सरकार से इनका ठीक प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है। इतने पर म्युनिसिपैलिटी को ये अधिकार दे दिये गये तो प्रबन्ध और भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि अभी भारत में ३०। ३५ वर्षों में जाकर सैंस ऑफ ड्यूटीज़ आवेंगी लोगों में। इसलिये मैं समझता हूँ कि अभी स्कूल और अस्पताल म्यूनिसिपैलिटी के संरक्षण में नहीं देने चाहिये। कुएस और ओरणस का काम भी सरकार के हाथ में रहे। म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर खुद की धोती, अपने घर के कपड़े लत्ते ही नहीं सम्भाल सकते तो इनको कहां सम्भाल सकेंगे।

हमारे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस एक्ट को पढ़ने से उनको ऐसा मालूम होता है कि म्युनिसिपैलिटी का सिवाय सफाई के और कुछ काम नहीं है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी का काम ही सफाई का होना चाहिये। और काम तो हम ज़बर्दस्ती से उनसे ले रहे हैं। वे नहीं लेने चाहिये जबर्दस्ती से। मेरा ख्याल है कि इसको केवल सफाई की तरफ ही ध्यान रहना चाहिये।

श्री भानसिंहजी ने कहा कि गरीबों के बच्चे या बड़े लोगों के बच्चे हैं, उनके मां बाप जब बाहर या सिनेमा वगैरह में जाते हैं तो उनके बच्चों की पीछे देखभाल नहीं होती। यह पोसीबल नहीं है। यह हवा में बात करना है। जब मां बाप स्वयं अपने बच्चों की रक्षा, देखभाल नहीं कर सकते तो दूसरा और भी नहीं कर सकता उन बच्चों की भी मुश्किल होगी। अगर उनको एक साथ रक्खा जावेगा तो एक को कुछ छूतछात का रोग हो सकता है तो अगर वे सब बच्चे आपस में, रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो एक का रोग दूसरे को लग सकता है। इसलिये यह एक खतरनाक खेल होगा। यह तो ऐसा सजेशन है जैसे कहीं पुराने ज़माने में राजाओं के समय होता था। उन्होंने फरमाया भी कि गुलामी से हटाकर ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये। यह तो गुलामी का प्रबन्ध था। राजा की औरतें, हाजिरी में जाती थीं दासियां वगैरह, तो क्या करती थीं, अपने बच्चों को एक कोठरी में पटक जाया करती थीं और पहरेदार बिठा देते थे। कम्यूनिस्ट का कोई मतलब नहीं था। यहां पड़े रहे लड़ते रहे, न मालूम क्या क्या रोग

(श्री मदनसिंह)

उनमें हों। तो ऐसी चीज़ का तो विचार ही नहीं करना चाहिये।

और आज अभी मन्त्री महोदय ने भी जो मैंने निवेदन किया वही पाइन्ट उनके शब्दों में वह फरमा चुके हैं। ऐसी चीजें वे विड्रा करेंगे। नहीं रक्खेंगे तो खुशी की बात है।

आपने आगे डेन्जरस ट्रेड का ज़िक्र किया। समझ में नहीं आया डेन्जरस ट्रेड की क्या आपकी व्याख्या है। शराब भी डेन्जरस ट्रेड है। तो क्या म्यूनिसिपैलिटी को अधिकार होगा कि शराब को बन्द कर दे। क्या मतलब है आपका? समझ में नहीं आया। इसलिये कृपा करके इसकी व्याख्या फरमा दें मन्त्री महोदय।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : इससे आपका क्या मतलब है, माननीय सदस्य पूछते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आतिशबाजी, गन पाउडर और एक्सप्लोजिव जो हैं उनसे मतलब है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : गन क्रेकर्स वगैरह।

श्री मदनसिंह : इसमें तो फिर बहुत सी बातें आती हैं। यही निवेदन करना था। भांग भी डेन्जरस ट्रेड है, भांग खाकर मर जावें हम (हंसी) तो, भांग, शराब, गांजा भी डेन्जरस है। संखिया भी डेन्जरस ट्रेड है। इनसे भी मतलब है या केवल पटाखों पर है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये तो सारी बातें आ सकती हैं। एक्सप्लोज़िव और पोइज़नस आइटम्स का शुमार हो सकता है।

श्री मदनसिंह : अगर ऐसी बात है तो फेफड़े में शराब कितनी डेन्जरस है, यह सब जानते हैं। सबसे पहले शराब से फेफड़े खराब होते हैं। तो क्या म्यूनिसिपैलिटी को अधिकार होगा कि शराब बन्द कर दे।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : इसको भी रेगुलेट करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये तो सरकार अलग से प्रबन्ध करेगी।

श्री मदनसिंह : यह एक्ट पास होते ही जनसंघ की तरफ से तो यह कदम पहले उठाया जावेगा, इस एक्ट की तहत में, कि शराब बन्द की जावे। फेफड़े में नुकसान पटाखा बारूद नहीं करेगा अगर पिया जावे, पर शराब करता है। we want to get it closed.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शराब इसमें शामिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वहां तो आबकारी का कानून है इसको रेगुलेट करने के लिये।

श्री मदनसिंह : ठीक है, आप जवाब नहीं देंगे तो जिस जिस लाइट में जो लें वह अर्थ लगा लें।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये इसको इस तरह रक्खा गया है।

श्री मदनसिंह : तो इतना ही मुझे निवेदन करना था। अगर स्कूलें और वे

(श्री मदनसिंह)

चीजें सरकार के हाथ में ही रहती हैं तो मुझे फिर इससे कोई विरोध नहीं है इस धारा से।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझनूं) : श्रीमान् कल से म्युनिसिपल एक्ट की क्लॉज़ ६१ पर चर्चा चल रही है।

बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात पर विशेष ज़ोर दिया है कि म्युनिसिपैलिटी के जो मुख्य कर्त्तव्य हो उनमें से संशोधन करके कुछ और बातों का उसमें समावेश किया जाय।

इस सिलसिले में उन्होंने अपनी वक्तृता के अन्दर एक बहुत भावात्मक रूप से कई बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और व्यापार धन्धे की बातें भी इसमें समाविष्ट कीं।

ऐसा पता चलता है कि माननीय सदस्य ने एक्ट की धाराओं को नहीं देखा। उसके साथ ही साथ जो हमारे प्रान्त की स्थिति है उसका भी उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया। जिस परिस्थिति में हमारी म्युनिसिपेलिटियां आज चल रही हैं, जिस परिस्थिति में हमारी ग्राम पंचायतें चल रही हैं, उन परिस्थितियों का यदि वास्तविक स्वरूप देखा जाये तो हमको पता चलेगा कि इस प्रकार की बातें केवल काल्पनिक हैं, और वह काल्पनिक इसलिए होंगी कि मैं नहीं कहता कि इन बातों का समावेश नहीं किया जाये। परन्तु यह बातें पूर्व रूप से ही मौजूद हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो माननीय सदस्य ने संशोधन के रूप में प्रस्तुत की हो और इस एक्ट में उन सभी बातों का समावेश न हो। मैं यह ध्यान दिलाऊंगा कि हमारे एक्ट में उन सभी बातों का समावेश है जो कि म्युनिसिपल बोर्ड के मुख्य कर्तव्य हैं। उसके साथ ही साथ दूसरी धारायें ६२ और ६४ के अन्दर इस प्रकार के निर्देशन हैं कि जिनके अन्दर डिस्क्रिशनरी और स्पेसिफिक ड्यूटीज म्युनिसिपल बोर्ड के लिए बताई गई हैं। उन स्पेसिफिक ड्यूटीज के अन्दर, डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज के अन्दर, इन सारी बातों का समावेश है कि हम बाल मन्दिर खोलें, गूंगे बहरों के स्कूल खोलें और सांस्कृतिक मेले और धर्मशालाओं आदि का प्रबंध करें, जितनी भी बातों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वह सारी की सारी बातें उसके अन्दर उल्लेखित हैं। तो इन सारी बातों का उल्लेख करना कि म्युनिसिपल बोर्ड के यह यह काम हैं, हम वस्तु स्थिति से बहुत दूर चले जायेंगे। इस समय हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा शहर जयपुर है और हमने इसके म्युनिसिपल बोर्ड की हालत को देखा है। और बहुत से माननीय सदस्यों ने उसका वर्णन किया है। म्युनिसिपल बोर्ड के जो कर्तव्य होने चाहिये लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, सड़कों के बारे में, सफाई कराने के बारे में जो कर्तव्य मुख्य निर्दिष्ट किये गए हैं उनकी स्थिति पालन करने की क्या है? नगरपालिका का जो ए से लेकर जेड तक क्लासिफिकेशन है। उन म्युनिसिपेलिटीज की वास्तविक स्थिति देखें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की भयावह स्थिति है। म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर हम लोग चुन कर के जाते हैं और किस प्रकार से वहां का कार्य संचालन करते हैं उसकी आये दिन यहां सदन के प्रांगण में तरह तरह की समालोचनायें होती रहती हैं। बहुत सी म्युनिसिपेलिटीज ऐसी हैं कि जिनको भूमि

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

बेचने का अधिकार दिया गया था। परन्तु जब बोर्ड के सदस्य एक चुनाव में हार गए और दूसरे लोग आ गये तो उस अर्से के अन्दर जब कि पन्द्रह बीस रोज का काम करने का समय शेष रहा तब उन्होंने पानी के भाव ज़मीन को बेचा और आठ दस हजार रुपये म्युनिसिपैलिटीज में एकट्ठे किये और उतना ही घाटा वह वहां पर छोड़कर गए। इन सब बातों का जिक्र मैं इसलिये करता हूं कि इन परिस्थितियों से हम दूर नहीं जा सकते हैं यह इस बात का द्योतक है कि कैसा हमारा नैतिक धरातल है और हम कैसे अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकते हैं। ठीक है, यदि कोई म्युनिसिपैल क्षेत्र ऐसा है जो समुन्नत हो, वहां के निवासी ठीक तरह से अपने घरों की सफाई रखें, रास्ते में कुड़े करकट न डालें और सभ्य नागरिक जैसे रहें, तो हम इन सारी बातों को जो कि डिस्क्रिशनरी पॉवर्स हैं और डिस्क्रिशनरी तरीके से काम कर सकते हैं। हम बाल मन्दिर भी खोल सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा का भी प्रबंध कर सकते हैं, लाइब्रेरी और म्युजियम भी रख सकते हैं। मेरे विचार में जो इस प्रकार की बातें माननीय सदस्य ने कही हैं, वह वास्तविक स्थिति से बहुत दूर जाती हैं। हमें ठीक तरह से संतुलित दिमाग से इस बात को देखना होगा। जो कुछ हमें अधिकार दिये जायें या जो कुछ हमारे मुख्य अधिकार हैं उनको हम ठीक तरह से पचा लें। हम हमारे क्षेत्र के रहने वाले लोगों को इस प्रकार का उत्तरदायित्व निर्वाहन करने के योग्य बनायें कि वह ठीक तरह से अपने को अच्छा नागरिक समझें। आदर्श म्युनिसिपैलिटीज जब तक हो जायें सफाई के मामले में, और और मामलों में, जो प्राइमरी ड्यूटीज़ दी गई हैं तो डिस्क्रिशनरी पॉवर्स में यदि म्युनीसिपल क्षेत्र चाहे कि हम स्कूल खोलें तो मैं समझता हूं कि इस म्युनिसिपल एक्ट के द्वारा कोई भी प्रतिबंध उन पर नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो प्राइमरी ड्यूटीज के बारे में संशोधन रखा गया है वह केवल एक भावात्मक है और वह भावात्मक केवल इसलिये है कि वह चाहते हैं कि हम ऐसा चित्र उपस्थित कर दें; कि हम बराबर यह देखें कि जैसे कोई बड़ा आदर्श म्युनिसिपल एक्ट बना कर के समाज में बड़ा भारी परिवर्तन ले आयेंगे। यह सब आदर्श लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता वह तो हमारे आचरणों से होगा। नैतिक मापदण्ड उच्चतर करने के साथ साथ उनके अन्दर उत्तरदायित्व की भावना और नागरिकों का क्या कर्तव्य है बिना उनके जीवन में फूंके बिना यह सारी बातें नहीं हो सकती। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह संशोधन इस स्थान के ऊपर गैर मौजूं है, उपयुक्त नहीं है और उपयुक्त इस कारण से नहीं है कि हम देखते हैं कि आये दिन किस प्रकार की व्यवस्था हमारी म्युनिसिपैलिटीज में चलती है। जमीन के मामलों को लेकर चलें, सफाई के मामले को लेकर चलें, म्युनिसिपैलिटीज की जितनी भी व्यवस्थायें जो हमारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे म्युनिसिपैल क्षेत्र में चलती है वह व्यवस्था ऐसी असंतोषजनक है कि उनमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी की बातों को लें तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जायेगी। पर मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाकर केवल इतना ही कहूंगा कि यह जो संशोधन है वह सारे हमारी म्युनिसिपल एक्ट की धारा ६४ के अन्दर सन्निहित है। ऐसा कोई भी म्युनिसि-

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

पल बोर्ड इस बात की क्षमता रखे और अनुमानतः इस बात के लिये समर्थ है और सारी म्युनिसिपेलिटीज को अपने साथ लेकर चल सके तो ऐसे आदर्श बोर्ड स्थापित करने के लिए म्युनिसपल एक्ट में प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो इनका संशोधन है वह केवल एक काल्पनिक समाज का चित्र उपस्थित करता है और उन्होंने शब्दों के जोर से इस बात को दिखलाने की कोशिश की है कि म्युनिसिपल एक्ट के अन्दर इस प्रकार की खामियां हैं और इस प्रकार की बातें होनी चाहिए वह सब जब मैंने आगे की धाराओं को पढ़ा तो वह सारी की सारी डिस्क्रिशनरी रूप में, एच्छिक रूप में, सन्निहित हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और केवल इतना ही कहूंगा कि यह जो संशोधन उपस्थित किया है यह अनुपयुक्त है और आगे की जो सारी धारायें हैं ९३ या ९४ उनमें स्पेसिफिक ढंग से उसको लाया गया है और एच्छिक स्वरूप से कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड यदि इस बात की योग्यता रखे तो सारी की सारी बातों पर आचरण कर सकता है, बातें इसमें आ सकती हैं, हम देखें कि हमारे म्युनीसिपल बोर्ड के अन्दर ही क्या जो तीन साल के लिए चुनकर आते हैं या अधिक समय के लिये चुनकर आते हैं वह एक प्रकार का रंग मंच बना हुआ है आपस की खींचातानी का, कि जिसके कारण तीन वर्ष में कोई काम वह नहीं कर पाते हैं। आप म्युनिसिपल बोर्ड्स की बात जाने दीजिए, अस्पतालों के बारे में, शिक्षण संस्थाओं के बारे में, बेसिक एज्यूकेशन के बारे में जो अन्य जिला स्तर पर स्कूलें चलती हैं जो और और अस्पताल उनके द्वारा चलते हैं उनकी हालत को देख लें। उनकी हालत से यदि संतोष नहीं है तो कैसे म्युनिसिपल बोर्ड जिनकी आय और साधन सीमित होंगे और आज हम इस बात के लिये तैयार नहीं है कि हम टैक्स लगाकर म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर रह सकें हम इस बात के लिये जनमत को जाग्रत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी हालत में चाहे जितने टैक्स लगाइये जब तक कि नागरिकों का जो नैतिक स्तर है उसको ऊंचा नहीं करें, उनको अपने उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए योग्य नहीं करेंगे, तब तक यह बातें हवा में चलने की हैं। जब हम देखते हैं जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जयपुर शहर के ही अस्पताल को ले लीजिये उनकी आज ऐसी हालत है कि आंतरिक परिस्थिति में उनके अगर जाया जाये तो हमें सारा का सारा ढांचा इस प्रकार से लड़खड़ाता हुआ मिलेगा, उनमें ऐसे भ्रष्टाचार के तंतु जाये हुए मिलेंगे कि जिनसे उनका पूरा लाभ जनता नहीं ले पाती है। इसी बात को हम देखेंगे।

२ म० प०

ऐसी स्थिति के अन्दर हम एक काल्पनिक बात करते हैं कि इस प्रकार के म्युनिसिपल बोर्ड होने चाहिए और म्युनिसिपल बोर्ड को ट्रेडिंग का अधिकार होना चाहिए। यह चाहिए वह चाहिए। यह सारी बातें जो है ठीक हैं कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में श्रुतिमधुर लगती हैं, किन्तु उनकी वस्तुस्थिति में जायें, वास्तविक धरातल पर जायें, तो पता चलेगा कि वह सारा ढांचा चलने वाला नहीं है। यह ठीक है। मैं मानता हूं कि सरकार उनको अधिकार देकर देखे तो सही, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि इस प्रकार से अधिकार हमने दिये,

Page No.48

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

ज़मीन बेचने के अधिकार हमने दिये। एक स्लोगन से प्रभावित होकर, एक नारे से प्रभावित होकर म्युनिसिपल बोर्ड को दिये, और आज म्युनिसिपल बोर्ड ने जो कार्य किये उन कार्यों को देखकर यह पता चलता है कि उस कार्यकाल के अन्दर जो अनियमितताएं जो अनैतिकता उन्होंने की, ज़मीन बेचने में की, उसका परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार को वापिस वह अधिकार लेना पड़ा। ठीक है अधिकार ले लिये उसका सवाल नहीं है। लेकिन उस थोड़े से अरसे के अन्दर जो हलचल उन्होंने पैदा कर दी। ऐसे तत्व समाज के अन्दर आये, उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म दिया कि जिससे लोगों के आचरण, लोगों की भावनाएं किस प्रकार से विशृंखल हुई। किस प्रकार से समाज की बहुमूल्य निधि को उन्होंने वेस्ट किया, उसका स्केन्डल किया। उसकी अनैतिक बातें हैं, उसकी इममोरल साइड है, वह किस प्रकार से समाज के अन्दर हावी हुई? ऐसे तत्व जो अभी तक प्रसुप्त थे, किसी प्रकार से बीच में नहीं आ सकते थे वे किस प्रकार से बीच में आये कि आज तक किसी तरीके से समाज के अन्दर जो छोटी मोटी ईमानदारी चल रही थी उसके अन्दर इतना बड़ा भारी अन्धड़ आया कि उस ज्योति को उसने बुझा दिया। मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस प्रकार के प्रयोग करेंगे, इम्मेच्योर प्रयोग करेंगे, अपरिपक्व अवस्था में प्रयोग करेंगे, तो उसका सारे का परिणाम यह होगा कि मुनिसिपल बोर्ड उस धरातल को ठीक तरह से सम्हाल नहीं पायेंगे। आज न तो वे बाल मन्दिर चला सकते हैं न गूंगे बहरों के स्कूल चला सकते हैं और न अस्पतालों को ठीक तरह से चला सकते हैं। मेरे को याद है कि म्युनिसिपल बोर्ड के जहां आजकल वाचनालय चलते हैं तो वहां किस स्थिति में किताबें रखी जाती है। अगर वहां ५० किताबें रखी जाती हैं तो धीरे धीरे ५ या ७ रह जाती हैं। कोई किताब कोई ले जाता है और कोई किताब कोई ले जाता है। इस प्रकार की बातों में वस्तुस्थिति को देखकर चलना पड़ेगा। एक म्युनिसिपल बोर्ड चुनाव के बाद जब दूसरे को सम्हला कर जाता है तो उसके चार्ज की क्या हालत है। देखें तो पता चलेगा कि कितनी फाइलें गायब मिलेगीं, कितने गलत सलत आकड़ें मिलेगें। कितनी ही हिसाब में गड़बड़ी मिलेगी। इस बात से आंखें नहीं मींची जा सकती हैं। इन सारी बातों को कम्पलसरी कर देगें जो कि माननीय सदस्य ने निर्देशित की हैं और जो कि इस एक्ट के अन्दर ऐच्छिक हैं, जिनको डिस्क्रीशनरी मद के अन्दर दिया गया है, मैं समझता हूं कि उससे कम्प्लीकेशन और बढ़ेगें। कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड ऐसा है नहीं कि जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सारे कारोबार को सम्हाल सकता है! एक बड़ा हॉस्पिटल आज ज़िले के अन्दर चलायेगा तो कितना खर्चा होगा। कहां से किसको टैक्स देना पड़ेगा। इन सारी बातों को देखते हुए जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है वह अव्यवहारिक है उसको कम्पलसरी किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से यह जो संशोधन रखा गया है उसके विपरीत बहुत सी बातें कही गई हैं, उसके ऊपर समर्थन करता हूँ कि नगरपालिकाओं को अधिक से अधिक

Page No.49

(श्री मुरलीधर व्यास)

अधिकार दिया जाय, और इसमें सब से बड़ा एक बुनियादी उसूल हमें मान कर लेना चाहिए कि आखिर नगरपालिकाएं क्या है ? नगरपालिकाओं की जहां तक व्याख्या का सवाल है इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाय यानी वे स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं होती हैं, और उनको अपने मामलों में अपने यहां का काम करने का पूरा अधिकार होता है, और उसे किस तरीके से करना चाहिए। तो यह बिल्कुल मान करके चलना चाहिए, और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपने स्थानीय मामलों के अन्दर और उस तरीके से कहां पर किस किस प्रकार से क्या, क्या काम कर सकती हैं अपने स्थानीय क्षेत्र के अन्दर, उनको करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और उसके विकास का मौका मिलना चाहिए। अगर आप कानूनी दृष्टिकोण से दे दें और जो उनका बुनियादी हक है, और जो सिद्धान्त उनको मिलना चाहिए, यह एक उसूल है उसमें अगर किसी भी प्रकार से कुछ दिक्कतें आयेगी पैसों और साधनों की जिनके कारण से वह काम नहीं कर सकेंगी तो इन बातों को लेकर जो मूलभूत अधिकार उनको मिलने चाहिए उसको करना चाहिए। वही एक विकास का तरीका है। उसको अगर आप पैसा रेग्युलरली देंगें तो यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम होना चाहिए जिसको कि मान्य किया है उसमें किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकेंगी। आज देश में सबसे बड़ी जो बात विशेष तौर से चलती है कि जो प्रान्त हैं अपने अन्दर जो छोटीमोटी लोकल संस्थाएं हैं उनको अपने अंकुश में रखना चाहते हैं। इसी प्रकार से केन्द्र हैं उनके कुछ सीमित अधिकार होने चाहिए कि जिससे वह केन्द्र उनको किस प्रकार से अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखकर काम कर सके। राज जो स्टेट का काम है वह स्टेट को करना चाहिये। इसी प्रकार से जो दूसरी पंचायतें हैं, म्युनिसिपल बोर्ड का काम है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम है, वह उनके जरिये होना चाहिये, और उनको उस मामले में पूरी आजादी मिलनी चाहिये। तो समझ में आयेगा कि मुल्क में डेमोक्रेसी का ढांचा एक वेलफेयर राज्य हमारे मुल्क में हुआ है। इस प्रकार के अधिकार नहीं दें और इसमें उसकी व्यवस्था नहीं करें तो मैं समझता हूं कि भविष्य में अच्छी तरह से डेमोक्रेसी वहां नहीं हो सकेगी। इसमें इस बात को कह कर कि साधन कहां से आयेंगे टाल नहीं सकते हैं। साधन का जहां तक सवाल है यह तो साधन उन लोगों को देना पड़ेगा। सरकार को देना पड़ेगा। स्टेट को देना चाहिये। यह सवाल अलग है। परन्तु उनके पास रहना चाहिये। यह सिद्धांत: तय होना चाहिये कि वह काम उनको करना चाहिये या नहीं। शहरों में जहां नगरपालिका है उनके अन्तर्गत छोटेमोटे वहां पर काम होते हैं। शहरों में सफाई, स्वास्थ्य शिक्षा, वाटर सप्लाई, रोशनी यह चार पांच काम नगरपालिका को करना चाहिये। तो वह उनके अधिकार उनके हाथ में पूरा रहना चाहिये, और उसके लिए सरकार अधिक से अधिक साधन उनको दे। हो सकता है कि कहीं साधन नहीं हों तो सरकार का कर्तव्य है कि उनको दे। परन्तु वह काम किस के जरिये होना चाहिए इसमें भेद नहीं हो सकता है। वह नगरपालिका संस्था है उसके जरिये होना चाहिये। मैं सिद्धांत: इस चीज़ को मानता हूं कि जहां तक ऐसा सवाल है इस मामले को एक नीति के

(श्री मुरलीधर व्यास)

रूप में मान कर लेना चाहिये कि अपने स्थानीय क्षेत्र के अन्दर उनको वहां की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का, वहां की व्यवस्था करने का पूरा अधिकार होगा। यह सिद्धांत: हमको स्वीकार करना चाहिए। अब सवाल यह है कि छोटे मोटे ऐसे झगड़े होते हैं जिनको नगरपालिका ही हल कर सकती है। किसी क्षेत्र में जुआ खेला जाता है तो पुलिस को अधिकार है। पुलिस उसको पकड़ती है। मुमकिन है कि दूसरे तरीके से उसका दुरुपयोग भी कर लेती हो। परन्तु अगर यह छोटे से अधिकार अपने क्षेत्र के अन्दर उनकी छोटी सी पुलिस हो, वह सफाई की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, मिलावट के छोटे मोटे मामलों को लेकर नगरपालिका काम करती है तो अच्छा कर सकती है। क्योंकि पुलिस का दृष्टिकोण सामाजिक नहीं हो सकता है। पुलिस का दृष्टिकोण कानून तक सीमित हो सकता है। यहां तक हो सकता है कि कल की ही बात है कि गंगाशहर में ५,७ लखपति अच्छे अच्छे घराने के लोग थे उनको पुलिस हथकड़ी लगाकर थाने में ले आई। उनको कहा गया कि वे जुआ खेलते थे इस लिये पकड़ा। यहां तक हुआ कि पुलिस गोली लेकर गई और उनसे कहा कि ठहर जावो अगर आगे गये तो मार दी जायगी। नगर के ७ ऐसे आदमियों को हथकड़ी लगाकर थाने तक लाया जाय, हम मानलें कि ठीक बात है कि बहुत बड़ा गुनाह किया है, जुआ वास्तव में अपने आपमें बहुत बुरा है। परन्तु अधिकार का जहां तक सवाल है उस पर ऐसी मिसाल दी है। शहरों में अगर कोई मिलावट करता है तो नगरपालिका को अधिकार है कि उसके संबंध में हस्तक्षेप करे। उनकी अपनी खुद की छोटीसी पुलिस हो और उनके जरिये कुछ अधिकार दिये जांय।

श्री मदन सिंह (दाता रामगढ़) : नगरपालिका के मेम्बर्स भी जुआ खेलते हैं तो कौन पकड़ेगा ?

श्री मुरलीधर व्यास : जुआ खेलने की बात है नगरपालिका के मेम्बर्स की, तो आज जितने भी क्लब्स हैं उनमें यद्यपि सरकार ने कानूनी तौर से जुआ बन्द रखा है। परन्तु एस० पी० और आई० जी० पी० और कलेक्टर वहां खेलते हैं ! क्लब में जाकर खेलते हैं ब्रिज खेलते हैं, चाहे कुछ खेलते हों लेकिन जुआ खेलते हैं, क्योंकि पॉवर उनके पास में है इसलिए पकड़े नहीं जाते है। खेलते भी ऐसे लोग हैं। इनके मामले में दो बात नहीं कहता हूं। सवाल इस बात का है, आखिर अधिकार देने का सवाल है।

तो मैं समझता हूं नगरपालिकाओं को अपने क्षेत्र में चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वाटर सप्लाई का मामला हो और चाहे खाद्य सामग्री का मामला हो, उनके लिए उनको अधिक से अधिक अधिकार देने चाहिये थे। उनके कर्तव्य हैं, अगर उनसे कर्तव्य पूरे कराने हैं तो उनको अधिकार देंगे तभी कर्तव्य पूरे हो सकते हैं। हो सकता है कि नगरपालिकाओं में आदमी अच्छे हों या बुरे हों, यह भी मानलें कि आदमी बुरे हैं लेकिन फिर भी विकेन्द्रीकरण को मानते हैं और विकेन्द्रीकरण को बुनियादी अधिकार मान्य करते हैं और विकेन्द्रीकरण पंचायतों तक के लिए मान्य करते हैं तो नगरपालिकाओं के लिए इसे क्यों नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्वीकार करते हैं। पंचायतों के बनिस्पत नगरपालिकाओं में ज्यादा शिक्षित और समझदार आदमी होते हैं, ये लोग उनसे अधिक अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। तो जब पंचायतों को आपने न्याय करने और दूसरे अधिकार छोटी मोटी बातों को हल करने के दिए हैं तो नगरपालिकाओं को ये अधिकार दे कर उनको क्यों नहीं विकसित करते। अगर नहीं कर सकते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि वह भी नीति खराब है जो पंचायतों के लिए बनाई है। बौद्धिक दृष्टि से समझना पड़ेगा। लोग यह कहते हैं कि गांवों में अपढ़ लोग होते हैं, समझते नहीं हैं? लेकिन न्याय का काम भी ये छोटे मोटे लोग कर सकते हैं लेकिन नगरपालिकाएं नहीं कर सकतीं क्योंकि आदमी खराब होते हैं वहां पर, तो यह दलील जंचती नहीं है। दलील वह होनी चाहिये जिसके पीछे बौद्धिक तत्व हो क्योंकि सिद्धान्त है। मैं मानता हूँ कि नगरपालिकाओं को अपने क्षेत्र में प्रशासन करने का पूरा अधिकार है। यहां तक कि कोई नगरपालिका अगर अपने खुद के सिपाही रखना चाहे तो इसके लिए उनको अधिकार होना चाहिये। न्याय के छोटे मोटे झगड़े हों तो उनको मिटाने का भी अधिकार उनको होना चाहिये। जहां स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का सवाल है वहां सरकार अपनी तरफ से उसे हल करे या चालू करे लेकिन जहां उनकी देख रेख का सवाल है, नगरपालिकाओं को उसके लिए अधिकार होना चाहिए। शिक्षा के मामले में किस प्रकार से स्कूलें खुलनी चाहिये, कौन कौन से मोहल्ले में पढ़ाई होती है किस में नहीं होती है, यह सब नगरपालिका देख सकती है क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है कि इन्स्पेक्टर्स हर जगह जा सकें। तो वहां के जो नागरिक होते हैं उनके हाथ में अधिकार हो तो वे ठीक तरह से देखरेख कर सकते हैं लेकिन जहां साधन नहीं हैं वहां क्या कर सकते हैं। बीकानेर में करीब ४० कम्प्लसरी स्कूलें हैं जो नगरपालिका के थ्रू चलती हैं। सरकार उनको ८० पर्सेन्ट ग्रान्ट-इन-एड देती है और २० पर्सेन्ट नगरपालिका खुद देती है, उनके साधनों के अनुसार वे फुल खर्चा नहीं दे सकते। साधन पूरे हों तो ग्रेड वगैरा ठीक मिल सकता है लेकिन जहां देख रेख करने, विकास करने उन्नति करने का सवाल है इसके लिए अधिकार नगरपालिका को दे देने चाहिये। उनको अधिकार देने से ही विकास होगा नहीं, तो विकास रुक जायगा। ये बुनियादी चीजें हैं। इस मामले में चाहे कोई काल्पनिक कह दे, कल्पना का आधार है। मैं कल्पना के तौर पर नहीं कहता हूं। इनको अधिकार देने से विकास हो सकता है। इसी से जनतन्त्र की रक्षा होगी और विकेन्द्रीकरण होगा। विकेन्द्रीकरण शासन के लिए अच्छा माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा अधिकार नगरपालिकाओं को अपने मामले में देने की नीति होनी चाहिये, इससे विकास हो सकता है, डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं वह आ सकती है नहीं तो नहीं आ सकती।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी और भी संशोधन हैं। एक संशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर का है।

(अनुपस्थित)

Page No.52

(श्री अध्यक्ष)

दूसरा संशोधन श्री रामेश्वर दयाल का है।

(अनुपस्थित)

तीसरा अमेंडमेंट मन्त्री महोदय का है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मेरा अमेंडमेंट इस संबंध में इतना ही है कि सब-क्लाज़ (क्यू) (एस) (टी) और (एक्स) को डिलीट कर दिया जाय। सब-क्लाज़ (क्यू) पब्लिक हॉस्पिटल्स, डिस्पेन्सरीज़ एण्ड पब्लिक मेडिकल रिलीफ के बारे में है। और (एस), एन्टी रैबिक ट्रीटमेंट के बारे में है और (टी) मेंटेनिंग डेस्टिट्यूट्स, ऑरफन्स वगैरा के बारे में है और (एक्स) एस्टाब्लिशिंग एंड मेन्टेनिंग प्राइमरी स्कूल्स के बारे में है इनको ओमिट करने का अमेंडमेंट इसलिए पेश किया है कि इनको कम्पलसरी के बजाय सेक्शन ६४ में एड कर दिया जाय। इसके लिए मेरी मंशा यह नहीं है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स को पोवर्स नहीं दिए जांय। उनकी ड्यूटी हैं, जितनी परफॉर्म कर सकें उतनी जरूर दी जांय। दफा ६१ और ६४ रखी हैं उनमें ऑब्लीगेटरी और डिस्क्रीशनरी पॉवर्स रखी हैं। जितने फंक्शन्स म्युनिसिपैलिटीज के हैं वे सब ६१ में हैं और जितने और कर सकती हैं वे ६४ में दिए हैं। मेडिकल, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी आदि के जितने का म्युनिसिपैलिटी को करने हैं वे सब सेक्शन ६१ और ६४ में शामिल हैं इसलिए कहना है कि उनको कोई फंक्शन्स नहीं दिए हैं और कई जिम्मेदारियां ले ली गई हैं ऐसी कोई बात नहीं है जितना काम वे करना चाहें कर सकती हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : प्राइमरी एज्युकेशन के बारे में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्राइमरी एज्युकेशन के लिए भी कोई रुकावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सेक्शन ६१ में ऐसा है कि उनके लिए अनिवार्य हो जायगा, जहां तक उनके रिसोर्सेज़ परमिट करें वे कर सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यह ठीक है कि रिसोर्सेज़ परमिट करेंगे उतना करेंगे लेकिन जहां स्टेट के नियम हैं कि स्टेट नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं करेंगी वहां ऑब्लिगेटरी करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी की सीमा और उसकी आमदनी को देख कर करेंगे तो म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले इससे वंचित रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपल एरिया में भी जितने एज्युकेशन इन्सटिट्यूशन्स हैं उनको भी गवर्नमेंट चलाती है और प्राइमरी एज्युकेशन को भी गवर्नमेंट रन करती है। इसकी जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी पर छोड़कर गवर्नमेंट बरी होना चाहती हो ऐसी बात नहीं है। हम उनको फंकशन्स देना चाहते हैं, प्राइमरी कौनसे रहें यह सवाल है। चलाना अनिवार्य है। प्राइमरी एज्युकेशन, हॉस्पिटल्स, पॉवर हाउसेज़, एन्टी रैबिक ट्रीटमेन्ट या धर्मशालाएं चलानी हैं और म्युनिसिपलिटी नहीं चला सकती हैं तो परेशानी की बात हो जायगी। लेकिन यदि उनको म्युनिसिपैलिटी चलाना चाहती है तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। सेक्शन ६४ में इसके लिए पॉवर्स दे दिए हैं। अगर म्युनिसिपैलिटी, एज्युकेशन, हैल्थ, सेनिटेशन,

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मेडिकल का काम करना चाहती है तो उसके लिए हमारी तरफ से मनाही नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : आपकी तरफ से मनाही तो नहीं होगी, आप कह देंगे कि चला सकते हैं लेकिन रिसोर्सेज देने का इन्तजाम करेंगे तभी तो चला सकती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपैलिटी अपने रिसोर्सेज बढ़ाकर जितना करना चाहें करें हमको कोई ऐतराज नहीं है। प्राइमरी स्कूलें खोलें, हाई स्कूलें खोलें, वाटर वर्क्स का इन्तजाम करें या जितने भी काम करना चाहें करें। लेकिन उसकी जो मेन जिम्मेदारी है उसको पहले करना चाहिये। प्राईमरी स्कूल्स वह चलावें लेकिन सफाई का काम न हो तो उसका मेन फंक्शन रह जाता है, इसलिए सैक्शन ५१ में उसके प्राईमरी फंक्शन्स रखे जाते हैं। जैसे लाइट, सफाई, पानी की व्यवस्था आदि। सैक्शन ६१ में जो बातें रखी हैं, सारे हिन्दुस्तान में म्युनिसिपैलिटीज़ की प्राईमरी ड्यूटीज़ क्या होती हैं वे शामिल करली हैं। इसलिए कोई जिम्मेदारी से बरी होने की बात नहीं है। जो करना चाहें, उनके लिए रुकावट नहीं है, लेकिन हम मजबूरी लगा दें यह उचित नहीं है। ६१ में इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए और ६४ में शामिल नहीं करेंगे, तो वहां बड़ी दिक्कत हो जायगी। इसलिए मैंने अर्ज किया कि क्लॉज़ ६१ और ६४ हैं, वे बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैंने जो क्लॉज़ ६१ में संशोधन पेश किया है, इनको ६४ में शामिल कर लिया जाय ? मैं समझता हूं कि इस क्लॉज़ को इसी रूप में पारित कर देना चाहिए। जिन माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट पेश किए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने अमेंडमेंट वापिस ले लें।

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : अध्यक्ष महोदय, प्राईमरी एज्युकेशन का भार म्युनिसिपैलिटीज से हटा लेने का प्रश्न जो चल रहा है, मैं इससे सहमत हूं। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार निकट भविष्य में कम्पलसरी एज्युकेशन लागू करने जा रही है। इसलिए यह भार अब म्युनिसिपैलिटीज पर रखना उचित मालूम नहीं होता है। इसके साथ ही ६ वर्ष तक के बच्चों तक के लिए जो बाल मन्दिर चलाये जाते हैं उनको चलाये जाने का भार म्युनिसिपैलिटीज पर रख दिया जाये तो उचित होगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वह है।

श्री अध्यक्ष : It is there in the clause.

डॉ० चन्द्रकला : जो उप-धाराएं हैं, वे क्लॉज़ ६४ में जुड़ेंगी।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ६४ में प्राव-धान हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६४ में अमेंड-मेंट मूव कर दिया है....

श्री अध्यक्ष : यह क्लॉज़ ६४ में चले जाएंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जहां स्कूल हैं म्युनिसिपैलिटीज़ के, वे चलाना चाहें या न चलाना चाहें, यह उनकी इच्छा पर है। वे चाहें तो सरकार को सौंप दें।

Page No.54

श्री अध्यक्ष : वह दूसरा प्रश्न है। अगर स्थिति ठीक न हो तो स्कूलों को बन्द कर सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं। सरकार उनको लेगी या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव मैंने मूव किया है, उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंहजी ने प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): मैं कुछ उत्तर दूँ दे।

श्री अध्यक्ष : आप विड्रा कर लीजिये, काफी टायम हो गया है।

श्री श्रीभानसिंह: पांच मिनट में उत्तर दे दूँ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा दे दीजिये।

श्री श्रीभानसिंह: माननीय अध्यक्ष, जो माननीय सदस्य मेरे जीमणे हाथ पर बैठे हैं, वे खिलाफत करें, उसको खिलाफत मानता हूं क्योंकि वे म्युनिसिपैलिटीज़ के फंक्शन के बारे में जानते हैं। म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में जानते है नहीं....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): म्युनिसिपैलिटी रन कर रही थी मेरे गांव में।

श्री श्रीभानसिंह : उनके गांव में क्या रन हो रहा था, आज तक उसका ध्यान नहीं है ...

श्री अध्यक्ष: यह क्राइटेरिया रहा तो कोई बोल नहीं सकेगा।

श्री श्रीभानसिंह : वे बारबार इन्टरफियर कर रहे थे, इन्टरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर जो माननीय सदस्य झुंझुनू या सीकर से आये हैं, उनकी रेस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग किया...

श्री मदनसिंह: झुंझुनू से।

श्री श्रीभा सह : the Hon'ble Member will be seated,

उन्होंने कहा कि बड़े अनबेलेन्स्ड सजेशन हैं, इम्प्रेक्टीकेबल सजेशन हैं, इमेजनरी हैं। इस तरह से वे तीन चार शब्द लाये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह स्वाभाविक था, क्योंकि एक आरथोडोक्स अप्रोच है, एक कन्जरवेटिव अप्रोच है। मैं यह चाहूं कि मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए विज्ञान के अन्दर पार्टस में अप्रोच करना चाहूं तो शायद वह मेरे दायरे से बाहर की बात होगी। तो उनका जो अप्रोच था, उनके आॅग्युमेन्ट्स का मेन ट्रेन्ड था, वह यह था कि हमारे यहां की म्युनिसिपैलिटीज़ में चुने हुए व्यक्ति अच्छे नहीं होते, इसलिए यह पॉवर न दी जाय, क्योंकि वे इसका दुरुपयोग करेंगे। उन्होंने

(श्री श्रीमानसिंह)

दुरुपयोग करने की एक्जाम्पल दी कि एक जमीन थी, उस जमीन को बेच कर पैसा खा गये। यही एग्ज़ाम्पल यही आर्ग्युमेन्ट, यही आरोप ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर लगाती थी कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इन्डियन तैयार नहीं है। अब यही आरोप हम म्युनिसिपल बोर्ड के चुने हुए मेम्बर्स पर, लीडर्स पर लगाते हैं। इस अप्रोच से डिनाई करें और कहें कि ये फंक्शन्स नहीं दिये जायं तो म्युनिसिपैलिटीज़ की जरूरत नहीं है, उनको बन्द कर दिया। मंत्री महोदय ने कहा कि क्लाज ६४ में इन्कोरपोरेटेड है। मैं मानता हूं कि आपने डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दी हैं मगर आज तक किसी म्युनिसिपल बोर्ड ने कोई डिस्क्रिशनरी पॉवर टच नहीं की। माननीय मन्त्री महोदय कोई उदाहरण दें कि कोई एक भी फंक्शन म्युनिसिपैलिटी ने कर दिया हो। एक नेचरल लिथार्जी है, म्युनिसिपैलिटीज के मेम्बर्स के सामने आप एक एबसोल्यूट चीज़ नहीं रखते हैं, कोई ड्यूटी नहीं रखते हैं तब तक उसको करने के लिये तैयार नहीं होते, बियोन्ड हैट करने के लिये कोशिश नहीं करते। यह चीज़ है जिसके कारण इन पॉवर्स को मैंने ऑबलीगेटरी रखा है। मेरे डिफरेन्ट क्लॉज़ में अमेंडमेंट हैं, उनको एक साथ देखें तो एक तरफ में ऑबलीगेटरी ड्यूटीज़ रखी हैं और दूसरी तरफ डिस्क्रीशनरी ड्यूटीज़ रखी हैं। अगर ऑबलीगेटरी होते हैं तो उनको वे सिन्सियर होकर करते हैं। जब तक ऑबलीगेटरी ड्टीज़ में नहीं लिखा हुआ कि अडल्ट और ब्लाइन्ड के लिए स्कूल खोलने चाहिए और क्रिपल्ड के लिये संस्था खोलें, तब तक म्युनिसिपैलिटीज़ नहीं चला सकती हैं। मेरा मतलब है कि आप इन्हें ऑबलीगेटरी करें कि म्युनिसिपैलिटी को इन्हें करना चाहिए, उन्हें मालूम हो कि उनके क्या फंक्शन हैं। मेरा मतलब है कि आपने जो ऑबलीगेटरी फंक्शन दिये हैं, उनको हटा दें और जो सेनीटेशन आदि का कार्य म्युनिसिपैलिटी करती है, उनको वे बदस्तूर करें और उसके साथ ही वे ये काम भी करें ताकि सोशलिज़्म को एक्चूअल प्रेक्टीकल रूप देना चाहते हैं, वह तभी हो सकता है, जब जो इन्स्टिट्यूशन्स हैं, वे जो फंक्शन डिस्चार्ज करती है, उनको ये फंक्शन एन्ट्रस्ट करें जो उनको प्रेक्टीकल शेप दें। आप इन म्युनिसिपैलिटीज़ के थ्रू सोशलिज़्म को इन रियलिटी में परिणित करने जा रहे हैं। इस मकसद से मैंने अमेंडमेंट पेश किये थे, न तो वे काल्पनिक थे, न अनबेलेन्स्ड माइन्ड से दिये गये थे, बल्कि माइन्ड से दिये गये थे, मेरा अनबेलेन्स्ड माइन्ड हो सकता है, ये फंक्शन और जगह की म्युनिसिपैलिटीज़ कर रही हैं, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, पर बाहर की म्युनिसिपैलिटीज़ तो कर रही हैं, यहां की म्युनिसिपैलिटीज़ बहुत सी कर रही हैं, बंबई वगैरह की म्युनिसिपैलिटीज ये फंक्शन डिस्चार्ज कर रही हैं। मेरा अनबेलेन्स्ड माइन्ड लगता है माननीय सदस्य को तो उन म्युनिसिपैलिटीज के सभी मेम्बर्स का अनबेलेन्स्ड माइन्ड हो सकता है.... । हंसी।

श्री नरोत्तम लाल जोशी (झुंझनू) : मैंने अनबेलेन्स्ड या असंतुलित जैसी कोई बात यूज नहीं की है। I have not used the word 'unbalanced mind' or any such thing.

श्री मदन सिंह : आपने यूज किया है, यह मालूम हो जायगा, ये अभी विड्रा करने वाले हैं।

Page No.56

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'bel Member is assuming the functions of a jester in the Assembly.

तो अध्यक्ष महोदय, ये सब मैंने इस मकसद से रखा, अगर माननीय मंत्री को पसन्द नहीं तो मैं विधान सभा से I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री श्रीभानसिंह ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(अनुमति प्रदान की गई)

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह कि जो दो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखे हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

दोनों संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६१ संशोधित रूप में, स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ६१, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ६०, इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६२ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६२ विधेयक का अंग बना।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ६३, श्री श्रीभानसिंह

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मैं मूव नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६३ है, पॉवर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्जेम्प्ट बोर्ड फ्रोम एनी ऑफ दी ड्यूटीज़। यह क्लॉज़ ६३ है, इसके बाद में प्रोवीज़ो जोड़ने के लिए लिखा है: Add a proviso at the end:

"Provided that the State Government shall perform those duties for which a Board may be exempted and also those which are declared as discretionary and which a particular Board cannot perform." अभी अभी क्लॉज़ ६१ से कुछ ड्यूटीज़, जो बहुत जरूरी थीं, उनको वहां से निकालकर डिस्क्रिशनरी कर दिया है, जैसे प्राइमरी एज्युकेशन की है या मेडीकल की है और इसके बाद जो धारा ६४ आने वाली है, उसके अन्दर सैकन्डरी पॉवर्स बोर्ड की है, उसके अन्दर ऐसी ड्यूटीज़ हैं, जो उसके पार्ट, (बी) के अन्दर हैं। जैसा कि कल फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बोर्ड का काम सफाई करना, मकानों की तोड़ फोड़ करने का होता है। बोर्ड के पास और भी काम हैं, जैसे लाइब्रेरी, गार्डन्स, म्युजियम, इत्यादि। उनको एस्टेब्लिश करने हैं। इनको करने की उनकी मर्जी है। आज स्वयं बोर्ड

Page No.57

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

का ट्रेन्ड है, मेम्बर्स का ट्रेन्ड दिखाई देता है इन बातों की ओर वह इन बातों की ओर नहीं होता। जो पहले काम हैं, उनमें दिमाग उलझा रहता है। जिन ड्यूटी को उनको डिस्क्रीशनरी रूप में दे रहे हैं, उन फंक्शन्स को गवर्नमेंट ले, क्योंकि ये हर एक चीजें खर्च की हैं, इनसे आमदनी होने वाली नहीं है। इसलिए इन्हें कौन करेगा। बोर्ड स्वास्थ्य आदि के फंक्शन्स को फुलफिल करने में असफल रही है, इसलिए इन सारे कामों को स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में ले और इन फंक्शन्स के जितने रिसोर्सेज हैं, उन पर कब्जा स्टेट गवर्नमेंट का है, वे धीरे धीरे रिसोर्सेज़ बोडर्स को दें। हम चाहते हैं कि जितने भी लोकल डेवेलपमेंट के वर्क्स हैं, वे बोर्ड करे क्योंकि लोकल जितने फंक्शन्स हैं, उन्हें बोर्ड अच्छी तरह से कर सकेगा, लेकिन आज इस तरह की व्यवस्था है इसलिये ऐसा नहीं कर सकते हैं, सारे फन्ड्स स्टेट के अधिकार में हैं। इस बिल में धारा आ रही है, क्लॉज़ ६७ में जरूर गवर्नमेंट कहने जा रही है कि बोर्ड को टैक्स लगाना पड़ेगा, नये रिसोर्सेज़ इन्कम के ढूंढने के लिये। बोर्ड को सरकार कह रही है तो जितने इन्कम के रिसोर्सेज़ आज म्युनिसिपैलिटीज़ के हैं उन पर सरकार कब्जा किये बैठी है, वे भी बोर्ड को दे देने चाहिए। सरकार कहती है कि हम बोडर्स को सब्सीडी देते हैं तो मैं तो कहता हूं, कि यह एक गलत तरीका है, क्योंकि जहां भी फाइनेन्सेज़ का मामला आये वहां सरकार बोर्ड की गर्दन पकड़े रहती है। अपोजिशन का बोर्ड है, वहां सब्सीडी, ग्रान्ट देने का सवाल आये तो सरकार उस बोर्ड को स्पेशल ग्रान्ट नहीं देगी। तो ये रिसोर्सेज़ म्युनिसिपैलिटीज़ को दिये जाने चाहियें, बोर्ड अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाये तो गवर्नमेंट चलाये।

श्री पी० के० चौधरी : I will speak on this clause Sir. I want to oppose it.

अध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज़ ६३ का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में एग्ज़ीक्युटिव को ऑथरिटी दिया जाता है कि म्युनिसिपैलिटी के लिये जो स्टेच्युटरी ड्यूटी इस बिल में प्रोवाइड कर रहे हैं, वह अपने ऑर्डर से जैसा चाहें परिवर्तन करा सकते हैं। इसका विरोध करने का मेरा मकसद यह है कि अक्सर देखा गया है कि एग्जीक्युटिव को डिस्क्रिशनरी पॉवर हैं, इसका अक्सर मिसयूज होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी म्युनिसिपैलिटी को रियायत देना चाहें तो सारे के सारे फंक्शन्स स्टेचुटरी ड्यूटी के क्या हैं, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे और जिनसे नाराज हैं, उन म्युनिसिपैलिटीज को एग्जेम्पशन्स नहीं देंगे।

दूसरी बात यह है कि एग्जीक्युटिव ड्यूटी से एग्जेम्पशन देने का क्लॉज रखना सुपरफ्लुअस है। क्लाज ६२ को पढ़ेंगे तो ऐसा लूज वर्डेड है कि यह सारी ड्यूटीज म्युनिसिपैलिटी को किस तरह करना है, शुरू में कहा गया है ६१ में : "It shall be the duty of every Board to make reasonable provision for the following matters within the municipality under its authority....."

अब यह रिजनेबल प्रॉविजन क्या है? लाइटिंग का अरेंजमेंट करना है, मान-

(श्री पी० के० चौधरी)

लीजिये कि किसी म्युनिसिपेलिटी के पास पैसा नहीं होगा तो म्युनिसिपेलिटी कहीं एक चौक में बत्ती जला देगी और कह देगी कि रिज-नेबल प्रोविजन कर दिया है, उनको आपने कहा : they will make provision for removing of fith... पब्लिक स्ट्रीट में एक झाड़ू फेर दिया....thet will be reasonable provision : तो मेरा कहना है कि without eveen makingon exemption by executive orders...

एग्जीक्यूटिव आर्डर से एग्जेम्प्शन करते हैं तो वह नहीं होते हुए भी अपने रिसोर्सेज के माफिक म्युनिसिपैलिटीज़ के करने का रखा है।

But no where in this clause you have stated that they will have to clean each and every nook and corner of the town.

आपने कहीं नहीं कहा that they will have to light each and every street of the town or city.

यह तो आपने नहीं कहा। आज अध्यक्ष महोदय, स्टेच्यूटरी प्रोविजन एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ से करने का पुराने एक्सपीरियेन्स से कर रहे हैं, बहुतसी जगह देखा गया है कि they were not conscious of their civic duties.

उनसे जितनी सर्विसेज देनी चाहिए नहीं देती ऐसी कमजोरी देखने में आती है इसलिए जरूरी है कि स्टेच्यूटरी प्रोविजन पर कोई लेजिस्लेशन पास करने से पहले Let them perform these duties. Then and then the legislature should come..

नार्मल ड्यूटीज़ एक्सपेक्ट की जाती हैं वही नहीं करते हैं इसमें इतना रखा है। 'Reasonable provision'.

इससे सारा का सारा आ गया।

With these two words 'reasonable provision', they may do these duties, they may not do these duties.

तो इतना जहां तक लूज वर्डिंग है ६१ का, इसके बाद क्लॉज़ ६३ का कोई मतलब नहीं रहता है, इससे यह होता है कि It gives a scope to the executive to make discrimination between municipality and municipality.

इस तरह का उनको लाइसेन्स मिल जायगा, डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ लिख देंगे कि सीकर झुंझनूं की म्युनिसिपेलिटी फिल्थ रिमूव करने में, लाइट जलाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसकी माली हालत अच्छी नहीं है तो उसको एग्जेम्प्शन मिल जायगा। और अगर सांभर के ऊपर नाराज हैं तो कह देंगे कि इसको तो सारी की सारी जगह लाइट जलानी चाहिये और सब रास्तों में लेन्स में, सब लेन्स में फिल्थ रिमूव करना चाहिये, लाइटपोस्ट रखना चाहिये।

मैं तो यही कहना चाहता हूं कि क्लॉज ६१ में उसकी ड्यूटीज का प्रॉविजन रखा है वह ज्यादा रखा है, इसको ६४ में रख दीजिये, डिस्क्रीशनरी ड्यूटीज हैं उसमें रख दीजिये पर मिनिमम स्टेच्युटरी प्रोविजन ड्यूटीज रख रहे हैं तो इसमें एग्जीक्युटीव ऑर्डर से स्टेच्युटरी प्रोविजन मत कीजिये। जो यह कर रहे हैं तो We should be definite about it.

उनकी ऑब्लीगेटरी ड्यूटी रख दें। मन्त्री महोदय, वहां शिफ्ट करके ६४ में डाल दें।

(श्री पी० के० चौधरी)

पर एग्जीक्युटिव आॅर्डर से स्टेच्यूटरी ड्यूटी, स्टेच्यूटरी प्रोविजन रखना इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। ६० और ६१ में एग्जेम्प्शन देंगे, इसमें क्या देंगे ?

You just read clause -93, अध्यक्ष महोदय इसमें दिया हुआ है। "Notwithstanding anything contained in Sections 90 and 91, the state Government may exempt any board from any of the provisions of those sections or may declare that in regard to any board any of the duties specified in the aforesaid sections shall be deemed to be discretionary duties within the meaning of section 94.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रिन्टिग मिस्टेक है । ६१ नहीं ६२ है।

श्री पी० के० चौधरी : (फुलेरा) ६२ भी हो। अध्यक्ष महोदय, जब यह मिस प्रिन्ट था तो इसके लिए एमेन्डमेंट लाने के पहले माननीय मंत्री महोदय को यह सक्यूर्लेट करना चाहिये था The Minister-in-charge should have circulated that it is a mis-print. ६० में भी When I saw it, I had a doubt about the intelligence of the draftsman... जिसने ड्राफ्ट किया है। अब ६२ भी रखते हैं तो इसमें क्या है ? आप देखिये। Special duties:- Subject to such reasonable provision as may be made under section 91, every board shall make reasonable provision...वह भी रिजनेबल प्रोविजन करेंगे Subject to reasonable provisions. उसका बेसिस है किस वजह से ?

कई जगह पर ऐसा देखा गया है। that municipalities are not performing their normal duties which they are expected to do.

इस लिए हम स्टेट्स Obligatory कर दें । आप चाहे तो काम कर दें। Make it compulsory,

इस लिये मैं ६३ को सुपरफ्ल्यूअस समझता हूं, मैं मानता हूँ कि वे इसके...

श्री अध्यक्ष : अभी कानून में इस प्रकार का प्रोविजन है और कितनों में गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो ६१ में फंक्शन्स म्युनिसिपल बोर्ड को दिये गये है उनमें से बहुत से फंक्शन हैं जिनको इन्क्ल्यूड किया गया है और म्युनिसिपल बोर्ड के लिए यह प्रोवाइड किया है। रिजनेबल प्रोविजन होंगे वह करेगी । मगर मानलें कि उसके पास फाइनेन्स की दिक्कत है और उस दिक्कत के कारण कोई काम नहीं करती है तो फिर क्या होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी सिटीजन अदालत में जाकर दावा करेगा और उसके खिलाफ पर्मानेन्ट इंजक्शन जारी कराएगा। ऐसी सूरत में क्या शक्ल होगी । इसलिये क्लॉज़ ६३ का प्रोविजन रखा है। यह उम्मीद की जाती है कि जिस सूरत में म्युनिसिपैलिटी उसको नहीं कर सकती और म्युनिसिपल बोर्ड का फन्ड उसे प्रोवाइड नहीं करे तो उस समय क्या हालत होगी। उसके लिए यह धारा ६३ रखी गई है। इसमें यह बात नहीं है कि किसी मेहरबान को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। यह बहुत सिम्पल क्लॉज है। यह इसलिए है कि मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही इनोसेन्ट बात है और इसको जैसी है वैसी ही मान लेना चाहिये।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अब दूसरा एमेन्डमेंट इस बात का है कि ६३ में से लेकर ६४ में ले लिया जावे । इसका मतलब यह होगा कि जो प्राइमरी फंक्शन्स म्युनिसिपेलिटीज के रखें हैं उनको अगर म्युनिसिपल बोर्ड पूरा करें या न करें तो जो नहीं करेंगे उनको गवर्नमेंन्ट उनको परफोर्म करेगी। इसका यह मतलब है। जो एमेंन्डमेंट रखा गया है इसमें मैं यह निवेदन करूंगा कि ऑबलीगेटरी फंक्शन रह जावें और डिस्क्रीशनरी फंक्शन्स है उसकी तरफ से अगर नहीं होगें तो गवर्नमेंट जरूर करेगी। अगर इस एमेन्डमेंट को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह हो जाता है कि बिल्डिंग बनाना, पब्लिक स्ट्रीटस आदि की जो भी बातें ६४ में हैं, उन सब को गवर्नमेंट चलावेगी। म्युनिसिपैलिटी चला सके या नहीं। अगर यह एमेन्डमेंट होता कि अगर म्युनिसिपैलिटी जिन कामों को नहीं कर सके तो गवर्नमेंट को करना चाहिये तो यह बात मानी जा सकती है। और कहीं शहर की सफाई जो बहुत जरूरी है उसको म्युनिसिपैलिटी नहीं करा सकती है तो उसको गवर्नमेंट करा सकती है।

जो क्लॉज ६३ में एमेन्डमेंट रखा गया है "Provided that the State Government shall perform those duties for which a Board may be exempted and also those which are declared as discretionary and which a particular board cannot perform."

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर) : It is different from obligatory.

श्री अध्यक्ष : इस सेक्शन के नीचे discretionary और ऑब्लीगेट्री....

श्री पी. के. चौधरी : दो तीन मिनिट मुझे भी बोलने का मौका दें। Only about 2 or 3 conditions are there, establishing hospitals andc onstructing of buildings. The remaining things, they can be made obligatory and if the Muncipality does not have the finances for paying salariec etc. to its officers then it is not worth the name.

तो मैं समझता हूं कि ४। ५ हॉस्पिटल रखने का और बिल्डिंग या कम्पोन्ड को डिसक्रीमिनिटरी में लिया जावेगा बाकी का ऑबलीगेट्री में लिया गया and the rest of the things may be taken as obligatory. So if you see there are only five or six functions which the Municipality is normally not expected to take as obligatory. These you can take under section 94 and make rest of the things as obligatory.

इसमें से आप बतादें कि फाइनेन्स का कौनसा प्रश्न आवेगा।

There can be an amendment to Section 91 if you want it.

यह तो एमेन्डमेंट आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : इसके अन्तर्गत कोई experience मिला है ? Does our experience say that anywhere this clause, clause of this nature has been used ? अगर मिला हो तो उसको बता दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले एक्ट उसमें था। २२ दिसम्बर १६५१ से गवर्नमेंट का है जिसमें टाउन म्युनिसिपल एक्ट (g), (s) and (t) of Section 53, उसमें ५३ का Water works, Manitaining houses for destitute women and children, etc.

Page No.61

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Hospitals and Anti-rabic etc.?

श्री अध्यक्ष : These have already been removed from 91.

श्री पी० के० चौधरी : Then it can be obligatory. ऑब्लीगेट्री रह जाता है। Then remove clause 93.

श्री अध्यक्ष : But still they want over all power in case they want to exercise it.

(श्री जगदीशप्रसाद को संबोधित करते हुए)

आपका संशोधन है। क्या आप संशोधन को वापिस ले रहे हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : मेरा मतलब यह है कि ऑब्लिगेट्री ड्यूटीज हैं उनको हम परफोर्म करेंगे। यह मेरे संशोधन की मंशा है। "Provided that the State Government shall perform those duties for which a Board may be exempted and also those which are declared as discretionary and which a particular board cannot perform."

(२) पार्टस है ६१ में जिसको छोड़ते हैं उनको संभालने का ज़िम्मा लेते हैं। ऑब्लीगेट्री ड्यूटीज़ हैं उनको एग्जेम्शन करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वाटर वर्क लगाने की जिम्मेदारी हम लेंगे। मैं यह कहूंगा कि इसके लिये न तो गवर्नमेंट इसको लगा सकती है न बोर्ड लगा सकता है म्युनिसिपैलिटी लगाना चाहे तो लगावे। अगर म्युनिसिपेलिटी नहीं करे तो गवर्नमेंट को लगाना चाहिये। अगर नहीं करे तो ६३ में रख दिया है कि यह मजबूरियां हैं, नहीं हो सकता इसलिये एग्जेम्शन का प्रोविज़न रखा गया है। यह कोई म्युनिसिपेलिटीज़ को नुकसान पहुँचाने की बात नहीं है। जनरल पॉवर काम कर सकते हैं, इसलिये रखा गया है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इसको वापिस लेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर उनको सफाई के काम से एक्जम्प्ट कर दिया तो फिर यह काम कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं करेगा।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि सफाई के काम से, इस ड्यूटी से एक्जम्प्ट कर देंगे तो फिर यह कानून ही बनाने की जरूरत नहीं है। जो कार्य न गवर्नमेंट और न वे परफोर्म कर सकें उनके लिए एग्ज़म्प्ट रखा है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६३ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृति)

क्लॉज ६३ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ६४

श्री अध्यक्ष : आपके (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता को संबोधित करते हुये) संशोधन हैं इसमें। ओमिट पार्ट जी एन्ड एल।

Page No.62

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अमेन्डमेन्ट है। और दूसरा ६१ में मेडीकल और प्राईमरी स्कूल निकाल दिया था उनको इसमें शामिल कर लिया गया है इसलिए वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई चार नये एड करने हैं।

श्री अध्यक्ष : कौन से ओमिट कर रहे हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक तो 'जी' और दूसरा 'टी'।

श्री अध्यक्ष : एक 'एल' भी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 'टी' है वह 'एल' गल्ती से छप गया था। 'वी.' 'डब्ल्यू' 'एक्स' और 'वाई' ये चार नये जोड़ने हैं। तीसरा अमेन्डमेन्ट था उसके आगे शुमार किया जाय :

In part (z) so re-lettered, after the word 'inhabitants' in line 3, insert 'or the Board'.

वैसा मैंने अर्ज किया था कि ६१ में जो फन्क्शन्स हैं ऑब्लिगेटरी के बजाय डिस्क्रेशनरी कर दिये थे उसके संबन्ध में ये अमेन्डमेन्ट और स्वीकार किये जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष मेरा अमेन्डमेन्ट है, एड न्यू क्लॉज़ ६४ए और वह इस तरह है : Add a new clause 94-A "94-A. The Board may by the votes of not less than two-thirds of the whole number of members undertake trading and nontrading services including public utility services, such as :—

(1) to construct and own power houses, gas plants, water works,

(2) to construct its own houses and buildings for letting purposes,

(3) to run its Bus Services and the like,

(4) to construct its own market,

(5) to construct and own its cinemas, theatres, hotels, and restaurants.

(6) to arrange the supply of milk, and

(7) any other matter not specifically forbidden by any Act or order of the State Government:

Provided that the expenditure on them is met wholly out of the revenues of the Board."

माननीय अध्यक्ष, आज हमारी जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उनके जो फन्क्शन्स हैं, उनको अभी सदन ने कंसीडर किया, मगर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन संस्थाओं का काम किस तरह से साउन्ड फुटिंग पर एस्टेब्लिश करें और उनकी जो इनकम है, जो आमदनी है या जो रेवेन्यू है उनको किस तरह से बढ़ाया जाय क्योंकि जो हम उनको फन्क्शन्स देते हैं उनके लिए उनकी रेवेन्यूज़ अपर्याप्त हैं। फिर जब हम टैक्सेशन की तरफ देखते हैं तो टैक्सेशन के जो रिसोर्सेज हैं या टैक्सेशन के हैड्स हैं वे....

Page No.63

श्री अध्यक्ष : ६४ में भी अमेन्ड-मेन्ट है।

श्री श्रीभानसिंह : वह मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह मूव नहीं कर रहे हैं?

श्री श्रीभानसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : तो पहले ६४ को वोट कर लें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मेरा है।

माननीय अध्यक्ष, इस पर मेरे संशोधन हैं और थोड़े से ही हैं। पहला संशोधन हैं पार्ट 'पी' के अन्दर लाइब्रेरी शब्द के बाद 'स्कूल' और एड किया जाय और दूसरा 'रेस्ट हाऊसेज़' के बाद 'पूअर हाऊसेज' शब्द और जोड़े जांय। पार्ट 'के' के अन्दर म्युज़िक शब्द के बाद 'एन्ड अदर कल्चरल प्रोग्राम्स' शब्द एड किये जांय। पार्ट 'आर' में 'लेबर' शब्द के बाद 'एन्ड शोशियल' शब्द एड कर दिया जाय। पार्ट 'एस' में 'ऑर्गनाइज़िंग और' शब्द को ओमिट कर दिया जाय और 'वर्कर्स यूनियन' कर दिया जाय और पार्ट पांच में 'टू थर्ड्स' की जगह 'वन हाफ' कर दिया जाय।

इस क्लॉज़ के अन्दर जो बोर्ड के दूसरे फन्क्शन्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बोर्ड के जो फन्क्शन्स कन्सीडर किये हैं उसमें स्कूल्स को एड करने वाली बात है और बहुत से ऐसे बोर्ड्स भी हैं, राजस्थान में जहां स्कूल्स चल रहे हैं इस लिए यह लाज़मी तौर पर रखने का सवाल नहीं था इसलिए मैंने रखा है, कि बोर्ड चाहे तो जहां लायब्रेरी चलती है वहां स्कूल भी चला सकते हैं। इसमें कम्पल्सरी नहीं बताया है इसलिए स्कूल शब्द ही रखा है। स्कूल शब्द एक वाइड शब्द है। क्योंकि इसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल भी कवर हो जाते हैं और दूसरी प्रकार की जो शिक्षण संस्थायें हैं वे भी आ जाती हैं। इतना यह शब्द व्यापक होने से रखा है। म्युज़िक के साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई ऑब्जेक्शन कर दे कि म्युज़िक के साथ नृत्य कैसे कर दिया तो उसके लिए 'अदर कल्चरल प्रोग्राम' शब्द रख दिए हैं और इसी लिए निवेदन किया है कि इनको एड कर दिया जाय। लेबर वेलफेयर के साथ, ठीक है उनको लेबर ही करेंगे, लेकिन उनकी सांस्कृतिक स्थिति में सुधार के लिए यह काम सोशल वेलफेयर द्वारा हो सकता है इसलिए मैंने 'लेबर एन्ड सोलशल वेलफेयर' शब्द रखे हैं। एक डाउट होता है कि म्युनिसिपल मेम्बर्स मिल कर वर्कर्स यूनियन ऑर्गेनाइज़ करेंगे या वर्कर्स खुद ऑर्गेनाइज़ करेंगे या जो म्युनिसिपेलिटी की जो यूनियन्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जावेगा।

२. म०प०

इसलिये बहुत स्पष्ट करने के लिये ऑर्गेना-इज़िंग और शब्द हटाकर वर्कर्स यूनियन को सहायता देने वाली बात कही है। यह बिल्कुल सत्य है कि आज इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि, बोर्ड के अन्दर जो एक प्रकार से यूनियन को ऑर्गेनाइज़ किया और उनके मेम्बर्स या चैयरमैन इस बात में इन्टेरेस्टेड हैं कि लेबर की दूसरी यूनियन और

Page No.64

(डॉ० बहादुरसिंह)

खड़ी कर दी जाय ताकि आपस में लड़ाकर अपना फ़ायदा उठाया जाय। तो वैसी हालत में जो सही मायने में मज़दूरों की यूनियन होगी उनके हित के लिये कोई काम न हो सकेगा तब वह यूनियन एक शो बोय की तरह की होगी। इसको हटाने के लिये वास्तव में जो मज़दूरों का हित करने वाली यूनियन होगी तो इस तरह से यूनियन को सहायता नहीं मिल सकेगी वे अपनी खड़ी की हुई यूनियन को सहायता देंगे। इसलिये ऑर्गेनाइज़ और शब्द को हटाकर वर्कर्स यूनियन रखा जाय यह शब्द उपयुक्त है।

दूसरा जो बी इस के अन्दर है यह तो बहुत मान्य बात है कि जनतन्त्र के युग में किसी एक दल का बहुमत नहीं हो सकता। मान लीजिये किसी म्युनिसिपैलिटी में ९ सदस्य हैं उनमें से पांच तो कांग्रेस के हैं, तीन स्वतन्त्र है और एक जनसंघ का। इस तरह से जन संघ के सदस्य की जो नीति है वह किसी विकास कार्य में रोड़ा अटकाने की है, वह हमेशा रोड़ा अटकाता रहेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): विकास कार्य में रोड़े अटकाते तो आपका शरीर इस प्रकार का नहीं होता।

डॉ० बहादुरसिंह : यह आपके रोड़े से रुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप अभी भी देखिये भाषण देने में भी रोड़े अटका रहे हैं, तो इस तरह से रोड़े अटकाने की इनकी नीति है जब बहुमत हो ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : आपके तो अटकाई नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : बहुमत की नीति हो उसको मान्य करके १।२ को स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर कोई विकास कार्य नहीं करने हो, और जनसंघियों से उपद्रव ही कराना हो तो बात दूसरी। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधनों को प्रस्तुत करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा इसके "बी" पार्ट के अन्दर संशोधन है वह इस प्रकार है। धारा ९४ के अन्दर जो कार्य नगरपालिकाओं को सौंपे गये हैं, उसके बाद एक क्लॉज़ है "एनी अदर मेटर" एन्छिक क्लॉज़ के अन्दर बाद में यह लिखा जाता है, उसके बाद एनी अदर मेटर लिखना उपयुक्त नहीं है। मुझे इसको देखकर बड़ा आश्चर्य यह होता है, कि इस प्रकार के कर्तव्य में एनी अदर मेटर को जो यह पाबन्दी लगाई गई है, उसका मतलब यह है कि नगरपालिका को जो जो कार्य करने हैं, उसके अलावा भी वह कार्य कर सकती है। उसके लिये डिफाइन किया हुआ है, स्पेसिफिकली लिख दिया गया है प्राइमरी एज्युकेशन पब्लिक स्वास्थ्य के लिये सेफ्टी व सुरक्षा के दृष्टि से वहां के लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिये जो इस एक्ट के द्वारा उन प्रावधानों को क्रियान्वित करना आवश्यक है। वहां उनके लिये यह भी रख दिया गया है, इसके अलावा बाहर का और कोई भी कार्य है वे कर सकते हैं। मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह धारा ९४ डिसक्रिशनरी क्लॉज़ है, इसको करना चाहे तो करें नहीं तो नहीं। इस तरह से डिसक्रिशनरी क्लॉज़ के अन्दर किसी प्रकार का बन्धन रखना उपयुक्त नहीं होगा। डिसक्रिशनरी क्लॉज़ में बहुत बातें स्पेसिफिकली डिफाइन की हुई हैं,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उसके बाद भी 'एनी अदर मेटर' करके उसके साथ यह भी रख दिया गया है, कि उसमें २।३ का बहुमत उसके लिये नगरपालिका में हो और उसके बाद गवर्नमेंट का एप्रुवल हो तो नगरपालिका अपने फंड में से उस काम के लिये खर्च कर सकती है, मैं समझता हूं इस प्रकार की पाबन्दी अनावश्यक है । जब कभी ये बातें डिफाइन की जाती है, उसके बाद यह लिखा जाता है कि, इसके अलावा इस प्रकार के काम कर सकेंगे । इसमें हमें देखने को मिलता है, इसके लिये परमीशन लेनी पड़ेगी उसके फेवर में इतने पर्सेन्ट लोग हों तभी पैसा खर्च किया जायगा ।यह तो नगरपालिका की मौलिक सूझ होगी या कोई नया कार्य करना चाहता होगा वहां की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिये कोई बोर्ड अच्छे अच्छे कार्य करना चाहेगा लेकिन आपके इस प्रकार के प्रावधान रखने से वह आपके बिना एप्रुवल लिये और २।३ उसके पक्ष में नहीं होंगे तो वह नहीं कर सकेगा । यह ऐसी जगह जहां के चेयरमैन परिष्कृत दिमाग के होंगे वे नयी नयी सूझ जनता के लिये निकालना चाहेंगे वहां मेजोरिटी केवल एक आदमी की है उस के दिमाग की योजना है, जब तक उसके फेवर में २।३ मेजोरिटी नहीं होंगी गवर्नमेंट का एप्रुवल न होने के कारण वह उस कार्य को नहीं कर सकेगा । यह ज्यादातर वहां होगा जहां विरोधी दल की म्युनिसिपैलिटियां होंगी जो जनता के सामने नये नये कार्य क्रम देना चाहेंगे जनता की भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे उस पर गवर्नमेंट का एप्रूवल नहीं मिलेगा इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, जो मेटर्स डिसक्रिशनरी है 'एनी अदर मेटर' के अन्दर जब कि चार पांच बातें स्पेसिफिकली सूझा दी है २।३ मेजोरिटी हो गवर्नमेंट का एप्रुवल लिया जाय ये जो इस प्रकार की बन्दिश आपने रखी है उसे मैं अनावश्यक समझता हूं । मैं मन्त्री महोदय से आशा करता हूं, कि वे इसको वापिस लेंगे । अन्यथा मेरे सुझाव को बहुमत से पास करें ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, अभी धारा ६१ के संबन्ध में जब विचार हो रहा था मैंने अर्ज किया था, कि धारा ६१ और ६४ ये ऐसी धारायें हैं जिनमें जितने भी म्युनिसिपल फंक्शन्स होते हैं जिनको कायम हम कर सके हैं, उनको शामिल कर दिया गया है । इसके अलावा एक सेक्शन और रखा गया है जिसके अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड और कुछ काम करना चाहे, इसमें करने की इजाजत दी गई है । उसमें यह पाबन्दी रखी गई है, इसके अलावा कोई कार्य म्युनिसिपैलिटी करना चाहती है, तो उसको २।३ की मेजोरिटी से तय करना होगा और उस पर सरकार का एप्रुवल होना चाहिये । जैसे मान लीजिये कोई म्युनिसिपैलिटी किसी प्रकार का ट्रेड शुरू करना चाहती है इकोनोमिक बेटरमेंट के लिये काम करना चाहती है, और उसमें पांच सात लाख रुपया लगाना चाहती है, तो ऐसी सूरत में जब उस स्कीम को म्युनिसिपैलिटी के २।३ मेम्बर मन्जूर कर लेंगे और उस पर गवर्नमेंट की मन्जूरी हो जायगी तभी वे उसको चालू कर सकेंगे । नहीं तो होगा क्या, अगर गवर्नमेंट की मन्जूरी नहीं ली गई और वह काम फेल होगया और वह म्युनिसिपैलिटी चली गई तो सारी जिम्मेदारी किस पर होगी । मैं समझता हूं इस प्रकार की सारी जिम्मेदारी सरकार के एप्रुवल के बाद सरकार की हो सकती है । इसी प्रकार

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

फ़ाइनेन्स के जितने मेटर हैं, जैसे गवर्नमेंट लोन देती है तो वैसी हालत में किसी भी प्रकार के फंक्शन हो उसमें गवर्नमेन्टी की मन्जूरी होना जरूरी है। नहीं तो होगा क्या मेजोरिटी मेम्बर्स अपनी मर्जी से नये काम शुरू तो कर देंगे लेकिन उनको पार लेजाना उनके लिये मुश्किल होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस तरह से यह धारा है, उसी तरह से रहना उचित है जिन माननीय सदस्य ने इस प्रकार का संशोधन रखा हैं, वे वापिस लेंगे।

इसके अलावा एक और अमेन्डमेन्ट रखा गया है 'स्कूल' और एड किया है। स्कूल के बारे में प्राइमरी स्कूल आलरेडी एड कर दी है। अमेन्डमेन्ट मैंने पेश कर दिया है।

जो बात 'अदर कल्चरल प्रोग्राम' की कही गई उसमें यह जो बी, है उसमें सबका समावेश हो जाता है। इसलिये उनके अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होगी और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापिस लेने की कृपा करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया है। इस पर मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंहजी ने रक्खा है उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डा० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने जिस भावना से इस संशोधन को रक्खा था उसे समझने में मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी थोड़े असमर्थ रहे। मैं यह समझता हूं कि हमारी नगरपालिका विकेन्द्रित शासन पद्धति की एक इकाई है। जहाँ तक नगर का संबंध है और उन प्राथमिक इकाइयों में जो जनता के नुमाइन्दे आते हैं, उनके प्रति अविश्वास करना यह एक ऐसी चीज़ है मानो प्रजातन्त्र पर अविश्वास करना है। हम विधान सभा में बैठे है। विधान सभा के सदस्यों पर बी. ए. होना न होना, अंग्रेजी जानना न जानने की पाबन्दी नहीं लगाते। हम में कुछ अच्छे एजूकेशनीस्ट हैं, कुछ दूसरे प्रकार के हैं। पर फिर भी हम सब मिलकर विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं। इसी प्रकार उन पर विश्वास करते हैं, अविश्वास उन पर नहीं करते। इसी तरह से नगरपालिका में भी जनता के चुने हुए नुमाइन्दा आते हैं। उनमें भी कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अधिक, पर तब भी वे विधान के अनुसार नगरपालिका का काम चलाते हैं, तो उसूलन उन पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिये। इस के बाद भी अगर वे जनता के साथ गद्दारी करेंगे, तो जनता उनको स्वयं हटा सकती है। पर अगर आप जनतन्त्र में विश्वास करते हैं और उसका हाथ मज़बूत करना चाहते हैं तो आपको चुने हुए प्रतिनिधियों में विश्वास करना होगा, उनमें अगर अविश्वास करते रहेंगे, तो आप लोकतन्त्र की प्रगति में बाधक ही सिद्ध होंगे। इसलिये चाहूंगा कि वे इस पर और विचार करें तो अच्छा है। हमें चाहिये कि जनतन्त्र की

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इकाईयों को खुल कर खेलने दें। उन के हाथों को मज़बूत करने के लिये आर्थिक सहायता दें, न कि हम कुछ उन को बन्धन में बांधें। इसलिये मैं अच्छी तरह समझता हूं कि यह संशोधन ठीक ही रक्खा है और वापिस लेने का प्रश्न खड़ा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री श्रीभानसिंह। ६४ ए जोड़ना चाहते हैं, आप

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मैं मूव करना नहीं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ६४ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ६५।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना अमेन्डमेन्ट पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दयाकृष्ण विजय :

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैंने इसमें यह संशोधन रक्खा था :

'with the sanction of the State Government be deleted ..

(अल्प विराम के अनन्तर)

यह ठीक है, जब सब मेम्बरों की राय है तो मैं नहीं मूव करना चाहता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इसमें अमेन्डमेन्ट इतना है : In line 4 substitute 'make' for 'continue'.

यह लैंग्वेज़ के करेक्शन के लिये है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मन्त्री महोदय ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ६५ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ६५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ६६। श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

Add the following :-

"It shall be lawful for the Board to ask for submitting the annual accounts or to pay visits occassionally

(श्री दयाकृष्ण विजय)

to these institutions to which is given some time monatory help out of its funds." जिन संस्थाओं को नगरपालिकाओं की ओर से कुछ सहायता दी जाती है उनके अकाउन्ट्स वगैरह को देखने का अधिकार नगरपालिका को देने संबंधी इसमें कोई क्लॉज़ नहीं है। इसलिये मेरा यह संशोधन है। यह आवश्यक है, कि वह जिन संस्थाओं को सहायता दे उनके हिसाब को देख सके, उनके हिसाब मांग सके या जाकर देख सके कि सही उपयोग उस रकम का हो रहा है या नहीं।

आज यहां तक देखा जाता है, कि कई ऐसी संस्थाएं हैं, जिनको सरकार सहायता देती है, पर उनका एग्ज़िस्टेन्स ही नहीं होता। जैसे कोटा में बाल मन्दिर है, जिसको सहायता दी जाती है उसके मकान पर इसका बोर्ड मात्र लटका रक्खा है। न उसमें कोई लड़का पढ़ता है न करता है। कई ऐसे होते हैं जो अपना उदर पोषण करने के लिये झूठे नाम लगा कर दो या चार दिन सहायता देने वालों को दिखाने के लिये काम काज दिखा कर, किराये के विद्यार्थियों को बुलाते हैं और टीचर्स को बिठा देते हैं और इस प्रकार अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसको स्वीकार कर लीजिये। वैसे तो इसमें है ही।

श्री अध्यक्ष : एक्सक्लूज़िवली मेन्टेन्ड यह इसमें है। इसमे आपकी एडेड संस्थाएं नहीं आवेंगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : वे भी एक्सक्लूजिवली में शायद ही आवेंगीं।

श्री अध्यक्ष : वह तो सारी जिम्मेदारी ही नगरपालिका की होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वही तो बात है, वह तो कन्ट्रोल ही सारा उसी का है। वही एडमिनिस्टर करेगी। ऐसी स्थिति में आप विड्रा कर लें तो अनुचित नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कई संस्थायें ऐसी होती हैं कि जिनके इन्डीविजुअल मालिक हो जाते हैं। पैसे दिये जायेंगे, वह बोर्ड की ही संस्था कहलायेंगी। लेकिन जब आप दूसरों के हाथ में दे देते हैं, तो वह व्यक्ति ही उस संस्था को अपनी ही बना लेते हैं। इसलिए इसको रख लिया तो कोई बात नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर संस्था चलेगी तो it must vest in the Board, किसी दूसरे आदमी के हाथ में नहीं देंगे management control must vest in the Board under this Act.

श्री अध्यक्ष : आप तो सिर्फ अकाउन्ट्स का ही कह रहे हैं और इस क्लॉज़ के अन्दर तो मेन्टीनेन्स कन्ट्रोल तक उनके पास रहेगा।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि बिल की क्लॉज़ ६६ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६६ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ६७ । इसमें आपका (श्री श्रीभानसिंह को संबोधित करके) संशोधन है । मंत्री महोदय के भी हैं । आप (श्री श्रीभानसिंह) पेश करें अपने संशोधन ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ऑफिशियल अमेन्डमेन्ट्स हैं वह पहले मूव होने चाहिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय मेरा अमेन्डमेन्ट हैं : Omit 'and' towards the end of part (a) (ii) of the first proviso 'एण्ड' को ओमिट करने के बारे में है (2) Before part (b) of the first proviso insert the following : (a) the tax under clause (2) shall not be levied on a motor vehicle as defined in the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act IV of 1939) or on any other mechanically propelled vehicle, and.' यह संशोधन इसलिए रखा है कि मोटर विहिकल्स टैक्सेशन के अन्तर्गत जो टैक्सेज़ हैं वह ऐसे हैं कि कोई लोकल टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इसके लिए तो कानून सेन्ट्रल गवर्नमेंट ही बनायेगी । इसलिए यह आवश्यक है । मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष : मतलब मोटर कार पर ऑक्ट्राय नहीं लेंगे । ६७ (२) में आप संशोधन रख रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मोटर विहिकल के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकते, सामान पर लगा सकते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : How does it come here ? You can take it in the exemption. Why do you make an exemption ? You have got section 100 for exemption.

श्री अध्यक्ष : He is putting it under the proviso. He says before part 'b' insert the following and that is I think, quite in place there.

श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष मेरा यह सजेशन है कि क्लॉज़ ६७ से लेकर १०६ तक को यदि एक ही साथ ले लिये जायें तो ठीक रहेगा, क्यों कि उनमें आब्लिगेटरी टैक्सेज़ हैं इसलिए सारे पर एक ही साथ डिस्कशन हो जाये ।

श्री अध्यक्ष : यह भी उचित है । अब आप अपना संशोधन रख दें ।

श्री पी० के० चौधरी : Some of the amendments I think have not yet come before us. So I think it will be difficult...

श्री अध्यक्ष : We move all these as they came and then hold a discussion jointly...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जो मूव करना चाहें वह मूव कर दें । मेरे ख्याल से कोई आब्जेक्शन नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जितने क्लॉजेज़ पर अमेन्डमेन्ट्स हैं वह सब मूव कर दें और फिर jointly we shall discuss them all.

श्री अध्यक्ष : हां, सब अमेन्डमेन्ट्स मूव हो जायें और जिन्होंने ६७,६८ पर संशोधन दिये हैं उनको भी रख लें और फिर वोटिंग एण्ड डिसकशन एक साथ हो जायेगा । यह ठीक रहेगा ।

डॉ० बहादुरसिंह

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष में ६७ से लेकर १०० तक जो मेरे अमेंडमेंन्ट हैं, उनको मूव करता हूं । ६७ धारा में मेरा एक अमेंडमेन्ट है कि पार्ट श्री को डिलीट किया जाये । यह पार्ट 'श्री' टैक्सेशन, प्राफेशन और वोकेशन पर है । चैप्टर ७ और इसका क्लाज़ ६७ है यह म्युनिसिपैलटी को टैक्सेशन के अधिकार देता है । इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जो प्रोफेशन पर हम टैक्स लगाने जा रहे हैं, वह नगरपालिका के अधिकार में कहां तक आता है, इस पर सोचने की बात है । किसी पेशे पर टैक्स यह नगरपालिका लगाये तो यह चीज़ बहुत गंभीर है । अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि धौलपुर स्टेट के अन्दर जो राजनैतिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था, तो वह संघर्ष एक प्रोफेशन टैक्स को लेकर ही हुआ था । आज उसी प्रोफेशन टैक्स को बजाय स्टेट के लगाने के नगरपालिका लगाये यह अधिकार हम म्युनिसिपैलिटी को देते हैं । और उसको यह अधिकार हो कि वह अपने नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर चाहे कोई चमड़े का काम करे, चाहे

(२. २८ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति पदासीन)

हजामत का काम करे या दूसरी प्रकार का प्रोफेशन करे तो उस प्रोफेशन पर जो भी उसकी आमदनी है उस पर टैक्स लगाया जायेगा । यह तो आप जानते ही हैं, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि चाहे वह कुछ भी काम करता हो, जब अदालत में जायेगा तो गवाही में उसके पिता का नाम और दूसरे पेशे करने के बारे में पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो । इसलिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ पेशा करता है । इस तरह नगरपालिका का प्रत्येक नागरिक चाहे वह कुछ भी काम करता हो उसको कुछ लाभ है या नहीं है लेकिन उसको टैक्स जरूर देना है । मैं समझता हूं कि वैश्यावृत्ति भी एक पेशा है और उसके ऊपर भी म्युनिसिपैलिटी के कुछ मनचले सदस्य उस पर टैक्स लगा सकते हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कि इस प्रकार के अधिकार म्युनिसिपैलिटीज़ को नहीं होने चाहिए कि वह प्रोफेशन पर भी टैक्स लगाये । सेल्स टैक्स हमारी राजस्थान सरकार ले ले और इन्कम टैक्स हमारी केन्द्रीय सरकार ले ले और फिर बाद में प्रोफेशन पर टैक्स हमारी म्युनिसिपैलिटीज ले ले और फिर इसके बाद में अगर म्युनिसिपल क्षेत्र के वार्ड्स की कोई पंचायत भी बनें तो वह भी टैक्स लगा दे यह उचित नही है । हां, यह ठीक है जयपुर शहर में हो सकता है प्रोफेशन पर । लेकिन जहां स्टेट टाइम में म्युनिसिपैलिटीज़ एक स्टेट डिपार्टमेंट के तौर पर चला करती थी और कोई टैक्स नहीं था सिर्फ वह एडवाइज़री बॉडी की तरह काम करती थी, समाज सेवा का काम करती थी । मैं समझता हूं कि मेरे नगर में तो हाऊस टैक्स

(डॉ० बहादुरसिंह)

भी नहीं है और जब हाऊस टैक्स आयेगा तो उसमें भी बावेला मचेगा। यह ठीक है, कि आप हमेशा यह कहते हैं कि टैक्सों के बारे में माननीय सदस्य यहां पर कई प्रकार की आलोचनायें करते हैं और यह प्रयत्न करते हैं टैक्स नहीं लगे और किस प्रकार से जो नगरपालिका के इनकम के सोर्स हैं उनको रोका जाये। पर मेरे ख्याल से आप यह कम्पलसरी थोपने जा रहे हैं। होना यह चाहिए कि अगर नगरपालिका के सदस्य उचित समझते हैं तो प्रोफेशन टैक्स लगाना चाहिए अन्यथा नहीं। मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त भी नहीं है कि इस प्रकार का टैक्स लिया ही जाये। इस प्रकार के टैक्स के बारे में मैं समझता हूं कि जो भी उस क्षेत्र की नगरपालिकायें हैं, उन्हीं के ऊपर ज्यादा डिपेन्ड करना चाहिए बजाय इसके कि हम अपने सदन से यह आशा करें कि वह नगरपालिका के लिए इस बात के लिए अनुभव करें कि वह अपने विकास के लिए नहीं सोच सकते। ऐसी बात नहीं है ....

उसी प्रकार के सदस्य बल्कि हमारे कई माननीय सदस्य तो नगरपालिकाओं के भी सदस्य हैं तो हम उन माननीय सदस्यों की जो कि नगरपालिका के सदस्य हैं उनकी योग्यता को कम आंकना चाहते हैं ऐसा प्रतीत होता है। जन प्रतिनिधि चाहे छोटे क्षेत्र का हो चाहे बड़े क्षेत्र का हो बराबर है। इसलिए वह टैक्स उन पर डिपेन्ड करता है। म्युनिसिपेलिटी में लाने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा जो संशोधन है प्रॉविजो के अन्दर वह हाउस टैक्स के बारे में है। इसमें यह बतलाया गया है, कि जो सिटी होंगे उसमें तो १२०) या १००) रु० मासिक और नगरपालिका के क्षेत्र के अन्दर करीब ६०) या ५०) रु० महीने की जो किराये की आमदनी होगी या इस प्रकार से जो किराया जिससे वसूल होगा उस पर हाउस टैक्स लगेगा। मैं इसको उपयुक्त नहीं समझता हूं। ऐसी कई विधवाएं हैं जिनके मकान हैं, उन गरीबों के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं है लेकिन उससे अपने जीवन का किसी प्रकार से गुजारा कर रही हैं। किराये की आमदनी शायद बड़े बड़े शहरों में अच्छी हो सकती है। छोटे शहरों में कम है। लेकिन इस दृष्टिकोण से भी आज जिस मकान की आमदनी २५०) साल की नहीं हो उनसे हाउस टैक्स वसूल नहीं करना चाहिये। उसी प्रकार से म्युनिसिपल ऐरिया में १०) रु० मासिक से ज्यादा नहीं हो उससे हाउस टैक्स वसूल करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा संशोधन है कि १२०) है वहां २५०) कर दिया जाय और जहां ६०) रु० हैं वहां १२०) कर दिया जाय, यानी पूरी रकम को दुगुना कर दिया जाय। इसलिए इस प्रकार का जो मेरा संशोधन है उससे छोटे छोटे स्थानों पर सुविधा मिलेगी। और जहां बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उन पर हाउस टैक्स लगता रहेगा। हाउस टैक्स से एग्जेम्प्ट करने की बात नहीं है।

इसी प्रकार से ६८ के अन्दर भी एक और संशोधन है, माननीय सभापति महोदय यह ६८ के अन्दर रईसों और राजाओं को एग्जेम्प्ट कर दिया गया और गरीबों पर जो बेचारे मज़दूरी करते हैं टैक्स लगाते हैं तो मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। मैं यह उपयुक्त समझता हूं कि धारा ६८ के पार्ट (सी) (१) के अन्दर है कि omit the word of a Ruler of a Covenanting State or the members of his family or'.

(डॉ० बहादुरसिंह)

इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाय। पार्ट (डी) के अन्दर of the proviso insert the words 'or gardening' after the word 'agricultural'. शब्द लगा देना चाहिये। तो सभापति महोदय, सवाल यह है कि जो इस राजस्थान के अन्दर करीब करीब २२, २३ रियासतें थी और उन रियासतों के अन्दर जो रूलर्स थे उनकी लम्बी चौड़ी फेमीलिज भी हैं, और खास तौर से सारे के सारे लोगों को जिनको कि लाखों रुपया इस बात का देते हैं कि उनकी एक्स स्टेट्स थीं, और अब हम यहां पर इस बात की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, कि उनको जो नगरपालिका के टैक्सेज़ हैं उनसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाय, तो यह उचित नहीं है बल्कि उनके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार का कि एक साधारण नागरिक के साथ करते हैं। जहां तक उनकी इज्जत का प्रश्न है, मैं दो राय नहीं रखता हूँ। उन्होंने जो कुछ त्याग किया था उनके एवजाने में हम उनको पेन्शन देते हैं। उनके साथ और भी सुविधाएं देते हैं। लेकिन नगरपालिकाएं स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं। उनके अन्दर उनके बड़े बड़े महल हैं। बहुत से रईस ऐसे है जो कि अपने शहर के बाहर बने हुए मकानो में रहते हैं जो कि म्युनिसिपल एरिया के बाहर हैं उनका कोई प्रश्न आता ही नहीं है। जिन लोगों के महल नगरपालिका के क्षेत्र में आते हैं और जिनका सामान नगरपालिका के क्षेत्र में आता है उन पर ऑक्ट्राय तथा दूसरे टैक्सेज से एग्जेम्प्ट करने की सिफारिश करते हैं, वह उचित नहीं है। बल्कि इस प्रकार के एक्स रूलर्स है उनके साथ में इस प्रकार की रियायतें विशेष देने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ में उसी प्रकार का व्यवहार करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से मेरा एक संशोधन क्लॉज १०० में है।

Omit part (d) and (e).

इस प्रकार से जो एग्जेम्प्शन का प्रश्न था "Any building or part of a building used for the occupation of the Ruler of a covenanting State or the members of his family or for the location of the establishment of such Ruler or members or."

उनके कुत्ते का बच्चा भी आयेगा और उनके लिए और कोई जानवर आयेगा तो उस पर भी टैक्स नहीं, और साधारण गरीब नागरिक कोई बेचारा अपनी रोजी कमाने के लिये बैल लाये तो उस पर टैक्स लिया जाय। अगर कुछ सामान वह किसी प्रकार का अपने गुजारे के लिए, मान ले कि खोमचा रखकर बेचे तो उस पर प्रोफेशन टैक्स लगा दिया। उस गरीब ने किसी प्रकार से एक झोपड़ी बनाली और उसके अन्दर ५) रु० महीने की आमदनी करने लगा, कोई गुज़ारे का और साधन नहीं है। ६) रु० महीने का किराया लेने लगा तो आपका टैक्स हो गया। लेकिन जिन लोगों को राजस्थान की कमाई से लाखों रुपया दिया जाता है उनको एग्जेम्प्ट करते हैं तब बिल्कुल बेवाजिब बात है। मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूँ। आज इस तरह की सुविधा देना मैं संविधान के भी विरुद्ध मानता हूँ, क्योंकि आज किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया है कि उसमें कुछ विशेषताएं हों। आप कह सकते हैं कि उनकी स्टेट थी और उन स्टेटों के कारण उनको यह अधिकार है

(डॉ० बहादुरसिंह)

कि वे उन वस्तुओं का प्रयोग करें। लेकिन म्युनिसिपैलिटीज़ ने किसी कवेनेन्ट या किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। यह आप मान सकते हैं कि नगरपालिका भी उनके राज्य में थी, और उनके साथ की गई संधियों के अन्तर्गत ऐसा प्रोविज़न होगा कि हम उसमें जो भी म्युनिसिपैलिटीज़ के इस प्रकार के लोकल टैक्सेज़ होगें उनको नहीं लेगें। लेकिन समय का तकाज़ा है कि किसी प्रकार की कोई भी संधि थी तो उनको फाड़ कर फेंक देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस बात को न मानने को तैयार नहीं हूं कि हम किसी क्लास विशेष को इस बात के लिए सुविधा दें कि जो लोग रूलर्स की फेमिलीज़ में रहते थे तो रूलर्स की फेमिली में होने के कारण एक प्रिविलेज्ड क्लास में आगये। वह हमारे टैक्स से एग्जेम्ट हो गये और दूसरे हमारे कानून से बचेगें चाहे जुर्म कितने भी करें। मान लीजिये कि एक रूलर बिजनेस करता है। एक रूलर के बहुत बड़ी जायदाद है और वह किराये पर देता है, ऐसी स्थिति में क्या वह हाउस टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा ? ऐसी स्थिति में जहां उसकी दूकान है या उसकी फेमिली के लोग व्यापार करते हैं तो वे पेशा कर से मुक्त होगें, और उनकी जायदाद है उस पर हाउस टैक्स से मुक्त हों। मान लीजिये कि जैसे आपके यहां पर एक होटल चला रहे हैं, महाराजा जयपुर महाराजा जयपुर का होटल चलता है, और म्युनिसिपैलिटीज़ उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं करेंगी। चूंकि महाराजा जयपुर का होटल है इसलिए म्युनिसिपैलिटीज़ को टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह सब चीजें ऐसी है कि वह बिजनेस करते हैं। उनके मुकाबले में दूसरे लोग भी बिजनेस करने वाले हैं। उनको इस बात से हानि होने की संभावना पूरी पूरी है। इसलिए यह लाज़िमी तौर पर हो जाता है कि अगर कोई रईस या कोई उसकी फेमिली का व्यक्ति उस नगरपालिका के अन्दर है तो नगरपालिका के द्वारा उनको सुविधाएं दी जाती हैं, क्योंकि विशेष तौर पर यह तो आप जानते हैं कि अभी तक जो लोग इनफ्लुएन्स रखते हैं या कुछ प्रभावशाली हैं उनको ही नगरपालिका ज्यादा सुविधाएं देती हैं।

यह बिल्कुल मानी हुई बात है और प्रत्यक्ष देखने में भी आती है जितने बड़े बड़े महल होंगे, उनमें ज्यादा कूड़ा निकलेगा और म्युनिसिपेलिटी पर ज्यादा बरडन होगा, रोशनी की भी व्यवस्था उसको करनी पड़ेगी और म्युनिसिपेलिटी को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि पहले इन पर लाखों रुपये खर्च होते थे अब उसकी जिम्मेदारी म्युनिसिपेलिटी पर होगी और उसका परिणाम यह होगा कि साधारण नागरिक पर जो खर्चा करना चाहिये था, वह नहीं कर सकेंगे। इस पर भी आप व्यवस्था यह दे रहे हैं कि नगरपालिका उनको टैक्स से भी मुक्त करदे। मैं इसका सख्त विरोध करता हुआ निवेदन करूंगा कि मेरे अमेन्डमेंटको स्वीकार करना चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव ऑरनामेन्टल गार्डनिंग के संबंध में था। इसको रेगिस्तान के लोग तो शायद नहीं समझ पायेंगे लेकिन खास तौर से मेरे जिलों में इस प्रकार की व्यवस्था है, कुछ लोगों की हॉबी है कि वे शहर के नज़दीक छोटे छोटे बाग या बगीचियें बना लेते हैं। मानलीजिये एक व्यक्ति ने छोटासा गार्डन लगा दिया तो वह भी सार्वजनिक सुविधा के काम में आता है क्योंकि पड़ोस के लोग और आस पास में रहनेवाले लोग उनमें जाते हैं। एग्रीकल्चर पर्पज़ के

(डॉ० बहादुरसिंह)

लिये जो होते हैं उनमें तो लोग खेती करते हैं लेकिन ऑरनामेन्टल गार्डन्स या बगीचियां आमोद प्रमोद के काम आती हैं जहां लोग जाते हैं। ये भी अगर म्युनिसिपल क्षेत्र में हों तो इनको टैक्स से एग्जेम्प्ट करना चाहिये। मैं समझता हूं मंत्रीजी की तरफ भी ऐसे ही गार्डन्स होंगे। मैं समझता हूं मैंने जो संशोधन सदन के सामने रखे हैं उन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): माननीय चेयरमैन, आज हम यह टैक्सेशन की धारा सदन में डिस्कस कर रहे हैं, तो अनेक प्रकार की विचारधारा सदन के सामने आयेगी जैसी एक अभी आई कि प्रोफेशन टैक्स या वोकेशन टैक्स नहीं होना चाहिये। इस प्रकार की बहुतसी विचार धाराएं आयेंगी। कुछ लोग पीपल के फीलिंग्ज को एक्सप्लोइट करने के लिये कहेंगे कि टैक्स नहीं लगना चाहिये। अपने अपने दृष्टिकोण के मुताबिक माननीय सदस्य अपने अपने विचार सदन के सामने रखेंगे। मेरा दृष्टिकोण यह है, कि आज तक जो आर्थिक हालत म्युनिसिपेलिटीज़ की रही है जो अगर वाकई उनकी आर्थिक हालत सुधारना चाहते हैं तो न नो टैक्स का नारा लगाने से सुधार सकती है और न टैक्स लगाया है उसको कम करने से सुधर सकती है मगर टैक्स बढ़ाकर उनके हाथ में पॉवर्स देने से उनकी रिसोंरसेज बढ़े उससे हालत सुधर सकती है। म्युनिसिपेलिटीज को आप और हम यह मानकर चलते हैं और इस सदन के सभी माननीय सदस्य मानते हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल और इम्पोर्टेन्ट रोल हमारी स्वयं की लाइफ में प्ले करना है और उसके मुताबिक उनके लिये इतने ही फंड्स हमको देने पड़ेंगे। हमें उदाहरण के तौर पर कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता जिससे हम कहदें कि हम अगर इस म्युनिसिपेलिटी की नकल करलें या इस प्रान्त की नकल करलें यह हमारे यहां म्युनिसिपैलिटीज का कोई ट्रेडिशन हो उसको कायम करने की चेष्टा करें तो म्युनिसिपेलिटीज़ की हालत सुधार जाय ऐसा न तो हमारे यहां किसी से गाइडेन्स मिलता है और न फॉरिन कंट्रीज से गाइडेंन्स मिलेगा। हमको हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ की दशा सुधारने के लिये एक अपना ही तरीका निकालना पड़ेगा और वह तरीका ऐसा होना चाहिये, जिससे म्युनिसिपैलिटी को हम साउन्ड बेसिस पर रख सकें या साउन्ड फाउन्डेशन पर रख सकें जिससे उनकी आर्थिक हालत जो है या आर्थिक समस्या है वह सुधर जाय। लेकिन सबकी आर्थिक हालत को सुधारने के लिये हमको देखना पड़ेगा कि एक तरफ हमारे आदमियों की गरीबी और टैक्सेबल कैपिसिटी है उनकी और दूसरी तरफ हमारे सामने प्रश्न है जनता के गरीब होते हुए और उसकी नो टैक्सेबल केपिसिटी होते हुए आखिर पैसा कहां से आये और म्युनिसिपेलिटी कैसे एफिशियेन्टली अपने फंकशन्स को डिसचार्ज कर सके। यह सब ध्यान में रखते हुए एक प्रिन्सिपल हमने संविधान में एडमिट किया है। उसे म्युनिसिपेलिटीज पर लागू करना होगा और इस सिद्धान्त को मैंने माना है। सबसे पहले ऑब्लिगेटरी फंक्शन रखे हैं। मैंने ये इस मकसद से नहीं रखे कि किसी जगह की म्युनिसिपेलिटी छोटी है तो शायद वहां लागू नहीं कर सकें और किसी जगह बड़ी म्युनिसिपेलिटी है तो वह इसका पुरी तरह से उपयोग करले। मगर ऑब्लिगेटरी यों रखे हैं मैं चाहता हूं कि राजस्थान में स्टेट गवर्नमे-

Page No.75

(श्री श्रीमानसिंह)

न्ट जिम्मेदारी ले और पूरी तरह से ले कि जो भी म्युनिसिपेलिटी चाहे किसी भी कंडीशन में रन होती है, वह टैक्सेज़ लगाती है तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर है। मैं मानता हूं कि यदि हरेक टैक्स को वॉलेन्टियरी कर दें तो ऐसी हालत हो जायगी। म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर जो चुनाव लड़ेंगे वे सबसे पहले नो टैक्स का नारा लगावें। अगर वे जीत कर भी आएंगे तो उनको दिक्कत पड़ेगी कि वे आखिर किस पर टैक्स लगावें। एक म्युनिसिपेलिटी का दायरा छोटा सा होता है और एक अगर नया पोलिटिशियेन टैक्स लगाने के आर्ग्युमेन्ट्स एडवान्स करे तो जैसी देश की राजनीति है उसके अन्दर शायद उसका भविष्य उज्वल नहीं हो सकता, यह सब मानकर चलें कि हमारे यहां जो नये पोलिटिशियन आते हैं उनको भी यह कहने की जरूरत न पड़े कि हम टैक्स लगाएंगे या जो एग्जिस्टिंग हैं उनको बढ़ायेंगे या घटायेंगे। इस तरह से जो चुनाव लड़ें म्युनिसिपेलिटी के वे ऐसे नारे नहीं लगा सके इसको ध्यान में रखते हुए और उनकी दिक्कतों को महसूस करते हुए मैंने कम्पलसरी या ऑब्लिगेटरी फंक्शन्स रखे हैं। ऑब्लीगेटरी फंक्शन्स के बारे में जैसा कि मेरा अमेंडमेंट है, उसमें भी इन्डाइरेक्ट टैक्स नहीं रखा है। जो ६४ धारा है उसमें ऑब्लिगेटरी टैक्सेज में ऑक्ट्राय टैक्स को रखा है। मेरी धारणा यह है कि और एक आर्ग्युमेन्ट दिया जा सकता है वह यह कि सदा से चला आ रहा है और जो आदमी इस टैक्स को देता आ रहा है उसकी आदत पड़ गई है इसलिये यदि म्युनिसिपेलिटी इस ऑक्ट्रोय को हटायेगी तो उसकी आमदनी घटेगी और उसके पास दूसरे रिसोर्सेज हैं नहीं कि जिससे वह ऑक्ट्राय की आमदनी को पूरा करले। लेकिन मेरी ऑक्ट्राय के मामले में भी राय दूसरी है क्योंकि चाहे टैक्स देने की आदत पड़ गई है मगर हम जब इसको कांप्रिहेंन्सिवली देखते हैं तो यह एक इन्डाइरेक्ट टैक्स है जिसका इन्सिडेन्स निश्चित रूप से गरीब आदमियों पर पड़ता है तो हमको गरीब आदमियों को इससे मुक्त करना है ताकि टैक्स का भार उन पर नहीं पड़े। क्योंकि बहुत सी म्युनिसिपेलिटीज जो ऑक्ट्राय टैक्स लगाती हैं वह नेसेसिटीज़ पर लगाती हैं वह चाहे खाने पीने की चीज़ों की नैसेसिटी हो, चाहे कपड़े हों या अन्य तरह की हों पूवर मैन उसमें अपना कंट्रिब्यूशन देता है और जब एग्जेम्प्शन देते हैं तो टैक्स की रेट उसके मुताबिक ज्यादा लगानी पड़ेगी। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी ऑक्ट्रोय एक ऐसा टैक्स है जिसे कस्टम्स का यंगर ब्रदर मानना चाहिये। जहां तक गुड्स के आने जाने का और ट्रेड का सवाल है वहां पर आज भी यह हिन्डरेन्स है।

तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, मैं भी एक म्युनिसिपेलिटी का अनुभव रखता हूं जो करेप्शन को प्रोत्साहन देता है वह सबसे बड़ा ऑक्ट्रोय टैक्स है। मिनिस्टर साहब के ध्यान में भी केसेज आये होंगे की चीनी की जगह चने का परमिट काट देते हैं और चीनी की रेट ज्यादा हो तो चना लिख कर ड्यूटी रिएलाइज कर ली जाती है तो करेप्शन को अगर कोई टैक्स कंट्रिब्यूशन देता है तो वह है ऑक्ट्राय टैक्स हरेशमेंट जो करता है, वह है ऑक्ट्राय टैक्स, जो लाभ को रोकता है, वह है ऑक्ट्राय टैक्स। फिर रेट्स कैसे निर्धारित होती हैं ? हम यह मानें कि जो रेट्स हैं वे साइन्टीफिक बेसिस पर निर्धारित होती हैं तो यह

Page No.76

(श्री श्रीमानसिंह)

माना जा सकता है और ऑक्ट्राय के पक्ष में कह सकते हैं। मगर जो ऑक्ट्राय रेट्स निर्धारित होती हैं, वह केवल गैस वर्क होता है, एक दफा रेट्स निर्धारित हो जाती हैं और फिर चाहे उस चीज़ की कीमत बढ़े या घटे। अब उस चीज को खरीदने में किस कन्ज्यूमर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते और ऑक्ट्राय टैक्स गैस वर्क पर रहता है, स्पेक्युलर करेक्टर की रेट्स रहती हैं। तो इस ऑक्ट्राई टैक्स की रेट्स जो गैस वर्क हैं, स्पेक्यूलेशन है, हार्डशिप के टाइम में उस रेट से रिलीफ जो नहीं मिल सकता और गवर्नमेंट को वही इन्कम रियलाइज करनी पड़ेगी, वह उसे बढ़ा नहीं सकती। ऐसा इनैक्सीबल सोर्स और वह भी रिग्रेसिव नेचर में हो, तो मैं मानता हूं कि सदन के माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि ऐसे इनडारेक्ट टैक्स को हटा देना चाहिये। यह मानते हुए कि म्युनिसिपल बोर्ड का अपना सोर्स ऑफ प्योरेली इन्कम सही मायने में इनडाइरेक्ट टैक्स हो और वह हो ऑक्ट्राय, तो मैं मानता हूं कि म्युनिसिपेलिटी को एग्ज़िस्ट करने के लिए कोई ऑर्ग्युमेन्टनही है ऐसी म्युनिसिपेलिटी को खत्म कर देना चाहिए। बहुत सी जगह के लिए सुनते हैं, डूंगरपुर म्युनिपैलिटी के लिए सुनते हैं कि मेन सोर्स ऑफ इन्कम आक्ट्राय है। वे कहते हैं कि हम ऑक्ट्राई से ४५ हज़ार, ५० हज़ार रुपये की इनकम करते हैं। वे इतना कलेक्ट करते हैं, उसमें किसका कन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर पर्सेन्टेज ऑफ कट्रीब्यूशन निकालें तो यह मालूम होगा कि रूरल एरिया के आदमी हैं, उनका पर्सेन्टेज ऑफ कन्ट्रीब्यूशन ऑक्ट्राई की तरफ ज्यादा है। जब कन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो रूरल एरिया के आदमी, जो सिटीज़ की अपकीप के लिए कन्ट्रीब्यूट करते हैं, सिटीज़ की एमेनिटीज़ के लिए कन्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे उनको फायदा नहीं मिलता है। शायद आध घंटे के लिए दो मील की या १० मील की सड़क को काम में लेते हों जब मंडी में वे सामान लाते हैं। इसके अलावा न बिजली की सुविधा, न सफाई की सुविधा और जो म्युनिसिपेलिटी दूसरी सुविधा देती हैं, वे सुविधायें उनको नहीं मिलती है। जो टैक्स इन्सीडेन्स हैं, उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते और ट्रेस भी करें तो पूअर आदमी के उपर हैं, जिसकी टैक्सेशन केपेसिटी कम है इसलिए लोकस्टाक बेरल म्युनिसिपैलिटी बिल में से स्क्रेप कर देने चाहिए। मैंने सुझाव दिया कि इसको यहां से स्केप कर दें और इस वॉलेन्ट्री टैक्स में रख दें। जो म्युनिसिपैलिटी रिस्क लेना चाहें, जो म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर रिस्क लेना चाहें कि हम तो गरीब को टैक्स करेंगे, वे टैक्स कर सकते हैं। जो म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर यह कह कर चुनाव लड़ें, कि ऑक्ट्राई टैक्स फिर से लागू करेंगे, उनके लिए मैंने सुविधा रखी है। वोलेन्ट्ली टैक्स में वह है, उसे वे लागू कर सकते हैं लेकिन फाइनेन्स के एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह डील नहीं कर सकते। एक इन्स्टीट्यूशन है जो फाइनेन्स कलेक्ट करती है वे फाइनेन्सेज से अपने फर्ज को वर्क आउट करती हैं, फाइनेन्स एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इकोनोमिक्स का एक निर्धारित सिद्धान्त है कि म्युनिसिपैलिटीज़ जिस तरह फाइनेन्स लेती हैं, उसको डबटेल करना पड़ेगा। यह एक इकोनोमिक पॉइन्ट है, इकोनोमिक्स का सिद्धान्त है, वह समाजवादी समाज की रचना करने के लिए, सोशलिज्म की रचना करने के लिए फाइनेन्स से सेपरेटली डील नहीं कर सकते,

(श्री श्रीमानसिंह)

फाइनेन्स का एक इकोनोमिक पॉइन्ट है. उसको फिट इन करना पड़ेगा। जब समाजवाद के अन्दर फाइनेन्स को फिट इन करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि इनइक्वेलिटी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इनइक्वेलिटी अपोरचुनिटी और लेबर, इन तीनों में सब चीजें आती हैं। अगर आप इन्कम ऑफ इंडिया को रेस्टोर करना चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से देखें कि ऑक्ट्राय को मेन सोर्स आफ इन्कम नहीं बना सकते। हमारे यहां जो फाइनेन्स है, या इन्कम है, उसको लेकर सोशलिज्म को म्युनिसिपैलिटी के थ्रू एग्ज़ीक्यूट करने जा रहे हैं तो इसमें जो ऑक्ट्राय टैक्स बताया है, उसको यहां से हटा कर वोलन्टरीली टैक्स में रख दें। जो म्युनिसिपेलिटी गुजारा नहीं कर सकती, जो आमादा है कि ऑक्ट्राय टैक्स लेवी करना है, वह लेवी कर सकती है। मैंने सबसे पहले कम्पलसरी टैक्स के अन्दर, डाइरेक्ट टैक्स रखे हैं, उन टैक्सेज को देखें तो सबसे पहला टैक्स है The special assessment tax on duilding or lands or on both, situated within the municipality

दूसरा है A tax on the unearned value of buildings or lands or on both situated within the municipality और तीसरा है A tax on the transfer of immovable property इनमें पहले दो टैक्सेज़ हैं, उनको लेता हूं। मैं समझता हूँ कोई माननीय सदस्य इसके खिलाफ नहीं हो सकता कि स्पेशल असेसमेंट टैक्स और अनअर्न्ड वेल्यू टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स इसलिए लगाये क्योंकि हम एक रूरल एरिया के लिए सिद्धान्त मान चुके हैं और वह सिद्धान्त हमेशा हमारे सामने आता है बैटरमेंट लेवी के फोर्म के अन्दर। जब कभी राजस्थान सरकार कहीं बांध बनाती है, जो कुछ कार्य करती है, और उससे एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा होता है तो बैटरमेंट लेवी उस पर लागू कर दी जाती है। म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन हैं, उन फंक्शन्स को पूरा करने के लिए सड़क बनाती है, कहीं लाइट्स लगाती हैं, कहीं ड्रेनेज़ इम्प्रूव करते हैं और जो माइनर फंक्शन्स हैं म्युनिसिपैलिटी के, उनको एग्ज़ीक्यूट करती हैं। इन फंक्शन्स को एग्जीक्यूट करती है तो किसी न किसी लोकेलिटी, किसी न किसी बिल्डिंग को जरूर फायदा होता होगा और वह फायदा अगर होता है तो एक पार्टिक्यूलर बिल्डिंग को, जो किसी सेठ साहब की बिल्डिंग है, जो किसी मालदार, आदमी की बिल्डिंग है, उसकी रेंटल वैल्यू बढ़ती है म्युनिसिपैलिटी के इम्प्रूवमेंट की वजह से, तो मैं नहीं समझता कि स्पेशल असेसमेंट टैक्स क्यों न लगाया जाय। अगर बिना काम किये हुए बिल्डिंग की वेल्यू बढ़ गई तो यह कोई ऑग्युमेंट नहीं हो सकता कि म्युनिसिपैलिटी एक्स चेकर की तरफ कन्ट्रीब्यूट न करें। और अगर उसके इम्प्रूवमेंट करने से सारे मोहल्ले को फायदा होता है, तो सारे मोहल्ले पर अनअर्न्ड वेल्यू टैक्स लगना चाहिए। जब बैटरमेंट लेवी के सिद्धान्त को एग्रीकल्चरिस्ट पर लागू कर सकते हैं तो अरबन एरिया पर लागू करने के लिए मना नहीं कर सकते। बैटरमेंट लेवी का सिद्धान्त जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं मानते तो वहां आप आरग्युमेन्ट देते हैं कि जो बांध बनाते हैं, उससे उनका प्रॉडेक्शन बढ़ता है, जो बान्ध के लिए एग्रीकल्चरिस्ट ने कन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, उससे उनकी क्रोप बढ़ती है। यह ऑग्युमेंट एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर बैटरमेंट लेवी लागू करने के लिए देते हैं, इसी ऑग्युमेंट को आप अर्बन एरिया के

(श्री श्रीमानसिंह)

ऊपर लागू कर दीजिये कि जो म्यूनिसिपैलिटी वर्क करती है, उस वर्क से, पर्टिक्यूलर, इन्डीविजूअल या मोहल्ले को फायदा हो तो स्पेशल असेसमेंट टैक्स या अनअर्न्ड वेल्यू टैक्स वहां पर लागू करना चाहिए। तीसरा टैक्स है ट्रॉन्सफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी पर। यह टैक्स, जो बिल्डिंग ट्रॉन्सफर हो, जो बेची जाय, उनके लिए म्युनिसिपैलिटी को लाग करना चाहिए। इसमें यह भी प्रश्न हो सकता है कि बिल्डिंग खाली पड़ी है, और खाली रहने के कारण हैं कि वह आदमी उस बिल्डिंग को खाली छोड़कर दूसरी जगह चला गया है तो भी उसके अपकीप में, उसके मेंन्टेनेन्स में म्युनिसिपैलिटी ने कुछ न कुछ वर्क किया है और जो कुछ अपकीप, सेनीटेशन वगैरह पर ड्रेनेज की सफाई करने का काम किया है, उसका म्युनिसिपैलिटी को टैक्स लेना चाहिए हो सकता है कि किसी के दिमाग में हो कि कोर्ट फीस जो ले ली जाती है। ठीक है, कोर्ट फीस ली जाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हैं कि बिल्डिंग की रेस्पोन्सिबिलिटी है वह म्युनिसिपैलिटी पर नहीं होती, वह कोर्ट पर थी। जितनी रेस्पोन्सिबिलिटी उस पर थी उतनी म्युनिसिपैलिटी ने डिस्चार्ज की। जब वह रेस्पोन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करती है तो म्युनिसिपैलिटी को फायदा मिलना चाहिए। ये तीन डाइरेक्ट टैक्सेज हैं, इसमें जो दो पहले टैक्सेज हैं उनके लिए कोई आदमी नहीं कह सकता कि ये अनजस्ट टैक्सेज हैं, कोई नहीं कह सकता कि इनको ला करेंगे तो इसका बोझ पूअर आदमी पर पड़ेगा, कोई नहीं कह सकता, कोई माननीय सदस्य नहीं कह सकता कि इनक्वीटेबल है। हरएक चीज से सर्टेन कन्वीनियेन्ट बात रखती है, जो टैक्सेज के करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को स्पेशल असेसमेंट टैक्स और अनअर्न्ड वेल्यू टैक्स फुलफिल करती है।

३ म० प०

तीसरा पार्ट है, उसमें संशोधन है। बाकी के और सर्कम्स्टेन्शियल टैक्सेशन हैं, पर मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह भी डायरेक्ट टैक्सेज हैं। बहुत से माननीय सदस्य इन पर यह आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं कि यह इन्डायरेक्ट टैक्स के टाइप के हैं। मेरा जहां तक क्लॉसिफिकेशन रहा है टैक्सेसन का एक तो प्रोपर्टी टैक्स जिसके अन्दर ऑलरेडी हाउस टैक्स दिया हुआ है, उसके ऊपर बाद में कहूंगा।

दूसरे किसी की बिना मेहनत किये ही प्रोपर्टी बढ़ती है उस पर टैक्स। तीसरा है प्रोफेशनल टैक्स, इसमें टैक्स रखा है, चौथा कोमोडिटी टैक्स है। यह क्लॉसिफिकेशन है। ट्रेड और कालिंग्स के लिये हो सकता है कि बहुत से वकील हैं जिनको आमदनी हो रही है और इन्कम टैक्स को सबसे बड़ा धोखा देते हैं, तो हमारे माननीय वकील जो हैं उनको अपोजिशन हो सकता है कि प्रोफेशन का टैक्स नहीं रखें पर यह टैक्स होना चाहिये। म्युनिसिपैलिटीज़ की इन्कम बढ़ाना है तो टैक्स का वेल्युएशन करना पड़ेगा, टैक्सेज इम्पोज़ करने पड़ेंगे, डाइरेक्ट टैक्स और इन्डाइरेक्ट टैक्स हैं, नौमिनल टैक्स हैं, आज तक म्युनिसिपैलिटी जो जो टैक्स लेवी करती है, उनको देखें तो ऐसी एग्जेक्स्टिंग रेटस नहीं रखी कि जो प्रोफेशन को केरी आउट कर रहे हैं। और वे फील करें कि हमारे ऊपर म्युनिसिपैलिटी ने ऐसा बोझा रख दिया कि हम उस बोझे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यह सिम्पल टैक्स हैं। इसके

(श्री श्रीभानसिंह)

लिये यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि इसको असेस कैसे किया जायगा पर यह स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग से और आउटवर्ड साइन्स हैं, उनसे असेस कर लिया जायगा। बिल में रखा है टैक्स ऑन प्रोफेशन एन्ड वोकेशन, मैंने तीसरी चीज़ को और एड किया कि callings, employments and trades.

इन चीज़ों को देखें तो, म्युनिसिपैलिटी को काफी आमदनी इन टैक्सेज़ से है, इस टैक्स को राजस्थान में कोई म्युनिसिपैलिटी लेवी नहीं कर सकती, तो यह सोर्स ऐसा है जिसको हमें ट्राई करना पड़ेगा जिससे कि म्युनिसिपैलिटीज़ इकोनोमिक साउन्ड फुटिंग पर खड़ी हो जाय। फीडल के सिद्धान्त को लागू करने की कोशिश की है। जिन टैक्सेज़ से हर साल आमदनी बढ़ती जाय, जब स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्सेज़ और इनकम के रिसोर्सेज़ नहीं हैं तो इकोनोमिकली म्युनिसिपैलिटीज़ को कैसे साउन्ड कर सकती है? जनतन्त्र की साउन्ड फाउन्डेशन तभी हो सकती है जब चुने हुए आदमी खुद के फाइनेन्सेज़ को खुद मेनेज करें, यह सिद्धान्त इसमें इन्कॉर्पोरेटेट है। म्युनिसिपैलिटी खुद लोगों पर ऑब्लीगेटरी है, इसलिये खुद नहीं कर सकते पर रेट्स निर्धारित करने की फ्रीडम है।

इन्डायरेक्ट टैक्सेज़ में वॉलेन्टेरी टैक्सेज़ में राजस्थान सरकार ने जो लिस्ट दी है, वही रखी है। इसलिये वॉलेंटेरी टैक्सेज़ के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हाउस टैक्स लेवी किया है वह भी डायरेक्ट टैक्स है। इसके अन्दर हाउस टैक्स का सिद्धान्त यह है कि ओनर पर एन्युअल लेटिंग वेल्यू है, उससे असेस किया जायगा और ओनर ऑफ दी प्रोपर्टी है, उसको यह टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सी जगह ओनर हाउस टैक्स पे नहीं करते, ऑक्युपायर पे करता है। पर हमारे यहां प्रावधान है उसमें यह है कि ओनर को पे करना पड़ेगा।

(एक माननीय सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

I think the Hon'ble Member will have a chance to give his views.

मैं इस व्यू का था कि हमें इस टैक्स में रद्दोबदल करनी चाहिये थी और जो आमदनी हम इससे चाहते हैं वह आमदनी म्युनिसिपैलिटी को होगी, जहां तक एन्युवल लेटिंग वेल्यू पर रखेंगे तो इससे म्युनिसिपैलिटी को आमदनी नहीं होगी ....

श्री सभापति : It is levied on the actual occupier. You may refer to the clause.

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Member can correct me. I have read it.

इसमें ऐसा था कि मैं इस मान्यता का था कि एन्युअल लेटिंग वेल्यू पर न रख कर कैपिटल वेल्यू पर रखते, यह कन्करीट टैक्स है। सर्टन असेसमेंट क्यों हो सकता है, इसके लिये इसकी एन्युअल लेटिंग वेल्यू हो या मार्केट वेल्यू हो। जो केपिटल वेल्यू, मार्केट वेल्यू गवर्नमेंट असेस करेगी, ओक्यूपायर है वह रेंटल वेल्यू देगा तो सर्टन बेसिस ऑफ असेसमेंट नहीं है, यह डाइरेक्ट टैक्स है। इसलिये केपिटल वेल्यू पर रखना चाहिये। ज्यादा मार्केट वेल्यू है तो ज्यादा हाउस टैक्स

(श्री श्रीभानसिंह)

देगा और कम मार्केट वेल्यू है तो कम रख सकते हैं। इस टैक्स में हाउस टैक्स एन्युअल लेटिंग वेल्यू पर इम्पोज़ कर रहे हैं वह प्रोग्रेसिव स्केल पर नहीं कर सकते। मार्केट वेल्यू के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो प्रोग्रेसिव स्केल पर टैक्स कर सकते हैं। हम इसको प्रोपर्टी टैक्स मानते हैं तो जो प्रोपर्टी की मार्केट वेल्यू है, उसके माफिक ही पे करना चाहिये, ज्यादा मार्केट वेल्यू है तो ज्यादा पे करना चाहिये और कम मार्केट वेल्यू है तो कम पे करना चाहिये। और इस तरह करने से म्युनिसिपैलिटीज़ को हाउस टैक्स से जो ज्यादा आमदनी होनी चाहिये थी, वह ज्यादा आमदनी हो सकती है।

आगे जैसा कि मैंने ६८ 'ए' के अन्दर अमेंडमेंट रखा है माननीय चेयरमेन महोदय....

Add a new clause 98-A after clause 98 :—

"98-A. The State Government shall by the end of the year 1960 share the proceeds of the following taxes according to the rules made by it, with the municipalities, namely :—

(1) a tax on entertainments, and

(2) a tax on Motor Vehicles levied under the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act,

(3) a sales tax."

यह सुझाव मैंने यों रखा है कि शायद जितने हमारे डाइरेक्ट टैक्सेज़ के हेड हैं जिनको हमने म्युनिसिपैलिटी को दिये हैं और इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ को भी दिया है उसमें हो सकता है कि फिर भी म्युनिसिपैलिटी उतनी आमदनी वसूल न कर सके और रेट लागू न कर सके क्योंकि अभी तक उसके लिये यह एक्सपरिमेन्टल स्टेज है। वह इसमें स्पेशिला-इज्ड जैसी होना चाहिये, है नहीं। हो सकता है कि जिस पर्पज़ से टैक्स रखे हैं पूरे वसूल हो जावें और पूरी इन्कम हो जावे। लेकिन जो फंक्शन म्युनिसिपैलिटीज़ को दिये गये हैं हो सकता है कि वह ठीक तरह से उनको फंक्शन नहीं कर सके और जो फेड्रल प्रिन्सि-पल्स हैं जिस तरह राजस्थान स्टेट को देखें, इसकी जो रेवेन्यू है वह इतनी इकोनोमिक पोज़िशन पर पहुँच चुकी है कि राजस्थान सरकार उसको वसूल नहीं कर सकती। राज-स्थान सरकार को चाहिये कि उसको म्युनि-सिपैलिटी को दे। जिस प्रकार either according to population जैसे सेन्टर शेअर करती है। जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट कुछ इनकम राजस्थान गवर्नमेंट को देती है और contribute करती है उसी तरह से मैंने यह सुझाव रखा है। हालां कि यहां पर एन्टर-टेनमेंट टैक्स लोकल टैक्स है। मोटरें जो पास होती है उन सड़कों को म्युनिसिपैलिटी को मैन्टेन करना पड़ता है। मगर इन सारे टैक्सों की इन्कम म्युनिसिपैलिटी को नहीं होती है। यह तो ऐसा टैक्स है जिसको हम सेफली म्युनिसिपैलिटी को इन्ट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको म्युनिसिपैलिटी को नहीं दिया है इसको राजस्थान सरकार रखती है। जब इसको राजस्थान सरकार अपने पास रखती है, तो रोड़ को मैन्टेन करने का भी मैनेज़ करे। अन्यथा सरकार उसको भले ही क्लेक्ट करे लेकिन उसमें से म्युनिसिपैलिटी को सड़कों आदि को मैन्टेन करने के लिये

(श्री श्रीमानसिंह)

दिया राजस्थान सरकार को देना चाहिये। मैंने यह आरबीट्रेरी नहीं रखा। यह मैंने राजस्थान सरकार पर रखा है। जो कुछ रेट Whatever may be the rate जो कुछ उनके खर्चे के मुताबिक हो, जो कुछ क्राइटेरिया वह रखे म्युनिसिपैलिटी की पोजिशन को इम्प्रूव करने के लिये जरूरी हो वह शेअर म्युनिसिपैलिटी को दे।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने एग्जेम्शन के अगेन्स्ट बोल दिया। उसके लिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि चाहे वह यूनियन गवर्नमेंट के नीचे हो या राजस्थान गवर्नमेंट के नीचे हो इसको रिव्यू करने की बात है। अगर आप एक तरफ समाजवादी समाज के नारे लगावें और दूसरी ओर इस प्रकार का स्पेसिफिक क्लॉज़ रखें तो मैं यह कहूंगा कि ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट्री हो जाती हैं और जब दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट्री हो जाती हैं तो लोगों को फिर भरोसा नहीं रहता। एक गरीब आदमी कोई भी चीज़ खरीदे तो उससे तो आप ऑक्ट्राय टैक्स लेते हैं, और उसको देना पड़ता है, उससे हाउस टैक्स देना पड़ता है और जहां तक मैंने देखा है सभी लोग देते हैं। मगर एक रूलर है वह उन सब टैक्सों से एग्जेम्प्ट है। मैं नहीं समझता कि उसको हम जब १० लाख रु० सालाना देते हैं तो फिर वह टैक्स क्यों नहीं अदा करता और उससे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता। म्युनिसिपैलिटी की ज़िम्मेदारी उनके वहां भी इतनी ही सफाई रखने की है जितनी कि सिटीजनों के यहां सफाई करने की और इसके अलावा हैल्थ पॉइन्ट ऑफ व्यू से इतना ही नहीं शहर वालों से मैं समझता हूं कि डबल विगर से म्युनिसिपैलिटी वाले उनके पेलेसेज़ वगैरा हैं वहां पर क्लीनिंग कराते हैं। इसलिये उनको इस प्रकार के टैक्सों से मुक्त नहीं किये जावें।

अब अन्त में मैं यही कहूंगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कुछ माननीय सदस्य नो टैक्सेज़ के नारे लगावेंगे। कुछ लोग यह कहेंगे कि म्युनिसिपैलिटी को इस प्रकार फ्रीडम दे दी जावे कि जैसा वह टैक्स लगाना चाहे लगावे। इसके लिये मैंने पहले ही बताया है कि हम इसके लिये एन्ट्रस्ट नहीं कर सकते। आखिर कोई भी सुझाव हो, वह हमारे सामने आना चाहिये। हमारे यहां पर कन्डिक्शन्स ऐसे नहीं हैं कि हम कह सकें कि हम इस तरह का टैक्स लगावेंगे। और अपनी मर्ज़ी से लगावेंगे। इसके अलावा ज्यादातर लोग आते हैं वे नो टैक्स के नारों से ही आते हैं। कोई भी चुनावों में यह कह कर नहीं आता कि हम टैक्स लगावेंगे। अगर इस प्रकार के नारे लगावें तो वे आ नहीं सकते। इसलिये मैंने यह ऑबलिगेट्री टैक्स रखा है और जो लोकल टैक्सेज़ होंगे गुड्स आदि पर वे तो आपके यहां डाइरेक्ट टैक्सेशन में मौजूद हैं। अगर आपको बहुत ही जरूरत पड़े तो आप गुड करेक्टरस्टिक्स हो उनको छोड दें। अगर म्युनिसिपैलिटी को बहुत पैसे की जरूरत हो तो वॉलेन्टरी टैक्सेशन (voluntary taxation) भी रखा गया है जिससे उसका फाइनेन्स किसी भी तरह से कम न हो। इसमें मैंने फिडरल प्रिन्सिपल्स जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में हैं उनको भी इनकॉपरेट किये हैं। म्युनिसिपैलिटी के टैक्स हों वे अलग हों और रेवेन्यू के टैक्सेशन अलग हों। इसके लिये सरटेन

Page No.82

(श्री श्रीमानसिंह)

एरिया भी डिफाइन्ड हों तो मैं यह कहूंगा कि जनतन्त्र की नींव नई लगी है उसको मज़बूत किया जा सकता है और म्युनिसिपैलिटी की टैक्सेशन की रेट भी निर्धारित कर सकेंगे। जब एनुअल लेटिंग वेल्यू में इतनी फ्लेक्सीबिलेटी है तो उसको स्वतन्त्रता और जनतन्त्र के जो सिद्धान्त हैं उसमें उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपना एमेन्डमेंट प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरा एमेन्डमेंट क्लोज ९७, ९८, १००, १०३, १०६, पर है।

I take them as moved.

सभापति महोदय, मेरा जो फर्स्ट एमेन्डमेंट है वह ९७ सेक्शन पर है। सेक्शन ९७ पर (१) पार्ट पर हैं, Insert the word 'reasonable' between the words 'annual' and 'letting' and also at the end add the words 'and which shall not be less than 10 % and more than 20% of the annual reasonable letting value of the lands or buildings.'

सभापति महोदय, यह फर्स्ट पार्ट है इसमें है "Every Board shall levy... (1) a tax on the annual letting value of buildings or lands or both situated within the municipality." मैंने जो एमेन्डमेंट रखा है इसमें annual letting value है के जगह पर हमने लिखा है "a tax on the annual reasonable letting value" और इसके अन्त में मैंने एड कर दिया है "and which shall not be less than 10 % and more than 20 % of the annual reasonable letting value of the lands or buildings."

सभापति महोदय, यह जो एमेन्डमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है। हमारी जो प्रोपर्टी टैक्स है इसलिये बिल्डिंग्ज़ और लैन्ड है उसके बेसिस भी हैं इसमें हम ले डाउन करते हैं जहां annual letting value कही जाती है। यह बात वेग रह जाती है और निश्चित नहीं है कि annual letting value क्या होगी। सभापति महोदय, अनुभव से यह देखा गया है कि एक किस्म का मकान है, सेम साइज़ है, सिचुएशन भी एक ही है। एक ही एमिनिटीज हैं लेकिन एन्अुल लेटिंग वेल्यू है उसको देखते हैं तो फर्क मालूम होता है। किसी की एन्युअल लेटिंग वेल्यू कुछ मुकर्र की जाती है और दूसरे की कुछ और मुकर्रर कर दी जाती है। इसके लिये एन्युअल रेन्ट है उसको बेसिस लेकर अक्सर लोग चलते हैं। एक जहां पर एक्चुअल रेन्ट रहता है वहां पर क्या होता है कि जिसका मकान है, जो लेट आउट नहीं करता है उसके लिए एक्चुअल रेन्ट मुकर्रर करना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने एनियुअल रिजनेबल लैटिंग वेल्यू रखी है इसका माने यह होता है कि reasonable letting value may not be the actual rent.यह होगा कि इस किस्म का मकान हो इसके अकमोडेशन का हो, इस साइज़ का हो तो उसका एवरेज रेन्ट, शहर में और कितना है, उस पर तय किया जाता है क्योंकि सभापति महोदय, यह देखा गया है कि म्युनिसिपैलिटीज़ को चीट किया जाता है। एनियुअल लेटिंग वैल्यू के नाम पर लैंड लोर्ड और टिनेन्ट का आपस में जब कोल्यूजन होजाता है, गुटबन्दी हो जाती है, चाहे उस मकान का किराया १००) हो या कितना ही हो लेकिन

(श्री पी० के० चौधरी)

उसको फर्जी रसीद दे देता है। मान लीजिये कि मैं किरायेदार से सौ रुपया माहवार लेता हूं और रसीद देता हूं पचास रुपये की ही, तो जब उसका असेस्मेन्ट होगा तो वह पचास रुपये की रसीद के बेसिस पर ही होगा। लेकिन हकीकत में, फेक्ट यह है कि मैं किराया लेता हूं १००) और रसीद देता हूं पचास रुपये की। इसलिये, सभापति महोदय, मैंने यह अमेन्ड-मेन्ट रखा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है और इस ख्याल से इम्पोर्टेन्ट है कि आज हम देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी को चीट किया जाता है और उसको चीट करने से बचाने के लिए, रोकने के लिए एक मात्र तरीका यही है। यदि एनियुअल रीज़नेबल लेटिंग वेल्यू रखेंगे तो जो रेन्ट रियेलाइज़ करते हैं ज्यादा असेस्मेन्ट नहीं होता है इससे ज्यादा असेस्मेन्ट हो सकता है। म्युनिसिपैलिटी को कोई चीट नहीं कर सकेगा। यदि आपको इन्फोर्मेशन मिल जाय कि मकान किराया तो सौ रुपया है और मालिक रसीद ५०) की ही देता है तो कभी चालाकी नहीं कर सकेगा रसीद जो दी है उसमें जो लेटिंग वेल्यू है उसी पर असेसमेन्ट होगा किन्तु एक्चुअल रीज़नेबल पर होगा। रीज़नेबल लेटिंग वेल्यू रखते हैं तो १००) पर असेसमेन्ट कर सकते हैं और ऐसा कर सकते कि एक स्टेन्डर्ड उसके लिए रख सकते हैं, कि इस साइज़ का मकान हो तो यह रेन्ट होना चाहिये। बम्बई वगैरा में यह मौजूद है कि वहां स्टेन्डर्ड फिक्स कर देते हैं कि इस प्रकार की सिचुऐशन हो, इस प्रकार की एमीनिटीज़ मकान में हो, लोकेलिटी स्टेन्डर्ड को उससे डिस्टेन्स इतना हो और फिर उसका रेन्ट इतना होना चाहिये। उसके अनुसार स्टेन्डर्ड मुकर्रर किया जाता है। जहां मकान मालिक और टिनेन्ट के बीच में कोल्यूजन न हो, ओनेस्ट डीलिंग हो एन्यूअल रीजनेबल रेन्ट अक्सर एक्चुअल एन्यूअल रेन्ट होता और यह एन्यूअल रीज़नेबल वेल्यू कलकत्ता वगैरा दूसरे शहरों में है, उन्होंने वहां जो टैक्स लेवी करने का बेसिस रखा है वह रीज़नेबल लैटिंग वेल्यू रखा है न कि एक्चुल रेन्ट रखा है जैसा कि यहां रखा है! कोई यदि ६०) रेन्ट लेता है तो चालाकी नहीं कर सकता, उसका रीज़नेबल रेन्ट मान कर असेस होता है। यदि असेसर को सस्पीशन हो जाय कि हाऊस होल्डर जो है वह रेन्ट छिपाता है और ज्यादा रेन्ट लेता है और कम की रसीदें बताता है वहां जाकर लैटीचूड रहता है कि वे रीज़नेबल लैटिंग वेल्यू पर असेस करते हैं। आज म्युनिसिपैलिटीज़ के रिसोर्सेज का सवाल है। देश में छोटी २ म्युनिसिपैलिटीयां हैं उनका बेसिस एन्यूअल टैक्स कलेक्शन से जो म्युनिसिपैलिटी की इनकम होती है उसका ८० प्रतिशत इस असेसमेंट पर होता है। उनको इन इम्मूवेबल पोपर्टीज़ पर टैक्स मिलेगा। इतनी बड़ी इनकम का जो हिस्सा है, सेक्टर है उस सेक्टर में ऐसे लूप होल्स नहीं रखने चाहिये जिसके ज़रिये से वे म्युनिसिपैलिटीज़ को डिसीव कर सकें और लोअर असेसमेंट करा सकें। इसलिए मैंने जो यह अमेंडमेंट रखा है, उसका मकसद यह नहीं है कि मैं कोई नई बात कर रहा हूं। दूसरी जगह पर ऐसा है, इसको मन्त्री महोदय देख लें। बम्बई, कलकत्ता, के अन्दर म्युनिसिपैलिटियों के द्वारा इसके लिए क्या बेसिस रखा गया है? वहां एन्यूअल रीज़नेबल लेटिंग वेल्यू और रेन्ट रखा है और इसीलिए रखा है। असेसमेंट को देखेंगे तो मालूम होगा कि एक्चुअल पर होता है लेकिन जब संदेह होता है कि लैंड लोर्ड ने चीट करने की कोशिश की है, कोल्यूजन किया है टिनेन्ट के साथ वहां पर उन्होंने

(श्री पी० के० चौधरी)

रसीद का बेसिस नहीं माना है, बल्कि आस पास के मकानों का कोरेस्ट है, उनको मान कर उनके अनुसार असेस किया है। इसलिए यह एक इम्पोर्टेन्ट बात है और मन्त्री महोदय को देखना चाहिये। म्युनिसिपैलिटीज़ रिसोर्सफुल हों, वे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े इस ख्याल से यदि कोई लूप होल कानून में रह जाती है तो उनको कट करना चाहिये और मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको बराबर स्टडी करें, आज टाइम न मिले तो उसको कल करें, यह इम्पोर्टेन्ट और पर्टीक्युलर पार्ट है इसको वे अवश्य स्टेडी करें। मैं ऐसा समझता हूँ कि मन्त्री महोदय, इसको मन्जूर करेंगे। ऐसा करने से उनके हाथ मज़बूत होंगे, म्युनिसिपैलिटियों के हाथ मजबूत होंगे। जो आज टैक्स का इवेजन होता है उसको रोका जावेगा।

दूसरी बात इस पार्ट में रखी है "and which shall not be" यह असेसमेन्ट टैक्स है....

The tax shall not be less than 10 percent and more than 20 percent of the annual reasonable letting value of lands or buildings.

हम उसमें स्टेटीट्युरी दे देना चाहते हैं और इस लिए दे देना चाहते हैं कि लोकल बोडिज हैं, वहां हमारे रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ जाते हैं, उनका इतना क्लोज कान्टेक्ट उनकी कान्स्टिट्युएन्सी से रहता है, वार्डस के साथ रहता है वे डेयर नहीं करते हिम्मत नहीं करते कि कोई टैक्स उन पर इम्पोज़ कर दिया जाय। जैसा कि सभापति महोदय आपने देखा होगा कि कोई टैक्स बढ़ाया जाता है, कोई टैक्स बढ़ाने का प्रोपोजल सदन में आता है तो सब माननीय सदस्य उसका विरोध करते हैं और यह जानते हुए कि बगैर टैक्स के काम नहीं चल सकते, स्टेट मशीनरी और डवेलप्मेंट के काम नहीं चल सकते। विरोध तो हम इसका करते हैं लेकिन इसका कोई आल्टरनेटिव सुझाते नहीं हैं। बजट हम पास करते हैं, कि इतने पैसों का होना चाहिये, हमारे राजस्थान में हम चाहते हैं कि विकास खंड खोले जाने चाहिये, यह हो जाना चाहिये वह होजाना चाहिये, यहां स्कूल हो जाना चाहिये, वहां होजाना चाहिये, लेकिन जब नया टैक्सेशन प्रोपोजल आता है उसका विरोध किया जाता है। आज जो लेजिस्लेचर्स में बैठे हैं उनकी टेन्डेन्सी है, उनका कॉन्स्टिटयुएन्सी से कॉन्टेक्ट नहीं रहता है इस लिये कि उनका एरिया वाइड है, म्युनिसिपैलिटी के छोटे से वार्ड हैं, और उनमें माननीय सदस्य रहते हैं। वे लोग आकर माननीय सदस्यों पर प्रेसर डालेंगे कि आप उसको अपोज करें। इसके बावजूद भी हम देखते हैं, सदन में टैक्सेशन का कोई प्रोपोजल आता है चाहे वह किसी भी नेचर का हो, उसके बिना विकास का काम नहीं हो सकता तो भी उसका विरोध होता है। इस लिए जो म्युनिसिपैलिटी हैं वहां यदि म्युनिसिपैलिटी के आप्शन पर छोड़ देते हैं तो अव्वल तो वे कोशिश यह करेंगे कि टैक्स लगने ही न पावे उसी तरह से प्रापर्टी टैक्स तो वे लगायेंगे ही नहीं क्योंकि उससे पब्लिक में रेजिस्टेन्स होता है वैसी हालत में शोर्ट साइटेड पॉलिसी से खुश करने के लिए टैक्स लगाने से हिचकिचाते हैं। जो अगर लगाना भी होता है और मजबूर किया जाता है तो लिस्ट इन्सीडेन्स में जो कुछ हो सकता है वे लोग उस पर टैक्स लगाने की कोशिश करते

Page No.85

(श्री पी० के० चौधरी)

हैं। इस लिए मैंने यह सुझाव रखा है "There must be a flooring and ceiling" इस पॉलिसी से चलते हैं, तो सिलिंग आदि में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। ओन दी वेल्यूएशन ऑफ प्रोपार्टी टैक्स लगाते हैं तो जैसे मान लीजिये कोई प्रोपर्टी दस हजार की है या बीस हजार की है उस पर हमने पन्द्रह पर्सेन्ट रखा है और इससे ज्यादा पचास हजार की है उसके लिए १८ और बीस पर्सेन्ट रखा है। इसी प्रकार ज्यों ज्यों लैन्ड की कीमत ज्यादा होती जायगी उस पर ज्यादा टैक्स लगता जायगा लेकिन जो मिनिमम रखा है वह टेन पर्सेन्ट रखना चाहिये।

आज म्युनिसिपैलिटीज के पास जितने भी डवेलपमेंट के वर्क्स होते हैं उसके लिये सफिशियेंट फन्ड नहीं होता उसके लिये फंड प्रोवाइड करना है तो या तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए ग्रान्ट दे स्टेट गवर्नमेन्ट ग्रान्टी देती है तो It may be that the amount is tapped from the rural sector, agricultural sector. तो आज हम टैक्स करते हैं सर्विसेज को करते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन जो टैक्स पेयर होता है जो उस टैक्स के जरिये जो सर्विस रिसीव करता है उसका उससे रिलेशन शिप रहना चाहिये। यही वजह है चाहे म्युनिसिपैलिटी कोई विकास का काम करे उस काम को करने के लिये जो पैसे की जरूरत हो उन लोगों से लिया जाना चाहिये।

उनसे पैसा लेकर के काम करेंगे तो उस काम पर उनकी निगरानी रहेगी। इससे होगा क्या एक तो काम अच्छा होगा दूसरा म्युनिसिपल बोर्ड में जो धान्धली चलती है करप्शन आदि होने का डर रहता है। वर्क यदि इन्एफिशियेन्टली चलता है तो बराबर जाकर काल देम क्वेश्चन। वे वीजिलेन्ट रहेंगे। इस तरह से अमाउन्ट का जो मिस यूज़ होता है वह रुकेगा उसका इस्तेमाल अच्छे कार्य में हो सकेगा। Close relationship between the person who pays the tax and the person who receives the services. मान लीजिये सरकार द्वारा ग्रान्ट के रूप में कुछ पैसा मिला जैसी कहावत है मुफ्त का पैसा मिलता है वह मुफ्तखोरी में जाता है। उसी प्रकार उस पैसे का दुरूपयोग होता है। गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है उसको इतनी होशियारी से खर्चा नहीं करते हैं जितना करना चाहिये। जब वह पैसा खुद से वसूल किया जायगा तो उसका उपयोग भी ठीक तरह से हो सकेगा। गुड एडमिनिस्ट्रेशन का यह प्रिन्सिपल है कि जिस काम के लिये जिस व्यक्ति के लिये जिस सेक्टर ऑफ पोपूलेशन के लिये खर्च किया जाय वह उन्ही से लिया जाय और उन्हीं के अन्दर खर्च किया जाय, तो यह एक प्रकार से सदुपयोग होगा। उसमें यह भावना रहेगी यह पैसा उन्हीं का है और उन्हीं के लिये खर्च किया जा रहा है। मान लीजिये कोई बिल्डिंग बनवानी है, और उसके लिये दस हज़ार रुपये की ग्रान्ट सरकार से मिल जाती है, तो उसका उपयोग उसी तरह से होगा। अगर वह वहां की जनता से लिया हुआ पैसा है तो उस बिल्डिंग की एक एक ईंट में जनता की खून और पसीने की कमाई लगी हुई है। इसलिये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिये यह इम्पोर्टेन्ट है इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। इसमें लोएस्ट लिमिट है वह टेन परसेन्ट की रखनी चाहिये। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की लिमिटेशन बहुत से शहरों में है। दिल्ली कॉरपोरेशन एक्ट को आप उठाकर देख

Page No.86

(श्री पी० के० चौधरी)

लीजिये वहां दस और बीस परसेन्ट रखा है इससे तो कम नहीं होना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना है सिटीजन्स को यह महसूस कराना है कि जो भी इमारत बनी है वह उनके खून और पसीने की कमायी से बनी है उनसे टैक्स वसूल करके बनायी गई है ऐसा हम करेंगे तो जिस प्रकार की आदर्श म्युनिसिपैलिटी की कल्पना करके हम चलते हैं वह हमारी कल्पना सही सिद्ध हो सकती है।

सभापति महोदय, इसमें मैं यह बात कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। प्रेक्टिकल एक्सपीरिएन्स से बताना चाहता हूँ। मेरा एक्सपीरिएन्स ट्रेड यूनियन फील्ड में जो रहा है उसके आधार पर बताना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन में लोग ज्यादा चन्दा देते हैं तो ज्यादा मजबूती से वह संगठन चलता है। शुरू शुरू में ट्रेड यूनियन मूवमेंट चालू हुआ था उस समय तरीका यह होता था कि पोलिटीकल पार्टीज जो भी जैसे कांग्रेस कम्युनिस्ट ये लोग क्या किया करते थे कि ट्रेड यूनियन्स को पैसा देते थे। और उन्हीं के पैसे से वे चलती थी वह समय आजादी से पूर्व का था। पैसे लेकर वर्कर्स लोग मजदूरों में जाकर काम करते थे उस समय यह देखा गया था कि वर्कर्स उनके काम को रेस्पोन्स नहीं देते थे वे मजदूर लोग खुलमखुल्ला कह देते थे कि ये कांग्रेस पार्टी के फन्ड के वर्कर्स हैं इस तरह से उन पर कॉन्फीडेन्स नहीं रहता था। और मजदूर लोग उस समय उस यूनियन को खुद की यूनियन नहीं समझते थे वे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेरित यूनियन समझते थे। लेकिन जब से मजदूरों के चन्दे पर यूनियन को जिन्दा रखना शुरू किया ट्रेड यूनियन को काफी बल मिला है। पहले यूनियन में शामिल होने के लिये एक आना रेट थी वह आगे चल कर आठ आना तक होगई आज हम वहीं वहीं यह भी देखते हैं एक रुपया और डेढ़ रुपया तक भी लिया जाता है। इस तरह से मजदूरों के चन्दे से जिस यूनियन का संगठन है वही यूनियन स्वावलम्बी होती है। मजदूरों में यह भी भावना होती है कि हम आठ आना चन्दा देते हैं हमारी यूनियन है इसलिये उसमें काम करने की भावना होती है। यही इस म्युनिसिपेलिटी पर भी लागू होती है। म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले लोगों से यदि पैसा लेकर उन्हीं के लिए खर्च किया जायगा तो वे महसूस करेंगे कि यह म्युनिसिपेलिटी अपने पैसे से चलती है। जब इस प्रकार की भावना पैदा हो जायगी तो जो कुछ भी सामान होगा म्युनिसिपेलिटी का उसकी हिफाजत होगी वह सुरक्षित रह सकेगा।

आज हमारे लिये जरूरी है कि यहां की पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सिविक कौन्शियस बनाया जाय। इसके लिये महसूस कराना है कि They have got a stake in it. एडमिनिस्ट्रेशन में उनका शेअर है, इन्टरेस्ट है इसको महसूस करा देंगे तो लोग महसूस करेंगे और इससे सिविक सेंस पैदा होगा। इसलिये सभापति महोदय यह जो प्रिंसिपल है वह इसलिये रक्खा है कि इससे हम म्युनिसिपैलिटी को ठीक चलावेंगे और मैं मानता हूं मन्त्री महोदय इसको मन्जूर करेंगे।

इसके बाद सभापति महोदय, मैं देखता हूं ६७ में मेरा जो दूसरा अमेन्डमेन्ट है वह जरूरी है। वह है Delete sub-part (ii) of part (a) of the first proviso and also delete the 2nd proviso.

(श्री पी के० चौधरी)

सभापति महोदय, यह जो ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ रक्खे हैं उसके बाद प्रोविजो रख दिया है उसमें क्या लिखा है कि "Provided that (a) the tax under clause (1) shall not be levied :...

(i) on kham houses, or

(ii) on buildings of which the annual letting value is less than one hundred and twenty rupees in the case of a city or sixty rupees in the case of any other municipality, and" यह फर्स्ट प्रोविज़ो के पार्ट दो में है । मैं इसको डिलीट कराना चाहता हूं इसलिये कि यह इक्विटी और जस्टिस के खिलाफ है । मैं पूछना चाहता हूं आज रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं । आज किसी काश्तकार के पास केवल एक आध बीघा ज़मीन है तो क्या उसको रेवेन्यू मिनिस्टर साहब लगान छोड़ने को तैयार हैं । आज उनको भी लैंड रेवेन्यू फ्री नहीं है । आधा बीघा तक वाले से लेते हैं । तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि उन देहात वालों से इनको क्या नाराजी है और इन शहर वालों से क्या प्रेम है । यह इक्विटी और जस्टिस के खिलाफ है । संविधान में एग्रीकल्चरिस्ट और सिटी ड्वैलर्स में कोई अन्तर नहीं रक्खा है । फिर आप क्यों यह अन्तर करने जा रहे हैं । एग्रीकल्चरिस्ट भले ही सफर करें पर आप चूंकि स्वयं सिटी ड्वैलर हैं इसलिये सिटी ड्वैलर्स को अरबन पोपुलेशन को सेफ गार्ड करने जा रहे हैं । टैक्सेशन की बात आपने इसलिये रक्खी है ।

आज सिटी डवैलर्स को अस्पताल चाहिये, कालेज चाहिये, स्कूलें चाहिये सब कुछ चाहिये, बिजली चाहिये, पानी चाहिये । तो ये सब उनको अपने पैसे से बनाना चाहिये । सरकार से ग्रान्ट क्यों लेते हैं । सरकार की ग्रान्ट में ८० पर्सेन्ट पैसा एग्रीकल्चरिस्ट से आया हुआ है । यह बात हमारी नज़र में साफ नहीं रहती । और गोलमाल में चलना चाहते हैं । तो इसलिये यह जो एग्ज़म्प्शन रक्खा कि २०) रुपये से कम की आमदनी पर या ६०) से कम की रैन्ट पर टैक्स नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं ऐसा कभी नहीं हो सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि पांच एकड़ या दस एकड़ से कम पर आप लैंड रेवेन्यू भी माफ कर दीजिये । तब तो आपका एटीट्युड सिंसियर है यह समझ में आ सकेगा, नहीं तो यह पक्षपात है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): फ्यूचर पॉलिसी है ।

श्री पी. के. चौधरी : अभी करिये, अदरवाइज़ इस सिटी ड्वैलर्स को एग्ज़म्प्शन नहीं दें । वह क्यों ? आप भी शहर में रहते हैं, ऐसा लगता है ।

(हंसी)

तो मेरा निवेदन करना यह था....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : शहर वालों को एग्ज़म्प्ट करने से काश्तकार का क्या फायदा होगा ?

श्री पी. के. चौधरी : फायदा उसको जरूर होता है । क्यों नहीं होता । इससे म्युनिसिपैलिटी के रिसोर्सेज़ बढ़ेंगे और इस तरह से आप सरकार से ग्रान्ट कम मांगेंगे । ग्रान्ट में जो एग्रीकल्चरिस्ट का पैसा है वह बचेगा और वह उसके काम में अधिक खर्च हो सकेगा ।

(श्री पी० के० चौधरी)

आपने ड्यूटी लिस्ट पेश की है ग्रेड पाने की। वह क्या जादुई डंडे से होगी वसूल। पैसा चाहिये, सरकार पैसा देगी। मुख्य मन्त्री या वित्त मन्त्री क्या हड्डी आश्रम से लावेंगे ? एग्रीकल्चरिस्ट से या दूसरे कन्ज्युमर्स से ही तो कलेक्ट करके देंगे। तो इन्डाइरेक्टली जो शहर के रहने वाले नहीं हैं उन्हीं पर तो शहर वालों के लिये खर्च किये गये पैसे का भार पड़ता है। तो माननीय सदस्य इस बात से समझ गये होंगे कि एग्रीकल्चरिस्ट को इससे क्या रिलीफ मिलेगा। तो मेरा निवेदन है कि यह क्लॉज़ गलत है, यह रहना नहीं चाहिये और इसके सिलसिले में जो लोकल फाइनेन्स एन्क्वायरी कमेटी भारत सरकार ने अपोइन्ट की थी उसने भी राय दी है कि ऐसा कोई एग्जम्प्शन नहीं रहना चाहिये। उसने लिखा है : "The Local Finance Enquiry Committee has expressed the opinion that there should be no exemption from the property tax merely on the ground of annual value being below a particular monetary limit and that such exemptions, wherever they exist, should be abolished."

यह रीज़नेबल बात है। जो सर्विसेज आप टाउन ड्वेलर्स को या सिटी ड्वेलर्स को दे रहे हैं वे उनके ही पैसे से देनी चाहिये। यह एग्ज़म्प्शन की लिमिट की बात बिल्कुल गलत है, नहीं रहनी चाहिये।

दूसरा मेरा जो अमेंडमेंट है वह सेक्शन ६७ के सेकिन्ड प्रोविज़ो को डिलीट करने का है :

And also delete the 2nd proviso.

सेकिन्ड प्रोविजो को आप देखें इसमें क्या कहा जाता है :

"Provided further that upon a representation made to it by, and at the request of, a board, the State Government, if it is satisfied that circumstances exist which sufficiently provide the justification for a board not to levy, or to stop the levy of, any of the taxes mentioned in this section, may, by special order published in the official Gazette, along with the reasons for making such order, permit the board not to levy or to stop the levy of any such tax."

यह एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल क्लॉज़ है। सभापति महोदय, जैसा पहले सेक्शन ६३ का डिसक्सन हुआ उसमें भी मैंने कहा था कि आज हम जब ऑब्लीगेटरी और स्टेच्यूटरी प्रोविजन कर रहे हैं। ड्यूटीज़ के लिये। इसी तरह से ऑब्लीगेटरी टैक्सेज क स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जम्प्सन देने का। सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय जा रहे हैं, वे रहते तो अच्छा रहता. .

I am talking for his ears.

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : I will communicate to him all that you say here and also reply the points if need be.

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय जो मैंने पहले कहा था और इस बात के लिए जो टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन ने भी कहा है कि एग्ज़म्प्शन देना है तो स्टेच्यूटरी को देना चाहिये। एग्ज़ीक्यूटिव के हाथ में देने से इसका मिसयूज़ होगा। उसको नहीं

Page No.89

(श्री पी० के० चौधरी)

देना चाहिये । गवर्नमेंट देखेगी कि ऑब्लीगेटरी टैक्सेज में तीन टैक्सेज हैं । एक तो है टैक्स ऑन दी प्रोपर्टी ऑक्ट्राय प्रोफेशनल और वोकेशनल टैक्स । ये तीनों टैक्स ऑब्लिगेटरी माने हैं । They must be levid. इनमें एग्ज़मप्शन की बात मेरी समझ में नहीं आती । ऑब्लीगेटरी में जो टैक्सेज़ इन्क्लूड किये हैं यह समझ कर किये हैं कि राजस्थान की म्युनिसिपैलिटी हैं :

Almost all the municipalities will be able to bear these taxes and the residents of this place will be able to pay these taxes.

यह प्राॅविजो रख देते हैं, तो उनमें से हम एग्ज़ीक्यूटिव को ऑथोरिटी देते हैं कि आप उसको एग्ज़म्प्ट कर सकते हैं । तो इसका काफी दुरुपयोग हो सकता है और होगा भी । और यह सिर्फ यहां की हालत देख कर ही नहीं कर रहा हूं । टैक्स एन्क्वायरी कमेटी ने सारे देश की हालत देखकर कहा है जिन्होंने सारे हिन्दुस्तान का भ्रमण करके इसे स्टडी किया है कि एग्ज़ीक्यूटिव के हाथ में एग्जम्प्शन के पॉवर देने से इसका दुरुपयोग होता है ।

सभापति महोदय, मान लीजिए कि आज कोई म्युनिसिपैलिटी है सीकर या झुंझूनू या ऐसी कोई म्युनिसिपैलिटी है आज एग्ज़ीक्यूटिव में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो सीकर में इन्टरेस्टेड है तो क्या करेगा ? वह बोर्ड का जो मेम्बर है वह कहेगा कि अच्छा तुम हमको चुनकर भेज दो तो हम तुम्हारा हाउस टैक्स माफ कर दूंगे । It may become a propaganda stunt. एक प्लेटफार्म हो जायेगा चुनाव के टाइम पर । इस प्राॅविज़न को रख कर हम करप्शन को इनवाइट करेंगे । चुनाव आये तो कोई भी पार्टी कहेगी, मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग कह सकते हैं और अगर कल सोशियेलिस्ट पार्टी पॉवर में आ जाये तो सोशियेलिस्ट पार्टी कह सकती है और वह चौड़े में नहीं कहेंगे लेकिन जो व्हिशपरिंग प्रोपेगन्डा चलता है वह प्रोपेगन्डा कर सकते हैं और वह ऐसे कि वह कहेंगे कि तुम हमको चुनकर भेज दो तो हम तुम्हारा दो साल का हाउस टैक्स माफ कर दें या एनीमल टैक्स बन्द कर देंगे । ऐसे सीक्रेट प्रोमिसेज़ इलेक्टर्स को दिये जा सकते हैं और जो उनका राइट ऑफ वोट है और जो उनका their power without any undue interference उसके साथ हम टेम्पर करेंगे । उसके साथ हम इन्टरफियर करेंगे और इसका उपयोग हो सकता है और इसका उपयोग होगा भी । यह तो मैंने एक किस्म की मिसाल दी । जहां एक पार्टी पॉवर में है वह पार्टी अपने केन्डीडेट को जीताने के लिए they can mis-use the power. अब पार्टी के जो ऊपर के लीडर्स हैं उनको मालूम नहीं है । आज गवर्नमेंट है उसको मालूम नहीं है इस बात की । लेकिन एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी है उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं प्रोमिसेज़ दूंगा कि हमारा जो माल मंत्री है वह हमारी पार्टी का है, उसके साथ हमारी बहुत जान पहिचान है आप हमारी पार्टी को जीता दो तो हम फलाना एनीमल टैक्स माफ कर देंगे और आक्ट्राई माफ कर देंगे या हाउस टैक्स दो साल के लिए माफ कर देंगे और जब जीतकर आऊंगा तो एक केस बनाऊंगा, एक मेमोरेन्डम बनाऊंगा और गवर्नमेंट के पास

(श्री पी० के० चौधरी)

जाऊंगा कि हमारे यहां की हालत ऐसी है इसलिए इस टैक्स में एग्ज़म्पशन देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो साल दो साल के लिए एग्ज़म्पशन दे दीजिए। इस तरह से हम एग्ज़ीक्यूटिव को इन्फुलेन्स करेंगे it will amount to corruption, mis-use of power. यह हो सकता है। दूसरी तरह की मिसाल ऐसी हो सकता है कि जो एग्ज़ीक्यूटिव में हैं वह एक विशेष म्युनिसिपैलिटी के ऊपर खुश हैं तो क्या करेगा कि उनकी तरफ से इस एग्ज़म्पशन का फायदा उठाकर के वहां का चेयरमैन या सदस्यों से लाभ उठा सकता है। जैसा मैंने अभी मिसाल दिया। मान लीजिए कि किसी विशेष म्युनिसिपैलिटी के ऊपर एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर खुश है तो उससे यह फायदा उठा सकता है। फिर मान लीजिए कि मैं डाइरेक्टर ऑफ लोकल बाडीज़ हूं या लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का मिनिस्टर हूं और झुंझनू मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में आता है और मैं झुंझनू में लोगों को खुश करना चाहता हूं तो वहां पर आक्ट्राई वगैरह माफ करा दूंगा। सीकर से मैं नाराज हूं या सांभर से नाराज़ हूं तो वहां पर मैं एग्ज़म्पशन देने के लिए कभी नहीं कहूंगा। यानि मेरे कहने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जो ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ रखे हैं मिनिमम जो रखा है वह यह रखा है। उसके सिवाय म्युनिसिपैलिटी नहीं चल सकती। आज स्टेट गवर्नमेन्ट आपने बनाई स्टेट लेजिस्लेचर है और आज हम यह कहेंगे कि यह जो स्टेट गवर्नमेंट है वह एडमिनिस्ट्रेशन अपने खर्चे से नहीं चला सकती है इसलिए हिन्दुस्तान में फेडरल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए और यूनीटेरी गवर्नमेंट होनी चाहिए। सारा का सारा काम दिल्ली की पार्लियामेंट चलायेगी। अगर आप प्रोविन्शल एटानामी रखना चाहते हैं और उसके एग्ज़िस्टेन्स को रखना है तो उसको चलाने के लिए इन्कम्प्लेज़ को वसूल करना चाहिए और अगर हम उसको वसूल नहीं करेंगे और सेन्टर हमें ग्रान्ट देकर चलाये तो स्टेट गवर्नमेंट चलने के काबिल नहीं है। लेकिन इस बात को हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट चल सकती है और अगर नहीं चल सकती है तो यूनिटेरी गवर्नमेंट बनेगी लेकिन स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप यह समझते हैं कि उनको रिसोर्सेज़ नहीं दे सकते हैं तो फिर पंचायतें बना दीजिए, मत रखिये म्युनिसिपैलिटीज़। अगर म्युनिसिपैलिटीज़ बनाते हैं तो They must pay for their maintenence then. यह प्रिन्सिपल ऑफ सेल्फ रिलायन्स है। आज सेल्फ रिलायन्स का आप नारा लगाते हैं। गांव गांव में जाकर कहते हैं कि वो सेल्फ रिलायंट स्वावलम्बी होइये। लेकिन गांव के लोग अशिक्षित हैं, गरीब लोग हैं उनको तो हम स्वावलम्बी का सबक सिखा रहे है लेकिन शहर के लोगों को स्पून फीडिंग कर रहे हैं। इस लिये यह जो प्रोविजो २ है वह और भी खतरनाक है। इसका मिस यूज हो सकता है। इसलिये यह जो सेकिण्ड प्रोविजो है इसको डिलीट कर देना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि जो ३ आब्लीगेटरी टैक्सेज हैं वह मैजोरिटी आफ दी म्युनिसिपल नहीं ले सकते हैं। अगर आप म्युनिसिपेलिटीज़ को डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्लीगेटरी टैक्स से एग्ज़म्प्शन मत दीजिए। अगर देते हैं तो then you must come before the Legislature for it. आपको एग्ज़म्पशन देना

(श्री पी० के० चौधरी)

है तो लेजिस्लेचर के सामने आकर उसको एग्ज़म्पशन दीजिए। एग्ज़ीक्यूटिव आर्डर्स से मत दीजिए। इसके लिए टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने भी काफी घोर विरोध ज़ाहिर किया है।

सभापति महोदय, इसके बाद में एक शब्द प्रोफेशन एण्ड वोकेशन टैक्स के लिये भी कहना चाहता हूं। मैंने एक अमेन्डमेन्ट देखा है और शायद मेरे बाद में कोई माननीय सदस्य उसको मूव करेंगे और वह इसको नहीं रखना चाहते हैं। मैं उस अमेन्डमेन्ट का सख्त विरोधी हूं। मैं कहता हूं कि टैक्स तो होना चाहिये और जो बिल में रखा है वह ऐसा ही रहना चाहिए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : what is your profession ?

श्री पी० के० चौधरी : I have got no profession. तो मैंने ऐसा सुना है कि यह जो प्रोफेशन एण्ड वोकेशन टैक्स है उनके खिलाफ़ यह लाबी क्रियेट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि बाहर से आकर इन्फ्लुएन्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफेशन टैक्स से एग्ज़म्पशन दिया जाये। इसलिए इस बात का आगाह करते हुए यह सुझाव देता हूं कि यह टैक्स तो लेना ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह तीनों टैक्सेज़ होने चाहिये और यह बहुत ही सोच समझकर रखे गये हैं।

उसके बाद में क्लॉज़ ६७ में माननीय मन्त्री महोदय ने एक अमेंडमेंट दिया है उसके संबंध में मुझे कुछ कहना है। क्योंकि वह अमेंडमेंट उन्होंने मूव कर दिया है। सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो सेक्शन ७ में एक एमेंडमेंट मूव किया है वह क्या है ?

"(1) Omit 'and' towards the end of part (a) (ii) of the first proviso.

(2) Before part (b) of the first proviso insert the following:-

'(aa) the tax under clause (2) shall not be levied on a motor vehicle as defined in the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act IV of 1939) or on any other mechaniclally propelled vehicle, and" इसका मतलब यह है कि मोटर विहिकल है, ट्रेक्टर है, ट्रक्स हैं, मोटर साईकल है, और साईकल में पिटपिटी लगा देते हैं, बाइसिकल के अन्दर एक आटो लगा देते हैं तो वह मैकेनिकली प्रोपल्ड विहिकल में आ जाता है, इन सारे को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। सभापति महोदय, मैं इसके खिलाफ हूं कि इन सब पर लगाना चाहिए। मोटर विहिकल एक्ट के अन्दर में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सेन्टर लगाती है। इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन दूसरी स्टेट में जहां मोटर विहिकल को इस टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ग्रान्ट उन्होंने उसके ऊपर ली है। जैसा कि इस सदन मे कुछ दिन पहले हमने म्युनिसिपेलिटीज़ को जो एन्टरटेनमेंट टैक्स पहले मुझे जहां तक याद है Hon'ble Member may correct me. एन्टरटेनमेंट टैक्स म्युनिसिपेलिटीज़ कलेक्ट किया करती थीं। उसको अब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है तो यह प्रोवीज़न रखा है Municipalities will be compensated for it. जो टैक्स कलेक्ट करेंगे उसका

(श्री पी० के० चौधरी)

एक हिस्सा देगें । If my mamory goes correct, that is the legislation we have passed in this House, मोटर विहिकल या दूसरे हर तरह के विहीकल्स उसको कलेक्ट करने का कोई राइटफुल है, कोई हकदार है तो म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, क्योंकि ये मोटर विहिकल उसके एरिया में घूमती हैं । रोड्स को कन्ज़्यूम करती हैं । वियर एन्ड टीयर म्युनिसिपेलिटीज़ के रास्ते का होता है । उसकी जो प्रेट्रोल गेस निकलती है उससे नुकसान वहां के रेजीडेन्ट्स को होता है They impure the air and spoil the roads. वे शहर की हवा को खराब करते हैं और शहर के रास्ते को खराब करते हैं । मेकेनिकल विहीकल्स वह करती है म्युनिसिपल एरिया में । लेकिन आज एक कानून आता है कि उन पर कोई टैक्स नहीं लगा सकते हैं...

एक माननीय सदस्य : वह एक्सीडेन्ट करती है ।

श्री पी० के० चौधरी : एक्सीडेन्ट करती हैं वह दूसरी बात है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): हवा शुद्ध कैसे हो जायगी । क्या सेन्ट छिड़केगें ?

श्री पी० के० चौधरी : आप ठाकुर साहब जीप चलाते हैं और जीप कितनी हवा खराब करती है और कितनी धूल उड़ाती है यह आपको दिखाई नहीं देता है ।

जो मोटर विहिकल्स, मैकेनिकल विहिकल्स इतनान्यूसेन्स क्रियेट करती हैं। शहर में न्यूसेन्स क्रियेट करती हैं । रास्ते खराब करती हैं, धूल उड़ाती हैं । जहां खड़ी होती हैं वहां तेल गिराती हैं उसकी सफाई म्युनिसिपेलिटी करे । उसकी धूल निकले उसकी सफाई म्युनिसिपेलिटी करे । रास्ते का वियर टीअर हो उसको ठीक म्युनिसिपेलिटी कराये । लेकिन उनके ऊपर टैक्स उठाने का हक म्युनिसिपेलिटीज़ को नहीं दिया जाता है क्यों नहीं दिया जाता है ? इसलिये नहीं दिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद उनसे टैक्स वसूल करती है । मोटर विहिकल्स से टैक्स खुद वसूल करती है । मोटर विहिकल टैक्स खुद स्टेट गवर्नमेंट वसूल करेगी, इसलिये म्युनिसिपेलिटीज को नहीं दिया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि तमाम स्टेट्स में हर एक स्टेट में जहां मोटर विहिकल टैक्स स्टेट रियेलाइज़ करती है वहां particular amount of it is going to the municipalities. तो इस बिल के पास करने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए । उनकी तरफ से एक एश्योरेन्स आना चाहिए कि हर एक म्युनिसिपेलिटी का जो लिमिट है यानी म्युनिसिपल एरिया में जितनी भी मोटर विहिकल्स रिजस्टर्ड होंगी उसके टैक्स का कम से कम ५०, ६० या ८० परसेन्ट, एक फिक्स्ड पर्सेन्टेज़ म्युनिसिपेलिटीज़ को देगें । तब जाकर एग्जेम्पशन जो माननीय मंत्री महोदय ने इसमें रखा हैं उसको मन्ज़ूर कर सकते हैं । नहीं तो अगर मन्ज़ूर करेंगे तो म्युनिसिपेलिटीज के साथ अन्याय करेंगे, उनके जो रीजनेबल रिसोर्सेज़ हैं उनके साथ में धोका करेंगें । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बात को कन्सीडर करके इस एमेंडमेंट को पास करने में मेरी नाराजी नहीं है लेकिन पास करने से पहले पास कराने वाले, जो टैक्स वसूल करते हैं स्टेट् गवर्नमेंट के खिलाफ़ पर वे एश्योरेन्स इस सदन में देदें कि कम

Page No.93

(श्री पी० के० चौधरी)

से कम आज तक मोटर विहीकल के टैक्स से जो पैसा मिलता है उसका कम से कम म्युनिसिपल एरिया में जो मोटर विहीकल रहती है, जिनका रजिस्ट्रेशन वहां पर हुआ है उन मोटर विहीकल से जो टैक्स कलेक्ट करेंगे उसका ८० पर्सेन्ट नहीं तो कम से कम ५० पर्सेन्ट म्युनिसिपल बोर्ड्स को दिया जायगा। वहां की रोड्स के वियर एन्ड टीयर के लिए, न्यूसेन्स क्रियेट करते हैं उसको रिमूव करने के लिए, डस्ट उठाते हैं उस पर पानी छिड़कने के लिए, जो धूल उड़ाते हैं मोटर विहीकल्स, और जिन मोटर विहीकल को सर्विसेज़ म्युनिसिपैलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं उनका मुआवजा लेने के लिए म्युनिसिपैलिटीज़ हकदार हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि Government before passing this Bill in this House, the Hon'ble Minister should declare in the House. जिस एरिया में मोटर विहीकल रहती है उस एरिया की म्युनिसिपैलिटीज़ को देगी।

सभापति महोदय, इसके बाद में मेरा एमेंडमेंट है सेक्शन ६८ There is an amendment in it. Delete sub-part (i) of part (c) of the proviso. यहां पर सभापति महोदय यह दिया गया है ६८ में "Provided that :—

(a) no tax under clause (i) or clause (iv) shall be leviable in respect of any motor vehicle as defined in the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act IV of 1939) or any other mechanically propelled vehicle,

(b) no tax under clause (i) or clause (iii) shall be leviable in respect of (i) one bicycle and one horse kept by a member of the Rajasthan Police Force for the performance of his official duty,"

सभापति महोदय, यह नहीं रखना चाहिए। आखिर में जो कवेनेन्टिंग स्टेट्स हैं उनके साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में पार्टीज़ Government of India and the covenanting States were the parties. The Municipalities were not a party to it and the Government of India has no right to assail the rights and privileges of the municipalities. जब म्युनिसिपैलिटीज़ सर्विस रेन्डर करेगी। उनका मोटर विहीकल से वियर एन्ड टियर होगा। उनकी तरफ न्यूसेन्स क्रियेट करेगा। उनकी सर्विसेज तो Government of India has no constitutional right. तो इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो कवेनेन्टिंग स्टेट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया है वह नहीं रहना चाहिए They must be treated at par with other citizens.

दूसरी बात, सभापति महोदय, ऐसा इम्प्रेशन क्रियेट कर रखा है कि कवेनेन्टिंग स्टेट्स को या रियासत को जब टेक ओवर किया गया था तो उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मैं कहता हूं कि ज्यादातर जो स्टेट्स हैं उनको रूलर्स को प्रिवी पर्स मिलती है It is more than what their net income was. जो उनकी इन्कम थी वह एडमिनिस्ट्रेशन में सारी की सारी खत्म होती थी। जो उनके रिसोर्सेज थे वह बड़े पुअर थे लेकिन प्रिवी पर्स इन्फलेटेड इन्कम के बेसिस पर दी थी and I think they require no more spoon feeding. छोटी मोटी बातें कवे-

Page No.94

(श्री पी० के० चौधरी)

नेन्टिंग स्टेट्स के नाम पर है उनके लिए एग्ज़म्पशनं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्ज़म्शन, पानी तक लिए एग्ज़म्शन, टाल टैक्स के लिए एक्ज़म्पशन । उसमें एग्रीमेंट हुआ । इन सारी बातों से नई क्लॉस क्रियेट हुई है राजस्थान में । जो सब बातें दी गई हैं...

श्री मदनसिंह : You have taken the biggest things out of them you see.

श्री पी. के. चौधरी : तो सभापति महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं ।

दूसरा, In sub-clause (1), part (x) between the words 'annual' and 'letting' insert the word 'reasonable'.

यहां पर भी ६८ के पार्ट (i) के सब पार्ट [x] में भी "[x] a water tax for water supplied by the board, which may be imposed in the from of a rate assessed on the annual letting value of buildings or lands or both or in any other form," यहां पर मैंने annual letting value 'के बजाय' annual reasonable letting value" ही रखा है । उसके लिए आँग्यूमेंट मेरा ६७ के एमेंडमेंट के सिलसिले में दे दिया है उसको दुबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है । मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय इसको मन्जूर करेंगे ।

सभापति महोदय, अब हम आते है सेक्शन १०० पर सभापति महोदय, मेरा जो एमेंडमेंट है वह यह है कि After the word 'Government' add the following in sub-clause (1), part (a) :-

"Except those mentioned in clauses (v), (vi), (vii), (viii), (ix) and (x) of sub-section (1) of Sec. 98"

इसके बाद इसमें दूसरा है :

In part (b), after the word 'Government' add the following:-

"Except those mentioned in clauses (v), (vi), (vii), (viii), (ix) and (x) of sub-section 98 and subject to the State Governments paying on gratia contribution equal to 80% of the property tax which the State Government would have been liable to pay but for the exemption."

और तीसरा है सभापति महोदय सब क्लॉज़ (१) part (c), the words 'for public purposes or' be deleted.

And also part (d) and (e) be deleted.

ये तीन अमेन्डमेन्ट हैं मेरे सेक्शन १०० में । सभापति महोदय, सेक्शन १०० जो है उसमे एग्ज़म्पशन्स का प्रोविज़न है

"None of the taxes specified in sections 97, 98 and 99 shall be leviable in respect of:-

(a) any property of the Central Government, or

(b) any property of the State Government, or

(c) any property used solely for public purposes or as a place of

(श्री पी० के० चौधरी)

public worship or for a charitable or religious use or purpose, or

(d) any building or part of a building used for the occupation of the Ruler of a covenanting State or the members of his family...

सभापति महोदय, मेरा इसमें भी अमेन्डमेन्ट है जो सर्क्यूलेट नहीं हुआ है, पार्ट (डी) और (ई) डिलीट होती है सेक्शन १०० में सब क्लॉज़ (१) की पार्ट (डी) यह है :

(d) any building or part of a building used for the occupation of the Ruler of a covenanting State or the members of his family or for the location of the establishment of such Ruler or members, or..."

यह भी डिलीट करना चाहता हूं। और सब क्लॉज़ (२)

"(2) The State Government may, if in its opinion reasonable grounds exist for so doing, grant anddefine, by notification in the Rajasthan Gazette, such exemptions in exemptional cases from payment of a tax leviable under section 97 or imposed under section 98 or under section 99 as it may consider necessary" तो इसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मेरा जो फर्स्ट अमेन्डमेंट है वह स्टेट गवर्नमेन्ट को एग्जेम्पशन जो सारा का सारा उन्होंने दे दिया है उसके खिलाफ है। सेक्शन ६८ में जो अदर टैक्सेज़ हैं उसमें उन्होंने ६७, ६८ और ६६ में टैक्सेज़ से एग्जेम्पशन दिया है, इनमें से सेक्शन ६८ में कुछ टैक्सेज़ हैं जिनको सर्विस चार्जेज़ कहते हैं....

श्री रामधन (दौसा): सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गण पूरक घंटी के पश्चात पुनः)

श्री सभापति : Continue the Debate.

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, जो मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है, उसमें स्टेट में 'एनि प्रोपर्टी ऑफ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट' है उसको एग्जेम्पट रखा है सेक्शन ६७ से और सेक्शन ६६ से लेकिन ६८ सेक्शन है उसके Parts ५ से लेकर १० तक उनमें यह है :–

"(v) a tax on boats moored within the municipality,

(vi) a scavenging tax,

(vii) a tax for the cleansing of private latrines or privies,

(viii) a general sanitary tax for the construction or maintenance or both of public latrines and for the removal and disposal of refuse,

(ix) a lighting tax,

(x) a water tax for water supplied by the Board which may be imposed in the form of a rate assessed on the annual letting value of buildings or lands or both or in any other form."

(श्री पी० के० चौधरी)

सभापति महोदय, यह जो टैक्स है उससे हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की प्रोपर्टी को मुक्त करते हैं लेकिन जिस चीज़ के सामने से स्कैवेन्जिग किया, मकान साफ किया, पोस्ट ऑफिस के सामने लाइट दिया या पोस्ट ऑफिस के मकान को साफ किया उसमें लाइट दिया, वाटर सप्लाई किया या और क्या क्या किया या सेनिटरी एरेन्जमेंट किया या पोस्ट ऑफिस में लोग आते हैं और जो टट्टी पेशाब वहां पर निकालते है उनको साफ किया या लेटरिन्स और युरिनल्स प्रोवाइड किया ये सारी सर्विसेज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को देना चाहते हैं वहां कम से कम जो सर्विस देते है देट मस्ट बी पेड We must pay for it We are not asking for any profit from the Central Government. उन पर ऐसा टैक्स इम्पोज़ नहीं किया जिसका रिटर्न उनको नहीं मिलेगा जो टैक्स लगाते हैं उसे रिटर्न पर लगाते हैं It is a payment for the services rendered. यह कल्पना के बाहर है जो सर्विस दी है क्या पोस्ट ऑफिस म्युनिसिपैलिटी को चिट्ठी सप्लाई करेगी Will the Municipality be supplied with free postage and telegrams ? मैं तो देने को तैयार हूं आपको लाइट, पानी, सफाई बिजली वगैरा का इन्तजाम देते हैं वाटर टेप लगाते है क्योंकि वहां पर लोग आकर पानी पीते हैं तो आप किस मोरल ग्राउन्ड पर फ्री ऑफ कोस्ट मांगते है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप किस ग्राउन्ड पर एग्जेम्पशन देना चाहते हैं ? इस तरह का एग्जेम्पशन नहीं देना चाहिये। हमको उसका पर्टिकुलर मुआवज़ा लेना चाहिये, उनको एग्जेम्पशन मिलना नहीं चाहिये। इसके बावजूद सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का प्रोपर्टी टैक्स है बिल्डिंग टैक्स है उसको भी हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को दिया है हमको देना पड़ता है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से हम करोड़ों रुपये लेते है उनका इन्ट्रेस्ट देते हैं फंड्स हमको मिलते है, Then on what moral grounds this exemption is granted ? जो हमको फंड्स मिल सकते हैं, जो हम ले सकते हैं उसको हम कैसे राइट ऑफ करदें गिव अप करदें, यह समझ में नहीं आता। It is on business principle on the basis of give and take. मैं ऐसा मानता हूं। इसके बाद यह रखा है Any property of the State Government will also be exempted from these taxes. उसके लिये भी यह है कि यह जो ६, ७, ८, ६, १० सर्विसेज के लिये है स्टेट गवर्नमेन्ट की प्रोपर्टी, बिल्डिंग है, शफाखाना है, दवाखाना है उसके सामने रास्ता म्युनिसिपैलिटी ने प्रोवाइड किया है, लाइट प्रोवाइड किया है उसके सामने से गंदी चीजें सारी बाहर फैंकते हैं, उसको तीन दफा साफ करते हैं, वहां पर लोग टट्टी पेशाब करते हैं उसको साफ करते हैं और हमारे रेट्स एन्ड टैक्सेज हैं, वे सर्विस की एवज में मिलते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्पशन चाहती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सारे के सारे एग्जेम्पसन टैक्सेज के म्युनिसिपैलिटी से ले लिये तो आखिर में आपकी रेस्पोन्सिबिलिटी है म्युनिसिपैलिटीज़ को चलाने के लिए। इसलिए हमने रखा है कि एग्जेम्प्शन दे सकते हैं बशर्ते कि उसकी जो नार्मल असेसमेंट या वेल्यू होगी, उसका ८० पर्सेन्ट आप म्युनिसिपैलिटी को पे करेंगे। राज्य सरकार की इस बेसिस पर एग्जेम्प्शन दे सकते हैं। सभापति महोदय, इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उनकी तरफ

(श्री पी० के० चौधरी)

आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब काफी ध्यान आकर्षित कर लिया। काफी टाइम हो गया है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने १०६ तक रखे हैं, इसलिए सब पर बोलूंगा।

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप ५ बजा दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो आकर्षण की बात कह रहा था।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, इस अमेंडमेंट के सम्बन्ध में मैं टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में से बताता हूं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट है, वह प्रोपर्टी टैक्स देने के लिए एग्रीड है :

"A specific exemption in respect of Central Govt. properties for the first time was made in Section 154 of the Government of India Act, 1935. The exemption was concerning all States and local taxes and applied to all Central Government properties except such as were liable to this tax immediately before April, 1937". १९३७ के पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जिन प्रोपर्टी पर टैक्स रहता था, उसके अलावा १९३७ के बाद जो टैक्स लेना शुरू किया है, उसको छोड़ दिया है और पहले वाले का लेते रहे हैं, In respect of properties acqured and constructed after April, 1937 which were, under the provisions of the Constitution, exempted from local taxation unless Parliament by law provides to the contrary, the Government of India refused till recently to pay anything by way of local taxes. From an official communique which we have been showed, we find that they have now agreed to make payment in respect of services charged with effect from 1st April, 1954 on the following basis. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस चार्जेज देने के लिए १९५४ से तैयार हो गई इन ग्राउन्ड्स पर तैयार हो गई है।

"The Central Government will make payment in respact of their properties for specitie services rendered by local authortties, but payment of such service charges shall be treated not as payment of taxes but as compensation payable in quasi-contract. Specific services will include not only direct services such as water and electricity supplied, but also general services such as street lighting, general drainage, and approach roads connecting any other Government propertiss. And maintainin such items as medical aid facilities will be excluded. For large pieces and blocks of their properties the Central Government will not pay for such specific services as they themselves arrange. As regards assessment, no difficulty should arise in respect of items like metered water, electricity etc. and services like drainage and scavanging etc..." सभापति महोदय, मैंने टैक्सेशन

(श्री पी० के० चौधरी)

एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में से कोट करके बताया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट खुद रखिस चार्जेज़ देने के लिए तैयार है । हमारी सरकार जो है, हम यह कानून पास कर रहे हैं, इसे फोर गो करने के लिए यह करना चाहती है । मैं चाहता हूं कि फोर गो करने से पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अन्डर टेकिंग ले लीजिये । जैसा मैंने बताया कि उनको फैसेलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी की सारी फैसेलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं । They have got no right when they have agreed to such charges... हम सर्विस चार्जेज़ क्यों न ले ! दूसरी बात यह है, सभापति महोदय, इसमें ८० पर्सेन्ट का रखा है ! बहुत सी स्टेट्स ८० पर्सेन्ट देती हैं । उनकी प्रोपर्टी की जो वेल्यू है, उसका जो असेसमेंट होता हैं, उसका ८० पर्सेन्ट म्युनिसिपेलिटी को देती हैं । हम चाहते हैं कि जो चीज़ दूसरी स्टेट्स में है, जो चीज़ सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से देने को तैयार है । उस चीज़ से बचने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो आखिर म्युनिसिपैलिटीज़ को चलाना है या नहीं । आप चाहते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से नहीं लें, स्टेटगवर्नमेंट से नहीं लें उसके बाद we go with a begging bowl to the Central Govt. for help जो म्युनिसिपेलिटी को नौकरियों में लगे लोग हैं, उनकी तनख्वाह में ५ रुपये बढ़ाये, तो उसका १० पर्सेन्ट गवर्नमेंट से लिया । मैं चाहता हूं कि आपके जो ड्यूज हैं, वे लीजिये उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो दें । आपके जो ड्यूज़ हैं, वे मांगते नहीं हैं और फिर चाहते हैं कि वे भीख मांगें । एक तरफ जो म्युनिसिपेलिटी को टैक्स कलेक्ट करते हैं, उससे आप बचने के लिए रखते हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि वे स्टेट गवर्नमेंट के पास बेगिंग करने के लिए आयें, मांगने के लिए आयें, फिर आप रोब गाठेंगे कि एक लाख रुपया नहीं दिया जायगा, ५० हज़ार रुपया दिया जायेगा । इसी तरह आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास मांगने के लिए जायेंगे । तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं. वे बेग लेकर मांगने की बात पसन्द नहीं करेंगे जब तक कि उनके पास सोर्सेज़ हैं । कम से कम मांगने की नौबत आये, बेग लेकर निकलने की नौबत आये, इसलिए मैंने सुझाव रखा है, इससे जो म्युनिसिपेलिटी है, जो लोकल बॉडी है, वे अपनी सर्विस को रीइन्फोर्स करेंगी ।

दूसरी बात यह है, सभापति महोदय, इसमें कलॉज़ १००(१)सी है । यह कहता है : Any property used solely for public purposes or as a place of public worship or for a charitable or religious use or purpose shall be exempted from this tax. सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अमेंडमेंट है वह यह है कि इसमें जो पब्लिक पर्पजेज़ रखा है, इसमें पब्लिक वरशिप की प्लेसेज़ हैं, चेरिटेबिल इन्स्टिट्यूशन्स हैं, रिलीजियस इन्स्टिट्यूशन्स है, उनके लिए एग्जेम्पसन रख दें । पब्लिक पर्पजेज़ के लिए अगर रखते हैं तो यह बड़ा वाइड टर्म हो जाता है । पब्लिक पर्पजेज़ कई जगहों के लिए यूज़ हो सकता है और उन जगहों की ओनरशिप प्राइवेट हो सकती है, या उसकी ओनरशिप किसी प्राइवेट व्यक्ति की हो सकती है । इस प्रकार प्राइवेट व्यक्ति की ओनरशिप होगी, उसको एग्जेम्प्ट करेंगे । मान लीजिये कि कोई बड़ा गार्डन है, या बड़े बड़े बाग हैं, उनमें अगर कोई मोन्टेसरी स्कूल खोल दिया, वह पब्लिक पर्पज़ के लिए

Page No.99

(श्री पी० के० चौधरी)

हो जायगा, उसमें कोई बाल उद्यान रख दिया या कोई म्यूज़ियम रख दिया, जैसे, पी. जी. मेहता ने रख दिया है, उसी तरह रख दिया तो उसके बाद कहीं सारी की सारी प्रोपर्टी it willbe exempted from the taxes. This is no argument. तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चैरिटेबिल इन्स्टिट्यूशन्स हैं, रिलीजियस इन्स्टीट्यूशन्स है, या दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनको रखिये। आपने प्रोवाइड कर दिया है, फोर पब्लिक पर्पजेज़ के लिए, तो कौनसी इन्स्टिट्यूशन की बिल्डिंग रह गई, जिसको आप एक्जेम्पसन देना चाहते हैं। मेरे दिमाग में आता है कि कोई बड़ा प्राइवेट पार्क है, प्राइवेट व्यक्ति का पार्क है, जिसको आपके लिए खोल दिया है, यह कह दिया कि आप जाकर देख सकते हैं आप उनका नक्शा देख सकते हैं, वहां जो चित्र लगे हैं, उनको देख कर आ सकते हैं, उसको आप एक्जेम्प्ट करना चाहते हैं। हमने गवर्नमेंट प्रोपर्टी को एक्जेम्प्ट कर दिया, चैरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स, रिलीजियस, इन्स्टिट्यूशन्स को एक्जेम्प्ट कर दिया, फिर कौनसी, प्राइवेट प्रोपर्टी रह गई Which property remains behind ?

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि कौन सी चीज़ विसूएलाइज़ करते हैं पब्लिक प्रोपर्टी का नाम देकर, ऐसी जो प्रोपर्टीज़ हैं, उनको यूज करना चाहते हैं और इनका मिसयूज होगा। जो प्राइवेट प्रोपर्टी दूसरों को दी जाय तो सरकार को दे दे, म्युनिसिपैलिटी को दे दे। प्रोपर्टी तो रखे इतनी बड़ी असेम्बली हाल और जलेबी चौक से बड़ा एरिया और केवल टाउन हाल दे दिया असेम्बली चलाने के लिये और कह दिया कि सारा का सारा एरिया पब्लिक पर्पज के लिये दे दिया। तो पब्लिक पर्पज का कह कर यह सारी चीज़ गले उतारना चाहते हैं, इसके लिये मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। पब्लिक पर्पज़ के लिये रखा है उसकी जगह चेरिटेबल रख दें। तो यह जो भाषा है वह ऑब्जेक्शनेबल है, इसको मन्त्री महोदय सोच विचार कर के ठीक करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट है क्लॉज १०० के सब सेक्शन डी० और ई० में। इसमें है :

"(d) any building or part of a building used for the occupation of the Ruler of a covenanting State or the members of his family or for the location of the establishment of such Ruler or members, or

(e) any vehicle, animal or other property belonging to such Rulers or members."

इनको भी एग्जेम्पशन दिया है। मेरा पहला अमेंडमेंट मूव हो जाता है तो यह कान्सिक्वेन्शियल है, यह आप ही हो जाना चाहिये। अब रहा क्लॉज १०० पार्ट २, इसमें लिखा है :

"The State Government may, if in its opinion, reasonable grounds exist for so doing, grant and define, by notification in the Rajasthan Gazette, such exemptions in exceptional cases from payment of a tax leviable under Section 97 or imposed under section 98 or under section 99 as it may consider necessary."

This is high y objectionable Sir.

Page No.100

(श्री पी० के० चौधरी)

इसमें इतना वाइड पॉवर दे दिया है । पहले तो यह रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेचुटरी पर्पज़ गवर्नमेंट को देंगे पब्लिक पर्पज़ का देंगे, चैरिटेबल का देंगे, इसमें तो इतना रख दिया है, कि और कोई चीज़ बाकी ही नहीं रह जाती हमारे सदन के सदस्य फूलजी भाई हैं, उनको वे दे सकते हैं, इस तरह का लेटिट्यूड प्रोविज़न रखा है, इससे मिस्यूज होगा, करप्शन बढ़ेगा । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी सिच्युएशन थी जिसके लिये यह रखा है। जैसाकि मैंने पहले कहा किसी लेजिस्लेशन के लाने के पहले... It presumes that such conditions pre-exist. मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास करते हैं तो उसमें हम यह प्रोवाइड करते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट जो फीमेल्स हैं, उनको मेटरनिटी टाइम में जो आवश्यक छुट्टी है वह नहीं देते हैं, तो छुट्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले लेडीज़ एम्प्लॉई को छुट्टी नहीं दी जाती थी ।

इसी तरह मिनिमम वेजेज़ एक्ट है, मिनिमम वेजेज नहीं देते हैं इसलिये एक्ट बनाया है पर जब तक एम्प्लोयर एम्प्लॉई को तनख्वाह देता है तो हम एक्ट नहीं ला सकते । इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह क्लॉज है एग्जेम्पशन देने का यह ठीक नहीं है । चाहे गवर्नमेंट को, पब्लिक पर्पज़ के लिये दे, चेरिटेबल थिंग्स के लिये दे, इस तरह जितनी कल्पना की जा सकती है, वह सारी की सारी एग्जेम्प्ट कर दी हैं, अब कौनसी चीज़ बाकी रह गई है, जिसके लिये यह पार्ट २ रखा है । मैं तो कहता हूं कि इससे इन्डिविज्युअल्स को एग्जेम्पशन मिलेगा । कह देंगे if a widow has got no other source of income, you shall give her exemption from property tax. Or if there is orphan whose mother and father have died, you will exempt him. Then mention it in the statute. यह क्या धांधली मचा रखी है।

(हंसी)

कोई धारा नहीं है जिसमें एग्जेम्पशन नहीं रखा हो । या तो ड्यूटी मत रखिये, प्रोवाइड करते हैं तो एग्जेम्पशन मत रखिये । फिर एग्ज़ीक्युटिव को डिस्क्रिशनरी पावर देते हैं : You give them a handle to misuse it at their sweet will and the administration will get corrupted. इसका मिस्यूज़ होगा । इसमें : Don't put the temptation before the man. There will be mis-use of administrative discretion. टेम्पटेशन उसके सामने लाते हैं तो करप्शन होता है । रेल्वे का मुलाजिम है, कारखाने में काम करता है, एंजिन चलाता है मशिनरी का काम करता है तो उसको करप्ट नहीं कहते, वह करप्ट नहीं होता, पर जो माल बुक करने वाला बाबू है, वह करप्ट होता है पर यदि उसको एंजिन के काम में डाल दीजिये वह करप्ट नहीं रहेगा । तो यह बात है कि इन्सान जिसका स्ट्रोंग करेक्टर नहीं है, उसके सामने टेम्पटेशन रखेंगे तो वह करप्ट होगा । जितना कम टेम्पटेशन रखेंगे, उतना ही कम मिस्यूज पॉवर का होगा... There will be less misuse of administrative discretion.तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह क्लॉज़ है, इसका किसी तरह मिस्यूज हो सकता है... we believe in inherent goodness ofman..लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि you close your

Page No.101

(श्री पी० के० चौधरी)

eyes to human weaknesses also. ह्यूमन वीकनेस भी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम तो चाहते हैं कि निश्चित रूप में आप इसमें प्रोवाइड कर दीजिये। विडो की प्रोपर्टी के लिये आप रखते हैं तो मैं सबसे पहले इसको सपोर्ट करूंगा। किसी विडो के दूसरे लाइवलीहुड के सोर्सेज नहीं हैं तो उसके लिये आप साफ रखिये, मैं तो यह कहूंगा कि उससे बिजली का खर्चा मत लो, पानी का खर्चा मत लो पर आप इस तरह का प्रोविजन लाते हैं तो ऐसा कौनसी सिच्युएशन के लिये किया है। As Minister-in-charge you are morally responsible for this legislation to explain why you want a particular section to be accepted by the Legislature. What situation do you visualize ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : I will do it. Don't worry about it.

श्री पी० के० चौधरी : I am making an appeal to you. I am not abusing you. It is a fervent appeal to you. You should support this legi slation with logic and not with statements.

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप जो जवाब देंगे, मैं ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं चाहता, मैं स्टेटमेंट चाहता हूं विथ रीजन्स Statement with facts and figures, with logic and arguments.

श्री सभापति : वह तो आपने बता दिया।

श्री पी. के. चौधरी : इसके बाद सभापति महोदय, एक और रह गया है।....... पार्ट सी, सभापति महोदय, आप इस को जरूर मुलाहिजा फरमाये कि जिन 101 [c]- "Any inhabitant of the municipality objecting to the imposition of the said tax or to the amount of rate proposed, or to the classes of persons or property to be mate liable thereto or to any exemption proposed may, within one month from the publication of the said notice, send his objection in writing to the Board and the Board shall take all such objections in to consideration, or shall authorise a Committee to consider the same and report thereon, and, unless it decidess to abondon the proposed tax, shall submit such objections with its opnion thereon and any modifications proposed in accordance therewith, together with the the notice and rules aforesaid to such officer as may be appointed or authorised by State Govt. in this behalf who my after examining the proposals either return them to the board for consideration or forward them to the State Govt. with such remarks as he thinks necessary." सभापति महोदय आप और फरमावेंगे इसमें लिखा है, आपने कोई टैक्स लगाया उसके बाद उसका कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्ट कर देगा कि यह टैक्स नाजायज है तो हमारी सरकार उसकी जांच कराने के लिए कमेटी बनावेगी और फिर उस पर गौर करेगी। सरकार रिपोर्ट लेगी कि टैक्स कम करना चाहिये या बढ़ाना चाहिये और फिर वह म्युनिसिपल बोर्ड के पास जावेगा। वे कहेंगे कि इनको कम कर दो। मैं समझता हूं कि आपने पहले जितने

(श्री पी० के० चौधरी)

भी प्रोसीजर कायम किये हैं उसमें कभी यह भी नहीं रखा है । अभी आपने बजट पास किया है और आपने पैसेन्जर पर टैक्स लगाने के लिए बिल पास किया है । उसमें आपने किसी भी पैसेन्जर से नहीं पूछा है और न आपने इसके लिये कोई कमेटी एपोइन्ट की है कि वह इसकी फिर से जांच करे और फिर से उसको फाइनेन्स मिनिस्टर के पास भेजा जाय कि इसमें पी० के० चौधरी ने ऑब्जेक्शन उठाया है आप इसमें कुछ कमी करें । आपने आज तक कोई भी बिल ऐसा पास किया है उनमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं किया है । अव्वल तो यह बात है कि म्युनिसिपेलिटी टैक्स इम्पोज करने में हिचकिचाती है उसके मेम्बर टैक्स इम्पोज करने में हिचकिचाते हैं और बहुत मुश्किल से हिम्मत करके टैक्स लगाते हैं तो तो उस पर आपने यह लगाया है कि किसी भी व्यक्ति के ऑब्जेक्शन पर This is an unheard of thing in the history of taxation. यह नहीं रखा है कि वहां की सारी की सारी पब्लिक विरोध करे तो उसको कन्सीडर करेंगे । मगर जिस समय पब्लिक विरोध करेगी तो आप सेल टैक्स लगाना भूल जावेंगे,आपने यह लिखा है : However a single individual can raise an objection about the imposition on the entire community. अभी मैंने यह पहला मौका देखा है जिसमें सारे लोगों पर टैक्स लगे और एक आदमी के कहने से Even if a single individual or any inhabitant of the municipality comes to object to the impositton of the tax the Government. will go to appoint a committee for reexamining it. सभापति महोदय, यदि इस प्रकार का कोई भी प्रोसीजर रखा जावेगा तो म्युनिसिपेलिटीज़ की तबाही हो जावेगी । म्युनिसिपैलिटी के सदस्य हैं वे बड़ी हिम्मत करके टैक्स लगाते हैं । और जिस समय टैक्स लगाते हैं वे १० गालियें सुनाते हैं, तू, तू, मैं, मैं, होती है । जो माइनोरिटी में होगा वह इसका विरोध करेगा और जो मेजोरिटी में होंगे वे इसका सपोर्ट करेंगे । इस पर चेयरमैन के खिलाफ नो कोन्फीडेन्स का मोशन भी आ सकता है । इससे चैयरमैन तो गये । जिसने बड़ी मुश्किल से टैक्स लगाया । कोई रहमतुल्ला ने कुछ कह दिया और उसके कहने से सरकार ने कमेटी बनाई कि झुंझुनू में ऑक्ट्रोय नहीं रहना चाहिये । यह रहमतुल्ला ने कह दिया और उनके कहने से सरकार ने वह एक कमेटी मुकर्रर की जाए । हां यह हो सकता है कि अगर लोगों की इकोनोमिक हालत खराब हो और लोग टैक्स देने की हालत में नहीं हां तो उसको बन्द कर दिया जावे । मगर इतने दिनों पहले वाले चैयरमैन ने बड़ी मुश्किल से टैक्स लगाया और उसके कारण उसके खिलाफ नो कोन्फीडेन्स मोशन आया वह तो गया और उसकी जगह दूसरा सभापति होगा वह यह कहेगा कि देखो मैंने आपके टैक्स माफ कराये हैं । आप ही देखें इसका क्या असर हो सकता है । मैं समझता हूं कि आप बड़े भले आदमी हैं और इतनी गहराई में नहीं जाते हैं, बाहर से ही किसी को देखते हैं । आप शकल देख कर भूल जाते हैं । यदि कोई शकल से अच्छा है मगर उसमें कितनी कमियें निकल सकती हैं उसकी तरफ आप नजर नहीं करते हैं । इसलिये मैं यह कहता हूं कि यह क्लॉज में आप भूल गये हैं । अगर आप इस क्लॉज़ को रखेंगे तो कोई भी म्युनिसिपैलिटीज़ टैक्स इम्पोज नहीं कर पावेगी । यह तो अनथिंकेबल है । एक आदमी ने आकर शिकायत की और आप कमेटी

(श्री पी० के० चौधरी)

मिटाने को तैयार हैं। यह क्या कोई डेमो, क्रेसी का तरीका है।

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं होगा।

श्री पी० के० चौधरी : ऐसा नहीं है तो फिर यह क्यों रखा गया है ?

Is it a Democracy ? What was the necessity of saying any inhabitant-you can say the entire community objected to it.

अब आप कहते हैं कि Any individual that means any individual and that may be a situation for any single man. जो म्युनिसिपल बोर्ड ने या चैयरमैन ने पास किया। एडमिनिस्ट्रेटर, डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ के साथ या मिनिस्टर महोदय पर जोर लगा कर if he is a very argumentative man, he can convince them कि आज सीकर या झुंझुनू का बिजनेस ठप हो गया है। वहां पर अकाल हो गया है, हंगामा हो गया है, आग लग गई है, मकान गिर गये हैं। भूकम्प हो गया है इसलिए टैक्स रिड्यूस किया जावे on that card he will become a chairman and it will be another corruption in the Municipal administration. और बगैर इसके म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता। इसलिये मैं सभापति महोदय यह कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्रीमिनेटरी पॉवर देने के मैं खिलाफ हूं। सभापति महोदय, आपको इस बात का ताज्जुब होगा कि एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर किस प्रकार से अपने पॉवर का दुरूपयोग करते हैं। मैं आपको बताऊं और म्युनेसिपल बोर्ड के चैयरमैन के चुनाव की मिसाल देता हूं कि उनके चुनाव के लिये ४८ घण्टे पहले नोमिनेशन देना चाहिये।

सभापति : क्या यह आपके टोपिक को कवर करता है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं तो मिसाल देता हूँ। unless you hear me, how can you judge ? आप अपने आफिसरों को डिसक्रिसनरी पॉवर देते हैं....

श्री सभापति : You please quote a relevant example.

श्री पी० के चौधरी : आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने अभी तक कहना ही शुरू नहीं किया। हम जो भी कहना चाहते हैं वह यह कि नहीं देने चाहिये। क्यों नहीं देना चाहिये और वह इसलिये कि उसका मिस यूज हो सकता है और मैं यह बता रहा था कि जहां हमें...

श्री सभापति : This is what you have observed so many times.

आपने कई दफा एग्जेम्पल दी है।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने कहा कि अभी एग्जेम्पल दे रहा हूं। म्युनिसिपैलिटी में ऐसा रूल है कि चैयरमैन के चुनाव के लिये नोमिनेशन ४८ घन्टे पहले भरा जाना चाहिये। रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार को मुकर्रर करते हैं। जब रूल्स हैं तो उनको मानना चाहिये। जैसे चौमू म्युनिसिपैलिटी

Page No.104

(श्री पी० के० चौधरी)

का चुनाव हुआ। वहां ४८ घन्टों के पहले नोमिनेशन नहीं आया और उसको मंजूर किया गया।

श्री सभापति : इसका क्या संबंध है।

श्री पी० के० चौधरी : I am just submitting, Mr. Chairman, the whole case... लालसोट में ४८ घण्टों का नहीं रखा गया। बांदीकुई में ४८ घण्टों का जो रूल था उसकी पाबन्दी नहीं हुई। दौसा में ४८ घण्टों पहले नोमिनेशन पेपर नहीं दिया गया। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ४८ घण्टों का आज रूल्स होते हुए भी कि ४८ घण्टों के बाद नहीं लिया जाना चाहिये, लिया जाता है। जहां पर मर्जी होती है। जहां मर्जी आती है वहां नहीं लेते हैं और आप ऐसे व्यक्तियों को ऑफिसियल्स को वाइड पॉवर्स, स्टेट्युटरी पावर्स देते हैं . .

श्री सभापति : इसका सम्बन्ध नहीं है। कोई स्टेट्युटरी पॉवर्स का मिसयूज करता है तो आगे उसका इलाज है। डिस्क्रेशनरी पॉवर्स हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने करेक्टर की बात बतायी।

श्री सभापति : करेक्टर की बात नहीं आवेगी। जो संशोधन है उसी पर बोलेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : मैं संशोधन पर आता हूँ। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि १०३ में डिलीट करना चाहता हूं कि इसका इस तरह से दुरुपयोग होगा और रखेंगे तो म्युनिसिपेलिटी टैक्स नहीं लगा पायेगी। अब मैं सेक्शन १०६ पर आता हूं सभापति महोदय सेक्शन १०६ है वह क्या कहता है :

"If it shall at any time appear to the State Government on complaint made or otherwise that any tax,levied by a board under section 68 is unfair in its incidence or that the levy thereof or of any part thereof is contrary or obnoxious to the interest of the general public,the State Government may require the said board within such period as it shall fix in this behalf to take measures for removing any defect or objection wich appear to it to exist in said tax or in the method of assessing or collecting the same, and if within the period so fixed, such requirement is not carried into effect to the satisfaction of the State Government it may, by notification in the official Gazetee, suspend the levy of the tax or of any part thereof, until such time as the defect or objection is removed or may abolish or reduce such tax."

Now what does this Section 98 say-

अब सेक्शन ६८ क्या है ?

Subject to the general or special orders of the State Government in this behalf, a board may impose and levy in whole or any part of the municipaliunly for which it is established all or any of the following texes,namely:-

(i) a tax on vehicles and other conveyances plying for hire or kept within the municipality

(ii) A tax on dogs kep within the municipatity atc.

तो सभापति महोदय, यह जो उन्होंने रखा है, सब से पहली बात तो यह है कि

Page No.105

(श्री पी० के० चौधरी)

सेक्शन ६८ में टेक्सेज प्रोवाइड किया है, इन्यूमरेट किया है कि क्या क्या टैक्सेज़ म्युनिसिपेलिटी इम्पोज कर सकती है। क्या ऐसे टैक्सेज इन्कोरपोरेट किये जाते हैं जो एब्नोक्सियस हो सकते हैं। यह कहता है :

It may be obnoxious to the interest of the general public.

अब मैं कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी को अथोरिटी दिया है कि ६८ के अन्तर्गत वह टैक्स इम्पोज कर सकती है और उनके लिए स्पेसिफिक जिनायल अथोरिटी देगी और गवर्नमेंट उसकी जो आउट लाइन है उसको मंजूर करेगी और उसके बाद टैक्सेज इम्पोज होंगे। ऐसे ही इम्पोज नहीं होंगे। गवर्नमेन्ट द्वारा जिनायल आउटलाईन एप्रूव करने के बाद लेवी किया जावेगा। उसके बाद अब जाकर गवर्नमेंट प्रोविजन करती है कि म्युनिसिपैलिटी ऐसे टैक्सेज इम्पोज करती है जो एब्नोक्सियस हो, मैं कहता हूं कि एब्नोक्सियस टैक्सेज हैं ६८ से क्यों नहीं उड़ा देते हैं। If you consider it obnoxious.मेरी कोमनसेन्स में यह बात नहीं आती है, जिस टैक्स का वाद विवाद कर रहे, एग्जीक्युटिव ने छानबीन करके बिल बनाया, मंत्री महोदय ने उसको देखा होगा The Hon'ble Minister has applied his mind और उसके बाद प्लान जावेंगे डिस्क्रेशनरी में, और खुद म्युनिसिपैलिटी इम्पोज नहीं करती है, वे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते है, स्टेट गवर्नमेंट उनको देखती है, फिर गजट नौटिफिकेशन होता है लेकिन यह प्रोपोज़ल आता है on any complaint being received वह पहले कहा था This complaint may be from any individual एक टैक्स इम्पोज़ होगा, एक इन्डीविजुअल के लिए आ सकता है that this is a complaint. Say that it should be a complaint from a particular section of the society. That means every tom-dick & harry any x,y or z can make a complaint and on that complaint alone, the Government can sit on the neck of the municipality. तो सभापति महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसा प्रोविज़न रखने की क्या जरूरत है और उसको रखना चाहते हैं और इसलिए रखना पड़ता है कि आपने कुछ एब्नोक्सियस और सब एब्नोक्सियस, इनडिसेन्ट टैक्सेज सेक्शन ६८ वें सेक्शन में रखा गया है और उसको चैक करने के लिए आप चाहते हैं। लेकिन ऐसे ऐब्नोक्सियस टैक्स हैं उनको ६८ से हटा दीजिये। अभी उसको पास नहीं किया है : and this is still under discussion. इसको डिलीट करदें मन्त्री महोदय से कहूंगा। इसकी गुंजाइश नहीं आवेगी। लेकिन यह रखा गया है उसका मिस यूज होगा। जैसा पहले बताया कि कोई व्यक्ति if any individual aspires for the chairmanship of any municipality, चैयरमैन को गिरना हो, बोर्ड ने और चैयरमैन ने कोई ऐसा टैक्स लगाया हो तो उसको गिरायेंगे। म्युनिसिपैलिटी की लाइफ तीन साल या चार साल की रखी है। म्युनिसिपैलटी बनती है तो एक साल डेढ़ साल तो उसके काम को समझने में लगेगा। काम सम्हाला और फिर जाकर सेकिन्ड इयर या थर्ड इयर में जाकर टैक्स इम्पोज किया तो उनके खिलाफ इन्ट्रेस्टेड परसन्स का ग्रुप्स का एजिटेशन हुआ। वह सब गवर्नमेंट के पास जाता है मामला। गवर्नमेंट फैसला देती है।

(श्री पी० के० चौधरी)

what would be the fate of the civic concessions and honest people... जिन्होंने इम्पोज़ किया था म्युनिसिपैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए This very clause can be used by the executive as an instrument to convert the majority to a minority and minority into majority. इसका इस किस्म का मिसयूज़ होगा। जहां ऐसे मिसयूज की गुन्जाइश रहती है, लॉ में रहती है तो ऐसे स्टेट्युटरी प्रोविजन नहीं रखने चाहिये सदन में हर पहलू से एक्ज़ामिन करने के लिए लोग मौजूद हैं, वे समझ सकते हैं कि इसके रिपरकुशन्स क्या हो सकते हैं, क्या कान्सिक्वेन्सेज़ हो सकते हैं। सदन के सदस्य काफी केपेबिल हैं, वे इसको समझ सकते हैं। सरकार के पास जो मशीनरी है वे भी इसको इन सारे पहलूओं से देख सकती है। जब हमें यह मालूम होता है कि इसका मिसयूज होता है, एब्यूज हो सकता है...

एक माननीय सदस्य : टाइम हो चुका है।

श्री सभापति : एक दो मिनिट में खत्म कर रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : ऐसा क्लॉज़ है उसको उनको नहीं रखना चाहिये। जो रेज़ोल्यूशन रखा है वह एक्युरेट होना चाहिये और We cannot conceive of a god of a limitless, timeless antity. और एक्युरेट नहीं होगा तो उससे जाकर एडमिनिस्ट्रेशन में बेड लायेंगे। अपोजीशन की ओर से कई दफा म्युनिसिपैलिटी के बारे में सवाल आते हैं वे लोग चार्ज लेवल करते हैं। मैं नहीं कहता कि उनके सारे के सारे चार्जेज़ सही हैं। मैं नहीं मानता उनमें ९० पर्सेन्ट गलत ही हो सकता है ९५ प्रतिशत गलत भी हो लेकिन उसमें भी पांच पर्सेन्ट तो सही निकलेंगे। बगैर किसी बेसिस के इस प्रकार की सिच्युएशन पैदा नहीं होती। निराकार भगवान है, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते वे कैसे हैं किस प्रकार के हैं तो हम इसके लिये क्या कर सकते हैं।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनूं) : On a point of privilege, sir, निराकार भगवान की बात होने लग गई है। अत: समय भी समाप्त हो गया है अगर माननीय सदस्य और बोलना चाहें तो अगले दिन समय दिया जा सकता है।

श्री सभापति : मैं आशा करता हूं काफी बोल चुके हैं, दो ही मिनिट में समाप्त कर देंगे।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह था कि धारा १९६ है वह रिडन्डेन्ट है इसका मिसयूज हो सकता है इसकी काफी गुंजाइश है। आप सभापति महोदय, एक्सपर्ट लायर हैं आप अपने अनुभव से इस बारे में अच्छी तरह से सोच सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको एग्ज़ामिन करिये इसके बाद जो आपके व्यक्तिगत व्यूज़ हो वह मिनिस्टर इन्चार्ज को बतलाइये। उसके बाद आप इस बारे में एक्युरेट लेजिस्लेशन लाइये इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

Page No.107

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक ४ अप्रेल १६५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ५ बज कर २ मिनिट पर दिनांक ४ अप्रेल १६५६ को म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, ३ अप्रेल, ५६)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ५६४२

हैड क्लर्क डूंगर कालेज, बीकानेर के विरुद्ध शिकायत ।

श्री गुमानसिंह एस. पी के विरुद्ध अभियोग ।

अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के एरियर ।

प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी व मजदूर संघ के दफ्तरों को गिराने के संबंध में ।

बीकानेर शहर में लड़कियों के लिए उच्चतर एवं उच्च विद्यालय ।

भूतपूर्व महाराणा उदयपुर को निजी उपयोग हेतु दिया गया जंगल ।

प्रोसिक्यूटिंग सब--इन्सपेक्टर्स व इन्सपेक्टर्स ।

महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली के सामने मिडिल स्कूल का भवन ।

ग्राम धनारी के पास बनास नदी पर बांध ।

बांरा में चर्मोद्योग के प्रशिक्षण तथा संचालन की योजना ।

तहसील डेगाना में भेरून्दा बांध ।

कोटपूतली कस्बे में कॉलेज ।

बामनवास से मोरां तक की सड़क को पक्की बनाने के संबन्ध में ।

तहसील नोहर में सिंचाई योग्य भूमि ।

गर्ल्स स्कूल खानपुर में अध्यापिकाओं तथा चपरासियों की कमी की पूर्ति ।

पशु मेला सेवाडिया व सांचोर में पानी का प्रबन्ध ।

दौसा स्टेशन से कॉलेज तक बिजली की व्यवस्था ।

मिडिल ट्रेन्ड टीचर्स को सलेक्शन ग्रेड ।

बेगूं के भवन का निर्माण ।

तहसील चाकसू में श्यामपुरा बांध ।

कृषि कॉलेज जोबनेर की उन्नति ।

पुलिस विभाग में द्वितीय श्रेणी शीघ्रलेखक का स्थान ।

रामगढ़ से सीकरी तक सड़क तथा रूपारेल नदी पर पुल ।

स्कम्भ

जोधपुर, जैतारण, ब्यर जाने वाली सड़क।

जयगढ़ कोर्ट फोर्सेज को स्थायी राज्य सेवा में लिया जाना।

राशमी ग्राम में सहकारी समितियां।

गढ़ी हाई स्कूल में इतिहास पढ़ाने की व्यवस्था।

कृषि फार्म बांसवाड़ा।

स्कूलों में शारीरिक दन्ड।

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७।

६०१८ उपरोक्त विधेयक पर आज भी अग्रेत्तर खंडशः विचार जारी रहा।

खण्ड ९१, ९४ एवं ९५ संशोधित रूप से स्वीकार किये गये।

खण्ड ९२ ९३ एवं ९६ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

स्कम्भ

खण्ड ९७ से १०६ पर विचार हो रहा था कि सदन की बैठक ५ बजकर २ मिनिट पर शनिवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९५९ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शनिवार, दिनाक ४ अप्रेल ५९ की कार्य सूची

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री द्वारा २७ फरवरी को रखे गये संकल्प पर वाद विवाद।

राजस्थान में व्याप्त अस्पृश्यता को दूर करने हेतु प्रत्येक ज़िले में समिति बनाई जावे जिसके सदस्यों में एम.एल. ए. भी हो तथा समिति हर तीसरे महीने अपने ज़िले के सम्बन्ध में हुई प्रगति की रिपोर्ट पेश करे।

तदुपरान्त श्री मदनसिंह ने एक और संकल्प प्रस्तुत किया।

"इस सदन की सम्मति है कि सदस्य विधान सभा व तहसील पंचायत व ग्राम पंचायतों के सरपंचों को यह अधिकार दिया जावे कि वे जनता की शिकायत पर पुलिस कस्टडी में होने वाले व्यक्तियों का निरक्षण कर सके"

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८४० का उत्तर देखिए)

LIST OF THE INVENTRY OF THE HIS HIGHNESS OF UDAIPUR

Description of property.	Decision of the Ministry of State.
Jungles and B.IDS	
1. Nahar Magra.	These Jungles will be state property but His Highness will have the exclusive right to collect fuel and fodder and they will be collected by His Highness House Hold but subject to Forest laws.
2. Amli ka bid.	Personal Property.
3. Keyda-ki-nal.	
4. Banki ka jungle.	
5. Haridasji ki Magri with buildings.	
FORESTS.	
1. Nahar Magra	These forests and hills will be state property but His Highness will have the exclusive right to Shikar.
2. Rana Kudi (Beed)	
3. Kheradi Magra.	
UDAINIWAS	
1. Hills Named.	
1. Hoongalajya.	
2. Kamlod.	
3. Wagdara.	
4. Hoda.	
JAI SAMAND.	
1. All hills on the east of the main road from paleodra to Jai Samand Pal.	Regarding Jai Samand (A) Prosperty of H. H. will have the right to collect dry fuel and grass.

2- All hills on the west of the road leading Jai Samand Pal to Palodra via Chand Ghati.

Regarding Jai Samand [1] property His Highness will have the right to collect dry fuel and grass.

HILLS NAMED

1. Lodya.
2. Soormagri.
3. Ker Magri.
4. Kotwala.
5. Mahwalla.
6. Dhuni wala.
7. Chatpurya.
8. Udai Mool.
9. Kanthoda.
10. Pahadi.
11. Bootwass.
12. Rakya.
13. Pilu.
14. Gugo.
15. Choda on the west of these hills.
16. Sagdi.
17. Bana.
18. Udpurya and.
19. Deengri.

UDAIPUR.

Hills named:-

1. Maohla.

These forests and hills will be state Property but His Highness will have the exclusive right to Shikar.

2. Teeklya.
3. Shikar Vadi
4. Banki

5.	Salriya, Dhanaya	(1) Property His Highness will have the right to collect dry fuel and grass.
6.	Sajjangarh.	
7.	Talawali ki Veli and.	
8'	Kalor.	
	Pic-hola and Fatehsagar lakes in Udaipur as also the lake of Udaipur, Jaisamudra Rajsamudra, and Bagri for fishing Alagars, shooting and small games as also the small peaks of Dhowali, Bhatwar and Khodl.	State property but His Highness will have the exclusive right of shooting and fishing.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, शुक्रवार दिनांक ३ अप्रेल, १६५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५६५१	अन्तिम से ५	पेपस	पेपर्स
५६५६	१	श्री नाथूलाल करौल	(श्री रिखबचन्द्र धारीवाल)
५६६०	३	rfom	from
५६६६	१६	it ts	it is
६००७	१३	वौंकसी	कौनसी
६०४५	१४	पोवर्स	पॉवर्स
६१०२	८	पपज़	पर्पज़
६१०५	१	श्री श्रीभानसिंह	श्री श्रीभानसिंह
६१०६	१०	ot	of
६१३१	६	Ruer	Ruler
६१३८	१४	कहत है	कहता है ।
६१४०	अन्तिम	highy	highly
६१४८	२	म्युनीसपल	म्युनिसिपल
६१५०	अन्तिम से ४	kep	keep